Fifth Series, Vol. XXVI, No. 36, Tuesday, April 17, 1973/Chaitra 20, 1895 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

PRICE : TWO RUPEES

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 72(22)
DATE. 18.8.73

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

7 LSS/73—1

विषय-सूची/Contents

अंक 39, मंगलवार, 17 अप्रैल, 1973/27 चैत्र, 1895 (शक)

No.39, Tuesday, April 17, 1973/Chaitra 27, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ट Pages
ता० प्र०संख्या S.Q.Nos.		
मौखिक प्रश्नों के उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
741 देश की न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन	Changes in the Judicial system in the country	1
742 इराक द्वारा 20 लाख टन अशोधित तेल देने की पेशकश	Offer of 2 million tonnes of crude oil by Iraq	5
744 फालतू पुर्जों के अभाव के कारण व्यास परियोजना में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण	Imported equipment lying idle at Beas project due to lack of spare parts .	7
745 पूर्व रेलवे में पायराडंगा स्टेशन का नाम बदल कर नित्यानन्द शाह स्टेशन करना	Re-naming of Payradanga station on Eastern Railway as Nityananda Shaha Station	8
750 डीजल तेल की बढ़ती हुई मांग और उसके आयात की मात्रा	Increasing demand for diesel oil and extent of import . . .	9
751 पांचवी योजना में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशों से सहायता	Assistance from Foreign country for setting up Fertilizer Factories in Fifth Plan	11
752 रेल कर्मचारियों को अनाज की फसलें उगाने के लिए रेलवे लाईन के दोनों ओर की भूमि पट्टे पर देना	Lease of Fallow land along Railway track to Railway Employees for growing Food Crops . . .	14
753 विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा उत्पादन में विविधता लाना	Diversification of Production by Foreign Pharmaceutical Companies . .	16
755 एकाधिकार गृहों के नियन्त्रक हित वाली कम्पनियां	Companies in which Monoply Houses have controlling interests. . .	18

किसी नाम पर अंकित यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the house by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
743	डिविजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against officials of Divisional Accounts Office, New Delhi. (Northern Railway) . . .	20
746	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई और बिछाई गई ज़ोन-वार रेलवे लाइनों की लम्बाई	Length of Railway Lines sanctioned and constructed during Fourth Five Year Plan, Zone-wise. . . .	20
747	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बड़ौदा के निकट कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया जाना	Setting up of Synthetic rubber plant near Baroda by I.P.C.L. .	21
748	कांगड़ा वैली रेलवे लाइन का मार्ग बदलने के परिणामस्वरूप धार्मिक स्थानों को संरक्षण	Protection to religious places due to diversion of Kangra valley railway line	22
749	पांच उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये इटली की फर्म का प्रस्ताव	Offer from Italian firm for setting up five Fertilizer Plants . . .	22
754	चतुर्थ योजना में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लागत अनुमानों में वृद्धि	Increase in cost estimates of irrigation and power projects in 4th Plan	22
756	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरकों के वितरण के लिए बनाए गए नियम	Rules for distribution of fertilizers laid down by Fertilizer Corporation of India	24
757	इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ बैंक के वकीलों में विवाद	Dispute between the lawyers of Allahabad High Court and its Lucknow Bench	25
758	ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना	Linking of Brahmaputra with Ganga .	25
759	मध्य प्रदेश के गांवों का विद्युतिकरण	Electrification of villages in Madhya Pradesh	25
760	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मैसूर को आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण के लिये अनुदान	Grants to Mysore for Electrification in Tribal areas under rural electrification Scheme	26

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7180	मैसर्स श्रीराम विनायल्स द्वारा एक प्रमुख औद्योगिक एकक को पी० वी० सी० रेसिन की सप्लाई	Supply of P.V.C. Resin to a leading Industrial Unit by M/s. Shri Ram Vinyls . .	26
7181	विदेशी आधिपत्य वाली औषध निर्माता कम्पनियों की सेवा में विदेशी टकनीशियन	Foreign Technicians employed by foreign dominated Drug Manufacturing firms	27
7182	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति का प्रतिवेदन	Malaviya Committee Report on O, & N.G.C.	27
7184	रेलवे रिसर्च, डिजाइन एण्ड स्टेंडडर्ज आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या बढ़ाना	Scheduled Castes/Scheduled Tribes officers in Research, Designs and Standards Organisation .	27
7185	रेलवे बोर्ड में लेखाकारों, सहायकों, लिपिकों और स्टेनोग्राफरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बढ़ाना	Increase of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Accountants, Assistants, Clerks, and Stenographers in Railway Board	28
7186	रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि	Increase of Officers of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in Railway Board	29
7187	रेलवे रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टेण्डर्ड आर्गेनाइजेशन में श्रेणी III तथा IV में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बढ़ाना	Class III and IV S.C./S.T. Staff in R.D.S.O.	29
7188	मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज द्वारा इक्विटी पूंजी निवेश में वृद्धि	Increase in equity investment by M/s. Glaxo Laboratories.	30
7189	26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी औषध निर्माण फर्मों की प्रारंभिक एवं वर्तमान निवेशित पूंजी	Initial and present Capital investment of Foreign Drug Manufacturing Firms with 26 per cent Foreign Equity . .	30
7190	मध्य प्रदेश में अन्त राज्यीय लाइनों की मंजूरी	Sanction of Inter-State lines in Madhya Pradesh . .	31
7191	विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने लाभ बढ़ाने के लिये कथित घोटाले	Alleged manipulations by Foreign Companies for increasing their profits.	31

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7193	बनापुरा (मध्य रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर में पानी	Water in Railway quarters of Employees at Banapura (Central Railway)	31
7194	मध्य प्रदेश में ज्वाइंट स्टाक तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां	Joint stock and Private Ltd. companies in Madhya Pradesh	32
7195	अधिकारियों (रेलवे बोर्ड के निदेशक, अतिरिक्त सदस्य और सदस्य) को अस्वीकृत छुट्टी की मंजूरी, उनका सेवाकाल बढ़ाना और उनको पुनः नौकरी देना	Grants of refused leave/Extension of service and re-employment to Officers (Director, Additional Member and Members of Railway Board)	32
7196	आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण के सदस्य (न्यायिक) के पद के लिये चयन	Selection for the post of Member (Judicial) Income-tax Appellate Tribunal	33
7197	अमरीका में अध्ययन छुट्टी पर गये रेलवे के मैकनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी	Officers of Mechnical Engineering Department of Railway on study leave in U.S.A.	34
7198	कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति	Promotion of Junior scale officer to senior scale	34
7199	सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल क्लर्कों का स्थानान्तरण	Transfer of Parcel clerks of Saharanpur Railway Station	34
7200	सहारनपुर में पार्सल क्लर्कों के स्थानान्तरण के मामले में अपनाया गया मापदण्ड	Yard stick followed in case of transfer of Parcel Clerks at Saharanpur	35
7201	बर्मा शैल द्वारा ईराक से आयातित कच्चे तेल को साफ करना	Refining of Iraqi crude by Burmah Shell . .	35
7202	बेरोजगार इंजीनियरों को इंडियन आयल के पेट्रोल की विक्रय एजेंसी दिया जाना	Petrol Dealership of Indian Oil given to Unemployed Engineers . . .	35
7203	रेलवे वैगनों और रेल इंजनों के निर्माण लागत में वृद्धि ।	Increase in cost of production of Railway wagons and rail Engines .	36
7204	पश्चिम रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of railway property on Western railway.	36
7205	मध्य रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway property on Central Railway	37

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7206	भारत और ईराक के बीच तेल क्षेत्र म सहयोग	Co-operation in Oil-field between India and Iraq	37
7207	राजस्थान में केन्द्रीय सहायता प्राप्त सिंचाई योजना	Centrally aided irrigation scheme in Rajasthan . . .	37
7208	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अपर डिवीजन ग्रेड में पदोन्नति	Promotion to Upper Division Grades in Railway Board's office	38
7209	परिचालन कुशलता बढ़ाने के लिये क्विलोन में नये डिवीजन का खोला जाना	Opening of new division at Quilon (Kerala) to increase operational efficiency. . . .	39
7210	पांचवीं योजना में विदेशों की महायता से नये उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of new fertilizer plants in the fifth plan with the help of foreign countries.	39
7211	केरल में सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य	Construction of irrigation projects in Kerala.	40
7212	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये सहायता	Assistance for rural electrification schemes by R.E.C.	42
7213	जीवाणुनाशक औषध हैक्साक्लोरोफीन के उपयोग पर रोक	Ban on the use of anti-bacterial Drug-Hexachlophene	42
7214	साबरमती माल गोदाम के कार्य-भार का मान दंड	Yard-stick of work-load of Sabarmati goods shed.	43
7215	लेखा विभाग द्वारा स्टेशन स्टाफ के जिम्मे लगाये गये अन्य प्रभार को वसूल करने संबंधी समय सीमा	Time-limit to raise undercharge against station staff by Accounts Department	44
7216	रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of supervisory structure of Commercial Departments on Railways.	45
7217	वाणिज्यिक कर्मचारियों का वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिये समान नीति	Uniform policy of promotion of commercial staff as commercial Inspectors	45
7218	मध्य रेलवे में संविदा श्रम और नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार दिया जाना	Employment of contract and casual labour on Central Railway	46

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7219	आवश्यक सिंचाई निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिये मध्य प्रदेश को धनराशि देना	Grant of Funds to Madhya Pradesh for repairs of essential irrigation works . . .	46
7220	महाराष्ट्र (मध्य रेलवे) के निम्भोरा रावर और सावद्दा के फल उत्पादकों को माल डिब्बों की सप्लाई	Wagons for cultivators of fruits of Nimbhora, Raver and Savda in Maharashtra (Central Railway) . . .	48
7221	ब्रह्मपुत्र का तलकर्षण कार्य	Dredging operation of Brahamputra .	48
7222	पूर्वोत्तर राज्यों में ताप बिजलीघरों की स्थापना	Setting up of Thermal power station in North Eastern States	48
7223	मैसूर में नई रेलवे लाइनों के लिए मैसूर सरकार के प्रस्ताव	Mysore Government proposals for Railway lines in Mysore .	49
7224	केरल की साबरीगिरी परियोजना के जलाशय से तमिलनाडु को पानी दिया जाना	Diversion of water to Tamil Nadu from Reservoir of Sabarigiri project of Kerala . .	50
7225	बिजलीघरों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई	Supply of low-grade coal to power stations . .	50
7226	जियाजीराव कॉटन मिल्स, ग्वालियर का विस्तार	Expansion of Jiyajeerao Cotton Millls, Gwalior .	50
7227	उत्तर रेलवे के मुख्यालय तथा डिवीजन कार्यालयों में स्टेनोग्राफरों के चयन के मामले में अपनायी गयी समान प्रक्रिया	Selection of Stenographers by Headquarters and divisional offices (Northern Railway) .	51
7228	लेखा विभाग (उत्तर रेलवे) के क्लर्कों ग्रेड-I (सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नत किए गए) की वरीयता नियत करना	Fixation of seniority of clerks Grade I (Direct-recruits) *Vis-a-vis* promotees in Accounts Department (Northern Railway) . .	51
7229	रक्षा मंत्रालय द्वारा मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाये जाने का विरोध	Union Defence Ministry opposed to the setting up of oil refinery at Mathura . . .	52
7230	विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को भारत से बाहर ले जाने के लिए आवेदन-पत्र	Applications by Foreigners for taking Indian childern outside India .	52

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7231	'गामा गलोबुलिन' औषधि को पेटेंट करना	Gamma globulin as patented medicine	53
7232	व्यास परियोजना में नियुक्त कार्य प्रभारित कर्मचारी	Work-charged staff employed on the Beas project	53
7233	रेलवे प्रशासन द्वारा नये उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का खोला जाना	Opening of New High /Higher Secondary Schools run by Railways Administration.	54
7234	उत्तर रेलवे में गत तीन वर्षों में बन्द की गई रेल गाड़ियां	Trains discontinued during last 3 years on Northern Railway	54
7235	सब रेल गाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की बोगियों की सुविधा	Facility of air-conditioned I Class Coaches in Trains	56
7236	गांवों के विद्युतीकरण के लिये रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन द्वारा मंजर किए गए ऋण	Loans sanctioned for electrification of villages by R.E.C. . . .	56
7237	असिस्टैण्ट ब्लाक सिगनल इन्स्पैक्टर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के पदों पर नियंत्रण	Control of posts of Asstt. Block Inspectors (South Eastern Railway) .	57
7238	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को दिये गये दण्ड का संचयी प्रभाव	Cummulative effect of punishment inflicted on Station Masters and Assistant Station Masters . . .	57
7239	उर्वरक उद्योग के लिए 'होल्डिंग कंपनी की स्थापना	Setting up of a Holding company for Fertilizer Industry . .	57
7240	जापानी सहयोग से उवर्रक कारखानों की स्थापना के मामले में हुई प्रगति	Progress made in setting up of Fertilizer Plants with Japanese Co-operation	58
7241	महाराष्ट्र के चन्दा जिले में रेल यातायात	Railway communication in Chanda district of Maharashtra	58
7242	विदेशी फार्मेस्यूटीकल्स कम्पनियों द्वारा औषधि मूल्यों का बढ़ाया जाना	Inflation of drug prices by Foreign Pharmaceutical companies . .	59
7243	राजस्थान में बिजली सप्लाई में कटौती	Power cut in Rajasthan .	59
7244	दक्षिण रेलवे में वरिष्ठता सूची के विरुद्ध वायरलैस आपरेटरों, वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइजरों तथा सिगनलरों की अपील	Appeal by Wireless Operators, Wireless Traffic Supervisors and Signallers against seniorty Lists (Southern railway)	60

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7245	पांचवीं योजना के लिए बड़ी सिंचाई योजनायें	Major irrigation schemes for fifth plan	60
7246	बिहार बिजली बोर्ड द्वारा मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Bihar Electricity Board to Minister . .	60
7247	रेलवे इम्पलाइज कोआर्डिनेशन कमेटी, दानापुर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Railway Employees' Co-ordination Committee, Danapur	61
7248	उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की देख रेख में तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुडी से झारसिंहश्वर तक तटबन्ध बनाने की योजना	Embankment scheme along river Tista from Jalpaiguri to Jharsingheswar under the supervision of North Bengal Flood Control Commission . .	61
7249.	अपर कृष्णा कैनाल के निर्माण कार्य में श्रमिकों की संख्या	Labour strength in Upper Krishna canal work . . .	62
7250	विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि संबंधी द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for increase in the power generation capacity in the country	62
7251	विधि आयोग द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों को कानूनों में सम्मिलित किया जाना	Incorporation of amendments recommended by Law Commission into statutes	63
7252	मैसूर में उर्वरक कारखाने की स्थापना करना	Setting up of fertilizer plant in Mysore	63
7253	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की परियोजना के लिए खरीदे गये उपकरणों का बेकार पड़े रहना	Technical equipment for D.E.S.U. project lying idle	63
7254	उड़ीसा की मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाना	Execution of medium and major irrigation projects in Orissa .	64
7255	रेलवे संबंधी खुर्दा रोड डिवीजनल समिति का गठन	Composition of Khurda road divisional committee on Railways . .	65
7256	हावड़ा-वाल्टेयर सैक्शन पर तेज गति की रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Fast train on Howrah Waltair section	66

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7257	खुर्दा रोड डिवीजन में रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण	Electrification of stations on Khurda road division . . .	66
7258	कश्मीर मेल में तीसरे दर्जे के अधिक कोच लगाना और इस मार्ग पर एक अन्य गाड़ी चलाना	Attaching more third class coaches to Kashmir Mail and introduction of another train on this route . .	68
7259	कोटा वर्कशाप के हैल्परों की भर्ती के लिए हिन्दी में फार्म देना	Supply of Hindi forms for recruitment of helpers, Kotahwork shop .	68
7260	पश्चिमी रेलवे में बुकिंग खिड़कियों पर बुकिंग लिपिकों का तैनात किया जाना	Posting of booking clerks at booking window on Western railway . .	68
7261	मणिपुर में लोकटक पन-बिजली परि-योजना	Loktak Hydro Electric project in Manipur . . .	69
7262	समुद्र की लहरों से बिजली पैदा करना	Generation of electricity from sea waves	69
7263	चिनातालापल्ली और येलगुड़ रेलवे स्टेशनों के बीच 'फिश प्लेटों' का हटाया जाना	Removal of fish plates between Chinatalapalli and Yelgur stations .	69
7264	भाषा प्रवर्तनों संशोधन अधिनियम, 1967हेतु राजपत्रित पदों का निर्माण (पश्चिम मध्य रेलवे)	Creation of gazetted posts for implementation of language (Amendment) Act, 1957 (Western and Central Railways)	70
7265	एस्सो और कालटेक्स द्वारा ईराकी अशोधित तेल का शोधन	Refining of Iraqi crude by Esso and Caltex	70
7266	पांचवीं योजना अवधि के दौरान वैगनों का निर्माण करने वाले नये कारखाने की स्थापना	Setting up of new wagon manufacturing factories during Fifth Plan period	70
7267	रेलवे कालोनी, दिल्ली किशनगंज में औषधालय का विस्तार	Expansion of dispensary in Railway colony, Delhi-Kishanganj .	71
7268	इंजन ड्राइवरों को सतर्क रखने के लिए रेलवे इंजनों में यंत्र लगाना	Fitting of instrument in Railway engines to keep drivers alert . .	71
7269	इंजनों के साथ ब्रेक वैन तथा पार्सल वैन का लगाया जाना	Attaching of brake-vans and parcel vans adjacent to engine	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7270	रेलवे स्टशनों के बुक स्टालों का शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को आवंटन	Allotment of Book stalls at Railways stations to educated unemployed .	72
7271	कच्छ (गुजरात) में समुद्र तटवर्ती रेल लाइन	Coastal railway line in Kutch (Gujarat)	72
7272	जामनगर-दिल्ली रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में "अटेन्डेन्ट" की नियुक्ति	Posting of 'attendant' in First class compartments of Jamnagar-Delhi train .	73
7273	समदड़ी–भिल्लडी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों को पालनपुर तक बढ़ाना	Extension of trains runing between Samdari and Bhildi upto Palanpur	73
7274	'सोडा राख' की आवश्यकता, उत्पादन सन् 1970, 1971 और 1972 में इसका आयात	Requirement production and import of of soda-ash during 1970, 1971 and 1972 . . .	74
7276	पश्चिम दीनाजपुर के अन्तर्गत बेलुरघाट में रेल सम्पर्क स्थापित करने संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट	Survey reports for railway link in Balurghat under West Dinajpur	74
7277	फरक्का बैरेज प्रोजैक्ट एम्पलाईज एसोसियेशन से ज्ञापन	Memorandum from Farrakka Barrage project employees' association	74
7278	पटना में प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में रेलवे बोर्ड को शामिल करना	Participation of Railway Board in proposed Ganga Bridge project at Patna	75
7279	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अजमेरी गेट साईडिंग में सीमेंट उतारने के लिए शैड की व्यवस्था करना	Shed at Ajmeri gate siding of New Delhi Railway station for unloading of Cement . .	75
7280	सीमेन्ट उतारने के लिए शकूरबस्ती साइडिंग में शैड का निर्माण	Construction of a shed at Shakur Basti siding for unloading of Cement	76
7281	इलाहाबाद जिले की तहसील सारन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की मंजूरी	Sanction of rurial Electrification Schemes for Tehsil Saran, District Allahabad	76
7282	पांचवीं योजना अवधि के लिये रेलवे विद्युतीकरण योजनायें	Railway electrfication schemes for fifth plan period . . .	77
7283	दक्षिण-पूर्व रेलवे में क्लर्कों के रूप में खपाए गए भूतपूर्व वर्क मिस्त्रियों और ए० आई० ओ० डब्ल्यू के वेतनों का संरक्षण	Protection of pay to ex-works mistries and Ex-A.I.O.Ws. absorbed as Clerks on South Eastern Railway .	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7284	भारतीय रेलवे में रेलवे अधिकारियों के सलूनों को यात्री डिब्बों में बदलना	Conversion of Railway officers' Saloons into passenger coaches on Indian Railways	78
7285	उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन मामले	Cases pending with the Supreme Court	78
7286	केरल द्वारा नई नदी घाटी परियोजनायें भेजना	New river vally projects from Kerala	79
7287	केरल में 100 किलोमीटर रेल-मार्ग के पीछे जनसंख्या तथा क्षेत्र की औसत	Population and area on an average served by 100 kilometers railway lines in Kerla	80
7288	केरल में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Kerala	80
7289	पब्लिक लिमिटड कम्पनियां	Public limited companies .	80
7290	कोयली में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना लगाने के लिए कनाडा से ऋण	Loan from Canada for setting up Fertilizer plant at Koyali in Public sector	81
7291	बड़े उद्योग-गृहों का आस्तियां, उत्पादन और लाभ	Assets, turnover and profits of larger Industrial Houses	81
7292	इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	Indian tube company Ltd. Calcutta .	81
7293	नफथा की मांग तथा इसकी आन्तरिक स्रोतों तथा आयात से सप्लाई	Demand for Naphtha and its supply from indigenous sources and imports	82
7294	20 बड़े उद्योग-गृह की प्रदत्त पूंजी, आस्तियां तथा लाभ	Paid up Capital Assets and profits of 20 larger industrial houses . .	83
7295	रेलवे में सेवा कर रहे अर्हता-प्राप्त लागत लेखाकारों द्वारा निजी कार्य करना	Private Practice by qualified cost Accountants employed in Railways	83
7296	पहलेजाघाट से महेन्द्रूघाट तक स्टीमर सेवा के लिए लिया जानेवाला किराया	Fare charged by stemmer service from Pahleza Ghat to Mahendru Ghat .	83
7297	सोनपुर से पहलेजाघाट तक की दूरी के लिए रेलवे द्वारा अधिक किराया लेना	More Railway fare charged for Sonepore Pahlezaghat distance . .	84
7298	गुजरात में पानी का ग्रिड बनाने हेतु सहायता देना	Assistance for creation of water grid in Gujarat	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7299	नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता	Recognition of North Eastern Railway Mazdoor Union	85
7300	सिगनल और दूरसंचार विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) के सड़क-पटरी के अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास	Residential accommodation for Road side maintenance staff of signal department (North Eastern Railway)	85
7301	पूर्वोत्तर रेलवे में रैंक से पदोन्नति के लिय आरक्षित कोट में शिशु चार्जमैन की नियुक्ति	Appointment of apprentice chargeman against quota reserved for promotion from Rank on North Eastern Railway	85
7302	तकतार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Tektar Railway station (N. E. Railway)	85
7303	मुसलमानों के वैयक्तिक कानून को संहिताबद्ध करना	Codification of Muslim personal Law	86
7304	इण्डियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियशन कर्मचारियों का भविष्य	Future of employees of Indian Railway conference Association . . .	86
7305	भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के कर्मचारियों को एम० टी० पी० कलकत्ता में खपाना	Absorption of ex-martin light Railway employees in M.T.P. Calcutta. .	87
7306	आन्ध्र प्रदेश में "फिश-प्लेटों" के उखाड़ देने की घटनायें	Cases of removal of Fish plates in Andhra Pradesh . . .	87
7307	पाइपों के जंग खा जाने से गुजरात तेलशोधक कारखाने के तीसरे वातावरणीय एकक के बन्द हो जाने के बारे में जांच	Enquiry into closure of Third Atmospheric unit of Gujarat refinery due to corrosion of pipes . .	87
7308	उड़ीसा में पैराफिन मोम का कोटा	Paraffin wax quota in Orissa .	88
7309	उड़ीसा में मंजूरशुदा सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects sanctioned in Orrissa	88
7310	पटना जंक्शन और गुलजारबाग के बीच राजेन्द्रनगर कस्बे में एक रेलवे स्टेशन स्थापित करना	Opening of a Railway station at Rajender Nagar town between Patna Junction and Gulzarbagh . .	88
7311	गैर समय कुलियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाना	Harassment of passengers at odd hours by porters	89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7312	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल लिमिटेड को राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित 'बल्क' औषधियां के विक्रय से अर्जित कमीशन की राशि	Commission earned by I.D.P.L. from sale of bulk drugs imported by S.T.C.	89
7313	अनुमति-प्राप्त सीमा से अधिक औषधियां बनान के कारण विदेशियों द्वारा नियंत्रित औषध फर्मों के विरुद्ध कार्य-वाही	Action against foreign dominated drug firms for producing drugs in excess of permissible limit . . .	90
7314	उत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नत टेलीफोन ओपरेटरों की वरिष्ठता	Seniority of promoted class IV Telephone operators of Northern Railway . .	90
7315	मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of kerosene oil	91
7316	मोम बनाने वाली कम्पनियां	Companies manufacturing wax .	91
7317	मोम का आयात	Import of wax .	92
7318	गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नमक के लदान के लिए बन्द माल-दिब्बों की कमी	Shortage of covered wagons for loading of salt in Saurashtra region of Gujarat.	92
7319	मोम की वार्षिक आवश्यकता	Annual requirement of wax	93
7320	आयल इण्डिया में बर्मा आयल कंपनी की अंशपूंजी पर उसे बोनस अदा न किया जाना	Non-payment of dividend to Burma oil company on its share capital in oil India	93
7321	मध्य रेलवे में कम्प्यूटर लगाए जाने के परिणामस्वरूप फालतु घोषित किये गये कर्मचारी	Employees rendered surplus on introduction of computerisation on Central Railway	93
7322	55 अप एक्सप्रेस गाड़ी के देरी से आने के कारण पिलखुआ में 6 एम० डी० सवारी गाड़ी का रोका जाना	Detention of 6 MD. Passenger train at Pilkhuva due late arrival of 55 UP Express train	94
7323	हापुड़ से चलने वाली 55 अप एक्सप्रैस गाड़ी के रवाना होने के समय को पुन: निर्धारित करना	Redrawing time schedule of departure of 55 UP Express train from Hapur	95
7324	दिल्ली और मुरादाबाद के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाना	Introduction of an additional train between Delhi and Muradabad	95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7325	जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलव) में उद्योग को वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Industry in Jodhpur division (Northern Railway)	96
7326	उत्तर प्रदेश में ग्रामों में बिजली लगाना	Electrification of villages in U.P.	96
7327	किसानों के लिए छोटी ग्रौर मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें	Small and medium irrigation schemes for farmers	96
7328	कलकत्ता के निकट तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal power station near Calcutta	97
7329	ग्रपर कंगसाबली परियोजना के लिये पश्चिम बंगाल की योजना	West Bengal scheme for upper Kangsabali project	98
7330	कोल्हापुर शूगर मिल में धन का दुरुपयोग	Misappropriation of money in Kolhapur Sugar Mill	98
7331	रेलव बोर्ड में लोग्रर डिविजन क्लर्कों की ग्रपर डिविजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति	Promotion of lower division clerks as Upper Division Clerks in Railway Board	99
7332	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा खर्चे को ग्रागे डाल कर तुलनपत्र में लाभ दिखाया जाना	Showing profit in balance sheet of F.C.I. by Deferring expenses. .	99
7333	राम गंगा बांध परियोजना	Ramganga dam project .	100
7334	प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सर्वेक्षण	Survey in district Bahraich of U.P. for finding Natural resources. .	101
7335	रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में टाइपिस्टों की संख्या	Strength of typists in Railway Board's offices	101
	ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ग्रोर ध्यान दिलाना दिल्ली में कपड़ा मिलों के हजारों कर्मकारों की ग्रनिश्चित काल के लिए हड़ताल का समाचार	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance Reported indefinite strike by thou- sands of textile workers in Delhi.	102
	श्री मूलचन्द डागा	Sh. M. C. Daga	102
	श्री रघुनाथ रेड्डी	Sh. Raghu Nath Reddy	102

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
धुवारन और अहमदाबाद विद्युत संयंत्रों को अवशिष्ट ईंधन तेल की कम सप्लाई के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Reduced Supply of Residuary Fuel Oil to Dhuvaran and Ahmedabad Power Plants	107
श्री देवकान्त बरुआ	Shri D.K. Borooah	108
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377	110
(एक) अहमदाबाद में सूती कपड़ा श्रमिकों की जबरन छुट्टी	(i) Lay off Textile Workers in Ahmedabad	110
(दो) बयाना, राजस्थान में डा० बी० के० अम्बेडकर की मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास	(ii) Attempt to demolish statue of Dr. B. K. Ambedkar at Bayana, Rajasthan	110
अनुदानों की मांगें 1973-74	Demands for Grants, 1973-74	111
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	111
श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari	111
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	111
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	112
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	114
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivaswamy	115
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	117
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	118
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	121
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	122
श्री एम० वी० कृष्णप्पा	Shri M. V. Krishnappa	123
श्री एम०एस० मूर्ति	Shri M. S, Purty	124
श्री राम भगत पास्वान	Shri Ram Bhagat Paswan	125
श्री अन्नासाहिब गोठखिन्डे	Shri Annasaheb Gotkhinde	126
श्रीमती सहोदरा बाई	Shrimati Sahodrabai Rai	127
श्री भालजीभाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	127
श्री सी० डी० गौतम	Shri C,D. Gautam	128
श्री ए० एम० चेलाचामी	Shri A.M. Chellachami	129
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque	129

7 LSS/73—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
भारत और बंगला देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच संयुक्त घोषणा	Joint Declaration Between Government of India and Peoples Republic of Bangla Desh	113
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	114

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 17 अप्रैल, 1973/27 चैत्र, 1895 (शक)

Tuesday, April 17, 1973/Chaitra 27, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

देश की न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन

*741. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की न्यायिक व्यवस्था में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन करने पर विचार किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :
(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र सिंह : संविधान में एक ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना की गई है जिस पर राजनीतिक और कार्यपालिका का कोई प्रभाव न हो। संविधान में उच्चत्तम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि मुद्रा सहित अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति नियुक्ति के आदेश जारी करेगा? इसके विपरीत उच्च

न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य मंत्री के परामर्श से करना और उच्चतम न्यायालय के न्याया-धीशों की नियुक्ति प्रधान मंत्री की सलाह से करना क्या संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं है ? इस राजनीतिक हस्तक्षेप के समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ताकि हमारे यहां वस्तुतः एक स्वतंत्र न्यायपालिका बन सके ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । मूल प्रश्न है कि क्या न्याय व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार है। उसका उत्तर है कि अभी उसके ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार नही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय संविधान में दिये गये निदेशक तत्वों को लागू करना आवश्यक नही समझते और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो आज न्याय व्यवस्था में ढांचेगत परिवर्तन भी किया जा सकता है ? क्या देश के सभी राज्यों में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक् की जा चुकी है ? क्या उनका विचार कार्यपालिका के न्यायाधीशों से न्याय करने की शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन वापस लेने का विचार है, जिससे राजनीतिज्ञों के कहने पर लोगों को बहुत परेशानी होती है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाले विधेयक पर सभा में विचार होगा और इसमें यह व्यवस्था है कि धारा 107 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों का निर्णय न्यायिक न्यायाधीशों द्वारा किया जायेगा। अधिकतर राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जा चुका है। यह राज्य का विषय है।

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या यह सच नहीं है कि न्याय मिलने में देर होती है ? न्याय में देर न हो, इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न न्याय व्यवस्था के बारे में है। आप उस विषय पर प्रश्न पूछ रहे हैं जो अनुपूरक प्रश्न का विषय नहीं हो सकता।

श्री डी० बी० चन्द्रगोंडा : एस० आर० सी० प्रतिवेदन में की गई इन सिफारिशों के अनुसरण में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है कि उच्च न्यायालयों के जजों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरण किया जाये।

श्री एच० आर० गोखले : वस्तुतः हम प्रश्न के क्षेत्र से बहुत परे जा रहे हैं।

श्री समर गुहा : क्या दीवानी और फौजदारी'' के न्यायालयों में इतने मामले एकत्र हो गये हैं कि उससे विलम्ब से हुआ न्याय न्याय ही नहीं होता, की कहावत चरितार्थ होती है । इस समय निर्णयाधीन मामलों की कुल संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री समर गुह : यह सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था से सम्बद्ध है क्योंकि इसके लिए सम्पूर्ण न्याय-व्यवस्था जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह प्रश्न संगत नहीं है इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसके लिए आप पृथक् प्रश्न पूछें। आपका अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में असाधारण विलम्ब होता है और कुछ मामले गत 10–15 वर्ष से निर्णयाधीन है। क्या सरकार न्यायपालिका की व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करने जा रही है जिससे न्याय शीघ्र मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को नहीं समझा सका। अब मंत्री महोदय समझाएं।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक विलम्ब का सम्बन्ध है मैं दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों की अधिक संख्या से सहमत हूं कि यह एक गम्भीर प्रश्न है। न केवल सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में बल्कि सभी स्तरों पर मामले भारी संख्या में जमा हो गये हैं इस समय मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं। एक पृथक् जांच करके आंकड़े एकत्र किये जा सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए न्याय व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। हम कुछ उपाय पहले ही कर चुके हैं और कुछ और किये जायेंगे जिनसे प्रक्रिया और निर्णय देने में होने वाले विलम्ब को समाप्त किया जा सके तथा न्याय प्राप्त करने का खर्च भी कम आये। विधि आयोग के प्रतिवेदन पर हम विचार कर रहे हैं। मैं सभा में एक ऐसा विधेयक पेश करूंगा जिससे मुकद्दमों के निर्णय में होने वाले विलम्ब को कम से कम किया जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता में एक संशोधन राज्य सभा द्वारा मान लिया गया है और उसे यहां भी लाया जायेगा, इससे आपराधिक मामले में होने वाला विलम्ब कम हो जायेगा। गत सत्र में अनुच्छेद 133 में किये गये संशोधन के साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी थी कि सम्पत्ति के मूल्यांकन के आधार पर ही की जाने वाली अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे ही अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है जिनसे मुकद्दमों में होने वाले विलम्ब और उन पर होने वाले खर्च में कटौती हो। जब भी मांग की जाती है अतिरिक्त जज नियुक्त कर दिये जाते हैं। इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ गई है।

कुछ माननीय सदस्य **खड़े हुए।**

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने पर भी अनुपूरक प्रश्नों की झड़ी लग रही है।

श्री जी० विश्वनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय मंत्रियों सहित शासक दल के कुछ सदस्यों ने हाल ही में न्याय-पद्धति और न्यायाधीशों की निन्दा की है, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संसद् को विश्वास में लेगी और यह बतायेगी कि हमारी न्याय-पद्धति में क्या दोष है और वे इसमें परिवर्तन किस प्रकार से लायेंगे? यदि हमारी न्याय-व्यवस्था में कोई दोष था तो वह संसद् से बाहर बताये जाने से पूर्व संसद् में बताया जाना चाहिए था।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे नही मालूम कि माननीय सदस्य किस वक्तव्य अथवा किस मंत्री का उल्लेख कर रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है वर्तमान न्याय व्यवस्था अथवा न्यायाधीशों को त्यागने की बात किसी भी मंत्री ने नहीं कही है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मूल प्रश्न न्याय-व्यवस्था के बारे में है। किन्तु माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि उसके ढांचे में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में आम आदमी को न्याय विलम्ब से और बहुत महंगा पड़ता है। इस दृष्टि से मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह न्याय-व्यवस्था में ऐसा क्या परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं जिससे ये कठिनाइयां दूर हो जायें।

अध्यक्ष महोदय : वह इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : वह केवल 'ढांचे' की बात कर रहे हैं जबकि 'व्यवस्था' एक व्यापक मद है।

अध्यक्ष महोदय : अपने पहले वक्तव्य में वह इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने यह बताया है कि अभी उसमें परिवर्तन करने का विचार नहीं है। अतः अन्य प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : मेरे मित्र श्री मावलंकर ने ठीक ही कहा है कि गरीब आदमी को न्याय विलम्ब से और बहुत महंगा मिलता है। क्या सरकार कोई ऐसी न्याय-व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें गरीब लोगों को न्याय शीघ्र और सस्ता मिल सके।

श्री एच० आर० गोखले : अधिकांश बातों का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। अब मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि विलम्ब और लागत दो समस्याएं सचमुच विकट हैं और इनका समाधान होना चाहिए। हमारा यह विचार है कि आधारभूत विधि और प्रक्रिया में फिलहाल परिवर्तन करके हम ऐसा कर सकते हैं। प्रक्रिया के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां तक आधारभूत कानून का सम्बन्ध है हम अपील के पश्चात् अपील करने को सीमित करने जा रहे हैं। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि मुकद्दमें की कार्यवाही को किस प्रकार छोटा किया जाये । इसमें वस्तुतः असाधारण विलम्ब होता है। यह सब बिना न्याय-व्यवस्था बदले ही केवल मूल कानून और प्रक्रिया में संशोधन करके किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आयोगों या समितियों आदि में सेवा-निवृत्त जजों को नियुक्त करना भी हमारी न्याय-व्यवस्था का एक अंग बन गया है और यह दुर्भाग्य की बात है । ऐसा लगता है मानो सेवा-निवृत्त न्यायाधीश ऐसी नियुक्तियों की प्रतीक्षा में रहते हैं। क्या सरकार का विचार कोई उचित कानून बनाकर इस प्रथा को रोकने का है।

अध्यक्ष महोदय : इसका विकल्प तो यही है कि उन्हें सेवा-निवृत्त न किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सुप्रीम कोर्ट बार एसेसिएशन इसकी आलोचना कर रहा है और सभी तर्कशील वकीलों के लिए यह चिन्ता का विषय बना हुआ है । क्या इसे रोकने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री एच० आर० गोखले : सेवा-निवृत्त जजों की नियुक्ति का मामला न्याय-व्यवस्था का अंग नहीं है। दूसरे कुछ मामलों में ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। जब कोई बात होती है तो सभी राजनीतिक दल और विशेष रूप से प्रतिपक्ष इस बात की मांग करता है कि घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसी जांच किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराना सम्भव नहीं होता है। न्यायालयों में इतने अधिक मामले निर्णयाधीन होते हैं कि कोई भी न्यायालय अपने न्यायाधीश को इस प्रकार की जांच-पड़ताल करने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष से मैंने यह प्रयास किया है कि जहां भी सम्भव हो ऐसी नियुक्तियां वर्तमान जजों में से ही की जायें और ऐसी जांच शीघ्र पूरी हो जाये। साथ ही मैं यह नहीं कह सकता कि सेवा-निवृत्त जजों की नियुक्तियां बिल्कुल समाप्त कर दी जायेंगी कई अवसरों पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां ऐसा करना पड़ता है।

ईराक द्वारा 20 लाख टन अशोधित तेल देने की पेशकश

***742. श्री एम० एस० पुरती :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईराक सरकार ने हाल ही में भारत सरकार को 20 लाख टन अशोधित तेल देने की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने वह पेशकश स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) 4 सितम्बर, 1972 को ईराक नेशनल आयल कम्पनी तथा भारतीय तेल निगम के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार ईराक नेशनल आयल कम्पनी सितम्बर 1972 से मार्च, 1975 की अवधि में भारतीय तेल निगम को 1.95 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की सप्लाई करेगी।

6 अप्रैल, 1973 को ईराक सरकार तथा भारत सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किये गये जिसके फलस्वरूप मथुरा शोधनशाला तथा उससे संबंधित सुविधाओं के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को कुछ अंशों में पूरा करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण को कच्चे तेल के रूप में दिया जा रहा है। इस बारे में 6 अप्रैल, 1973 को ईराक नेशनल आयल कम्पनी तथा भारतीय तेल निगम के बीच एक और करार पर हस्ताक्षर किए गए।

Shri M.S. Purti : Sir, the Minister has told that India will get 1.95 million tonnes of crude under the agreement arrived at between Iraq National Oil Company and Indian Oil Corporation. May I know whether this supply will meet our requirement in full; if not, the steps government will take to meet the demand in full ?

Shri D.K. Barooah : It will not suffice to meet our requirement. Besides this I.O.C. has agreed to supply 3 million tonnes of crude annually for ten years. But this all will be short of the demand. So, we will have to produce more oil from our own resources as well as purchase from other countries.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ईराक से खनिज तेल के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है, उसके अन्तर्गत अशोधित तेल किन शर्तों पर सप्लाई किया जायेगा और ये शर्तें विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा रखी गई शर्तों ी अपेक्षा हमारे किस हद तक अनुकूल है ?

श्री देवकान्त बरुआ : पहली बात तो यह है कि ईराक कम्पनी ने दस वर्ष के लिए हमें ठेका दिया है जबकि अन्य कोई भी देश या कम्पनी इतनी लम्बी अवधि के लिए समझौता करने के लिए तैयार न थी। वस्तुतः कोई भी कम्पनी अब दीर्घावधि या अल्पावधि करार करने के पक्ष में नहीं है। यह कम्पनी हमें 30 लाख टन प्रतिवर्ष देगी और दस वर्ष में कुल 300 लाख टन खनिज तेल हमें मिलेगा। यह अच्छी-खासी मात्रा है और अन्य कम्पनियों की तुलना में इसने हमारे प्रति यह उदारता बरती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल्यों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य होगा और उस पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में प्रतिवर्ष विचार किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक मूल्य मांगे थे।

श्री देवकान्त बरुआ : विदेशी तेल कम्पनियां बाजार भाव से अधिक नहीं मांग सकती। हां, वे यह कर सकती हैं कि हमें खनिज तेल न दें । इस मामले में उच्च फर्म ने हमें अशोधित तेल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर दिया है किन्तु उसके मूल्य पर प्रतिवर्ष विचार हुआ करेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या ईराक से तेल की सप्लाई का सम्बन्ध ईराक में हमारी रेल परियोजना से जुड़ा हुआ है और यदि हां, तो सम्भावना प्रतिवेदन के पूरा हो जाने और बातचीत के अन्तिम रूप से सम्पन्न हो जाने की आप कब तक आशा करते हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह सच है कि ईराक और भारत में सहयोग न केवल अशोधित तेल की खरीद तक ही सीमित है बल्कि इसका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। इसमें वह सहायता भी सम्मिलित है जो भारत द्वारा ईराक को अपनी रेल-व्यवस्था बनाने के लिए दी जा रही है। एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई है जिसमें ईराक के तेल मंत्री और भारत के पैट्रोलियम और रसायन मंत्री सदस्य हैं। यह आयोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि दोनों देश किस-किस नये क्षेत्र में आपसी सहयोग कर सकते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने बताया है कि ईराक से प्राप्त होने वाले तेल से हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में देश की और अन्तर्राष्ट्रीय नीति में तेल महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्या सरकार तेल के सम्बन्ध में आगामी 25 वर्ष के लिए कोई नीति अथवा योजना बनाने जा रही है ?

श्री देवकान्त बरुआ : आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम स्वयं तेल खोजें ताकि विदेशों पर हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाये। तेल की खोज के सम्बन्ध में हमने ईराक से भी समझौता कर लिया है। तेल के लिए खुदाई की योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

श्री के० लकप्पा : क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद है जो हमारे देश की तेल नीति पर प्रभाव डाल रहा है? यदि ऐसा है तो उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? ईराक अमेरिका जैसे देशों के इशारों पर नाचता है, जिनके सम्पूर्ण विश्व में अपने हित साधन की दृष्टि से काम करते हैं और यह भारत की शासन-व्यवस्था को कमजोर बना रहा है। क्या देश को आत्म-निर्भर बनाने की नीति . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप तर्कसंगत बात से आगे न बढ़ें।

श्री के० लकप्पा : मेरा जो प्रश्न तर्कसंगत है, उसका ही उत्तर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : संगत प्रश्नों का वह उत्तर दें तो हमें आपत्ति नहीं है।

श्री देवकान्त बरुआ: श्रीमन्, ईराक एक ऐसा देश है जो पूंजीपति देशों के हाथ में नहीं है बल्कि विदेशी पूंजीपतियों के विरुद्ध डटकर खड़ा होता है।

फालतू पुर्जों के अभाव के कारण व्यास परियोजना में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण

*744. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि फालतू पुर्जों की कमी के कारण व्यास परियोजना स्थल तलवाड़ा में डम्पर ट्रेक्टर और अर्थमूवर, आदि जैसे अनेक कीमती उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि उपकरण सप्लाई करने वाले अमेरिकियों ने आवश्यक या पर्याप्त पुर्जे सप्लाई नहीं किये; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के दोषपूर्ण करार किये जाने के कारण क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) तलवाड़ा में व्यास परियोजना में बड़ी मात्रा में मिट्टी-कार्य अपेक्षित है और इसलिए बड़ी संख्या में अर्थ-मूविंग उपस्कर जैसे शावल, डम्पर, ट्रैक्टर, मोटर ग्रेडर, कम्पैक्टर, ट्रेलर, क्रेन इत्यादि वहां काम में लाए जाते हैं। ये उपस्कर अंशतः भाखड़ा परियोजना से इस्तेमाल की गई मशीनों के स्थानांतरण द्वारा तथा अधिकतर स्वदेशी तथा विदेशी साधनों द्वारा उपलब्ध किए गए थे। तलवाड़ा में इस प्रकार की अर्थ-मूविंग मशीनों की कुल संख्या 324 है। इनमें से 61 स्वदेशी साधनों से तथा शेष 263 विदेशों से आयात की हुई हैं। आयातित 263 यूनिटों के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न सारणी में दिए जाते हैं। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4817/73) भाखड़ा से स्थानान्तरित आयातित मशीनों में से 39 चालू स्थिति में नहीं हैं। विदेशों से उपलब्ध की गई मशीनों में से 16 रियर डम्पर चालू स्थिति में नहीं हैं। इन मशीनों का आर्थिक दृष्टि से जीवनकाल समाप्त हो चुका है। कोई अन्य मशीन फुटकर पुर्जों की कमी के कारण बेकार नहीं पड़ी है। 22.8 लाख रुपये के फुटकर पुर्जों का आर्डर दे रखा है तथा उनकी प्राप्ति प्रतीक्षित है? ऐसा कोई मामला नहीं है जबकि अमेरिका के सप्लाईकर्त्ताओं ने पर्याप्त फुटकर पुर्जे सप्लाई न किए हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से यह पता लगता है कि मंत्री महोदय ने परियोजना अधिकारियों द्वारा सप्लाई किये गये आंकड़ों पर निर्भर किया है। इस प्रश्न को पूछते हुए मैंने प्राप्त जानकारी पर निर्भर किया है क्योंकि मैं गत मास की 18 तारीख को तलवाड़ी में था। मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार भी वहां पर अर्थमूविंग उपकरण और मशीनरी के कम से कम 55 मद बेकार पड़े थे। क्या वह इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि ये मशीनें पुरानी हो गई हैं। जैसा कि परियोजना अधिकारियों ने दावा किया है। बल्कि इन कीमती मशीनों का रखरखाव उचित स्तर का नहीं है और क्या यह सच नहीं है कि फालतू पुर्जों के देरी से पहुंचने के कारण इनमें से बहुत सी मशीने बहुत बड़े क्षेत्र में, जो कबाड़ी बाजार सा नजर आता है, बेकार पड़ी हैं? क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि इन मशीनों का उचित रखरखाव किया गया था अथवा नहीं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस बारे में संतुष्ट हूं अथवा मैंने स्वयं उन्हें देखा है अथवा मैंने इस बारे में विस्तार से विचार किया है । वहां इस कार्य के लिये जनरल मैनेजर है । मुख्य बात यह है कि 55 यूनिटों में से 39 यूनिटों का उपयोग किसी समय भाखड़ा से किया जाता था । यह बहुत भारी कार्य है । इनमें से अधिकांश मशीनें बेकार पड़ी हैं जिनका भाखड़ा में पहले उपयोग किया जाता था । माननीय सदस्य का इस बारे में कहना बिल्कुल उचित हो सकता है लेकिन मैं अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि मशीनों को पूर्णतया बेकार घोषित करने से पूर्व वे इस बारे में फिर जांच करें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के अनुसार 22.8 लाख रुपये के फालतू पुर्जों का आर्डर दिया गया है और उनकी प्राप्ति की प्रतीक्षा है । मैं यह जानना चाहूंगा कि इन फालतु पुर्जों का आर्डर कब दिया गया था और इनके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है । क्या विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से, जिनमें अधिकांश अमेरिकन हैं, किये गये ठेके में इन मशीनों की कठिनाई की स्थिति में नियमित रूप से पूरी अवधि तक फालतू पुर्जों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोई खंड है ? यदि ऐसा कोई खंड नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री ने इस बात का पता लगाया है कि इन ठेकों को कैसे किया गया और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि हम कमजोर स्थिति में न रह जायें क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० के० एल० राव : आर्डर दिये गये फालतू पुर्जों में से कुछ पुर्जे प्राप्त हो गये हैं और कुछ पुर्जे अभी प्राप्त होने बाकी हैं । उक्त आर्डर विभिन्न तिथियों में 6 जुलाई, 1972 से फरवरी, 1973 के बीच दिये गये थे फालतू पुर्जे समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और इन सब फालतू पुर्जों का प्रयोग किया जाता है और कुछ पुर्जों को बाद में प्रयोग के लिये रखा जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न ठेके के अंतर्गत खंड से संबंधित है । क्या उक्त ठेकों में मूल सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा फालतू पुर्जों की नियमित सप्लाई की व्यवस्था है अथवा नहीं ?

डा० के० एल० राव : मशीनों के साथ हमें 10 से 15 प्रतिशत फालतू पुर्जे प्राप्त होते हैं । ठेके में कुछ प्रतिशत फालतू पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था है ।

डा० कैलाश : क्या सिंचाई विभाग और अन्य उपक्रमों जैसे एम०एम०टी०सी० और एन०एम०डी० सी० जैसे सरकारी उपक्रमों में, जहां बहुत बड़ी मात्रा में काम करने योग्य फालतू पुर्जे बेकार पड़े हैं, समन्वय है ? क्या अन्य सरकारी उपक्रमों से पूछताछ कर आर्डर दिये गये थे अथवा नहीं ?

डा० के० एल० राव : मुझे प्रसन्नता है कि उक्त मशीनें एम०एम०टी०सी० को उपलब्ध हैं लेकिन मैं यह नहीं समझता कि उक्त जानकारी सही है । मैं इस बारे में जांच करूंगा । सामान्यतया उपयोगी मशीन अन्य परियोजनाओं से प्राप्त नहीं होती है । हम आर्डर देने से पूर्व अन्य सरकारी उपक्रमों से हमेशा पूछताछ करते हैं ।

पूर्व रेलवे में पायराडंगा स्टेशन का नाम बदल कर नित्यानन्द शाह स्टेशन करना

*745. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला नाडिया (पश्चिम बंगाल) के स्थानीय लोग, विशेषकर वे जो पूर्वी रेलवे के पायराडंगा रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, निरन्तर रूप से वह मांग करते रहे हैं कि 1957 के गोवा स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए नित्यानंद शाह की स्मृति में उक्त स्टेशन का नाम बदल दिया जायें ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार उक्त शहीद की स्मृति में, उसके मकान के निकट, जो रेलवे लाइन के पास था एक और स्टेशन बनाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पायराडंगा रेलवे स्टेशन का नाम नित्यानन्दपुर बदलने के लिए 1971 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सरोज मुखर्जी : लोगों के अभ्यावेदनों के बारे में रेलवे प्राधिकरण की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नीति निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश गृह कार्य मंत्रालय को करनी होती है और यदि इस बारे में गृह कार्य मंत्रालय की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो हमें नाम परिवर्तन करने में कोई आपत्ति नहीं होती है ।

श्री सरोज मुखर्जी : स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों की स्मृति में रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के बारे में लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसाकि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मुझे राज्य सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इस मामले में कार्यवाही करना और गृह-कार्य मंत्रालय की सहमति प्राप्त कर इस मामले को हमें भेजने का कार्य राज्य सरकार का है और यदि वह ऐसा करती है तो हम निश्चित रूप से स्टेशन का नाम बदल देंगे ।

श्री समर गुह : जैसाकि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि रेलवे अधिकारियों को पायराडंगा के निवासियों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उक्त ज्ञापन को पश्चिम बंगाल के गृह विभाग को वापिस भेज दिया है जिससे इस बारे में उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : एक ज्ञापन श्रीमती विभा गोस्वामी से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि उक्त ज्ञापन इस क्षेत्र के लोगों की ओर से प्राप्त हुआ है । अतः हमने उसे राज्य सरकार को भेज दिया है और अब इस मामले में कार्यवाही करने का दायित्व राज्य सरकार का है रेलवे प्राधिकरण का नहीं ।

डीजल तेल की बढ़ती हुई मांग और उसके आयात की मात्रा

***750. श्री राम कंवर :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल तेल की मांग में लगातार वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मांग में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) आन्तरिक साधनों से इस मांग की कितनी मात्रा की पूर्ति की जा सकती है और कितनी मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आयात पर देश को निर्भर होना पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना के बारे में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पिछले कई वर्षों में हाई स्पीड डीज़ल (एच० एस० डी०) तथा लाइट डीज़ल आयल (एल० डी० ओ०) की मांगों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । इन वस्तुओं की गत तीन वर्षों में वास्तविक खपत तथा वर्तमान वर्ष की अनुमानित मांग नीचे दिखाई गई है :—

	1970	1971	1972	1973
एच० एस० डी० . . .	3735	4221	4616	5291
एल० डी० ओ० . . .	1047	1190	1383	1461

वर्ष 1973 के 52.91 लाख तथा 14.61 लाख मीटरी टन एच० एस० डी० तथा एल० डी० ओ० की कुल प्रत्याशित मांग की तुलना में, इन वस्तुओं का देशीय उत्पादन क्रमशः 48.30 लाख तथा 10.86 लाख मीटरी टन होने की आशा है । 4.61 लाख मीटरी टन एच० एस० डी० तथा 3.575 लाख मीटरी टन एल० डी० ओ० की आवश्यक मात्रा के घाटे को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा ।

Shri Ram Kanwar : May I know the quantum of petrol we shall get under the agreement signed recently with Iraq and how much payment we shall have to make for that?

Mr. Speaker : That has been done.

Shri Ram Kanwar : The prices of petrol are increasing abroad. Are we going to adopt such measure as will enable us to meet the shortage by increasing the production capacity of petrol. Is the hon. Minister going to take any action in this direction?

Shri D. K. Barooah: According to the information with me; we do not import petrol. It does not appear that there is any concern of our country with the increase in prices of petrol in foreign countries.

Shri Ram Kanwar : We import some quantity of diesel. What are they doing in that direction?

Shri D. K. Barooah : Of course, we import some quantity of diesel. Our production of diesel has not declined. But the demand for diesel increased. Therefore, there was shortage of diesel and we import diesel. It is given in the statement that we import HSD and LDO.

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने गत वर्ष की सप्लाई की संभावनाओं के आधार पर मांग के आंकड़ दिये हैं । इस वर्ष देश में बिजली के उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए डीजल की मांग बढ़ रही है । समूचे देश में डीजल की भारी कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री देवकान्त बरुआ : जैसा कि मैंने कहा है कि उत्पादन में कमी नहीं हुई है परन्तु बिजली की कमी के कारण समूचे देश में डीजल की बहुत मांग है । भारत में अधिकांश राज्यों, विशेषकर उन राज्यों जो कृषि तथा उद्योग में आगे बढ़े हुए हैं, की डीजल की मांग है और उस मांग को पूरा करने के लिये हमें 1973 में 219,000 टन हाई स्पीड डीजल आयल और 3,85,000 लाइट डीजल आयल बाहर से मंगाना पड़ेगा । इसमें से सबसे अधिक, इस वर्ष हम विदेशों में डीजल खरीदने का प्रयास भी कर रहे हैं ताकि जितनी आवश्यकता है उसमें जो कमी है उसे पूरा किया जा सके ।

श्री बी० वी० नायक : क्या मंत्री महोदय को पता है कि बंगलौर जैसे कुछ बड़े शहरों में डीजल का अनौपचारिक रूप से 100 लीटर क्षमता वाले प्रति ट्रक के लिये लगभग 10-15 लीटर की दर से राशन किया गया है और डीजल की ऊंचे मूल्यों पर प्रारंभिक चोर बाजारी आरंभ हो गई है ?

श्री देवकान्त बरुआ : यह सच है कि डीजल की सर्वत्र कमी है । राज्य सरकार का यह उत्तर-दायित्व है कि यदि वह चाहे तो राशन करे परन्तु जब कभी भी कमी हो जाती है तो किसी न किसी प्रकार से अधिक मूल्य लिया जाना भी आरंभ हो जाता है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हमारे देश में उत्पादन अधिक करने के लिये क्या मंत्री महोदय की तट दूर खुदाई करने की कोई योजना है ?

श्री पीलू मोदी : गहरे समुद्र में खुदाई ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : नहीं, तट दूर खुदाई ।

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां ।

Assistance from Foreign countries for setting up Fertilizer Factories in Fifth Plan.

*751. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri C. T. Dhandapani :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3876 on the 20th March, 1973 regarding the setting up of fertilizer factories during the Fifth Plan and state :

(a) whether Government propose to set up 11 fertilizer factories during the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the extent of assistance from foreign countries sought or required for the setting up of the fertilizer factories during the Fifth Plan indicating the names of the countries from which the assistance is being sought; and

(c) the likely production capacity of these factories?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता से संबंधित ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 1978-79 तक होने वाली अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये लगभग 10-12 नये संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे ।

(ख) मैसर्स इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड ने जापान के सहयोग एवं ऋण से पांच उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं। इन संयंत्रों के लिये 220 मिलियन डालरों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होने का अनुमान है। इस बारे में आवश्यक ऋण संबंधी सुविधाएं मुहैया करने के लिये जापान सरकार से अनुरोध किया गया है।

वित्तीय व्यवस्था के लिये संभव संसाधनों के साथ-साथ शेष उर्वरक संयंत्रों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के ब्यौरे अलग से तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) नये संयंत्रों के लिये, इस समय, अन्तर्देशीय स्थानों में प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया तथा तटीय स्थानों में प्रतिदिन 1300 मीटरी टन अमोनिया की क्षमता परिकल्पित है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has said that 10 to 12 plants would have to be set up. There is no certain reply as to whether 10 plants will be set up or 12 will be set up. May I know whether no other country except Japan has given assurance to extend help and for how many plants Japan has given assurance to help the Government? May I know whether the Government have capacity to set up 10 or 12 plants indigenously in case help is not extended by other countries except Japan?

Shri D. K. Barooah: The hon. Member has asked whether discussion has taken place in this regard with other countries except Japan. I say discussion has taken place......

Shri Bibhuti Mishra : Which those countries?

Shri D.K. Barooah : Discussion has not been held with the U.K. and it is going on with Simon Carves, Humphreys, Glassgow and French Institute of Petroleum. Two or three other countries have also shown some interest in this regard. But at this stage it is difficult to say something about it.

Secondly, out of 10 or 12 plants to be set up, this number may be 10 or 12 or 11. So far as the question of setting up of these plants indigenously is concerned, we have technology in this regard. But for these 10-12 new plants, new technology, resources and foreign exchange are required. Therefore, we want to set up these plants by integrating our own technology with foreign technology.

Shri Bibhuti Mishra : The Government has agreed to hold a discussion on the Fifth Five Year Plan next month in this House. Keeping in view the Government's expected agricultural production during the next Five Year Plan, the work of setting up of fertilizer plants should be started immediately. Mr. Speaker, Sir, you might also have experience in this regard because Punjab is on the top in respect of agriculture in India. Keeping in view the quantum of fertilizers with us and the capacity we want to produce a particular quantum of fertilizers, may I know whether these plans devised by the Government are only on paper or real plans? If they are real, by what time they are thinking to make the Fifth Five Year Plan a success by producing fertilizers through this Plan?

Shri D. K. Barooah : The Fifth Five Year Plan has not yet started ...

Shri Bibhuti Mishra : It will start next year.

Shri D. K. Barooah : Of course, it will start next year. The principle decided for it is that it will be started as envisaged in the Fifth Year Plan. When the period of five years is determined, I think, it will be completed in five years.

श्री मोहनराज कलिंगारायर : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन 10,11,12 या 13 उर्वरक संयंत्रों में से, जिन्हें स्थापित किया जायेगा, किन-किन राज्यों में ये उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे और तमिलनाडु में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ?

श्री देवकान्त बरुआ : इस समय तो हमने पांच ही योजना बनाई हैं । इन पांच में से तीन संयंत्र मथुरा तेल शोधक कारखाने द्वारा उत्पादित इंधन तेल पर आधारित होंगे । एक तो मथुरा में लगाया जायेगा, दूसरा पंजाब में भटिंडा में लगाया जायेगा और तीसरा हरियाणा में या तो करनाल में या पानीपत में लगाया जायेगा ।

दो संयंत्र समुद्र तट पर लगाये जायेंगे और जिसके लिये हमें पता लगा है कि पूर्वी तट को अधिक उर्वरक संयंत्रों की आवश्यकता है । अतः एक संयंत्र पारादीप, जो एक अच्छा पत्तन है, में लगाने का निर्णय किया गया है । दूसरे के लिये काकीनाडा एक ऐसा नाम है जिसके लिये काफी विचार किया जा रहा है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या सरकार पांचवीं योजना के अन्त में उर्वरकों की आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में होगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : मैं समझता हूं कि वह दिन प्रसन्नता का दिन होगा जिस दिन उर्वरकों की सप्लाई आवश्यकता से पीछे रह जायेगी क्योंकि वह इस बात का द्योतक होगा कि हमारे कृषक सक्रिय हैं और इतने प्रगतिशील हो गए हैं कि उनकी मांगों को पूरा करना कठिन होगा ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : वह तो सरकार की अकार्यकुशलता का परिचायक होगा ।

श्री देवकान्त बरुआ : यह आवश्यक नहीं है । यह इस बात का परिचायक है कि हमारे कृषक सक्रिय और प्रगतिशील हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि एक संयंत्र पारादीप पत्तन में स्थापित किया जायेगा । इसकी वार्षिक क्षमता क्या होगी और इसका निर्माण कब आरंभ होगा ।

श्री देवकान्त बरुआ : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि तटवर्ती उर्वरक कारखाना प्रति दिन 1,300 टन अमोनिया उत्पादित करेगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : भारत सरकार की नीति और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के सम्बन्ध में उसकी पहुंच को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस मामले में कुछ उर्वरक कारखाने देश के पिछड़े क्षेत्रों और एक कारखाना उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में स्थापित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे ?

श्री देवकान्त बरुआ : निश्चय ही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने सम्बन्धी आवश्यकता ऐसी है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तरी बंगाल उन्नत पश्चिमी बंगाल राज्य का कुछ पिछड़ा हुआ भाग हैं ।

श्री समर गुह : आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने सम्बन्धी हमारी पांचवीं योजना के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सफलता पूर्वक विकसित की गई तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और डिजाइन क्षमता, तथा 'टेक्नोक्रेट' प्रबन्ध का उपयोग, इसके पहले कि विदेशी सहयोग कर्त्ताओं से विदेशी सहायता ली जाये जैसा कि 'टोयो' के मामले में किया गया है, करने जा रही है और उर्वरक निगम के योजना और विकास प्रभाग का भी उपयोग करेगी ?

श्री देवकान्त बरुआ : जी हां, ।

Shri Nathu Ram Mirdha : As the hon. Minister has said about the setting up of 10-12 units, may I know whether they have considered to utilize the large deposits to rock phosphate and pyrites? To-day phosphate fertilizers are imported, has it been kept in view to utilize these minerals in Rajasthan in order to stop their import?

Shri D. K. Barooah : A special discussion is going on about the rock-phosphate. No doubt, there are large deposits of rock-phosphate and pyrites in Rajasthan but it is difficult to say something at this stage as to what shape this work will take.

रेल कर्मचारियों को अनाज की फसलें उगाने के लिए रेलवे लाइन के दोनों ओर की भूमि पट्टे पर देना

*752. **श्री जे० जी० कदम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री ने लोक सभा में यह घोषणा कि थी कि रेलवे लाइनों के साथ-साथ की परती भूमि अनाज की फसलें उगाने के लिए अस्थायी पट्टे पर रेल कर्मचारियों को दी जायगी ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में कितने हेक्टर भूमि पट्टे पर दी गई थी और कितने कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है ; और

(ग) इस योजना के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, भूतपूर्व रेल मंत्री ने घोषित किया था कि रेलवे की कृषि योग्य फालतू जमीन को रेल कर्मचारियों के नाम आबंटित करके अधिक अन्न उपजाने के और अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जायेगा ?

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

श्री जे० जी० कदम : मंत्री महोदय को सूचना सभा-पटल पर रखने में कितना समय लगेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता परन्तु अगले सत्र के आरंभ में रखी जा सकती है ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that inspite of the announcement made by the former Minister of Railways such land was given on lease to non-railway employees during 1971-72 and 1972-73? If so, what is the justification of it?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It may be that such land might have been given to the persons who are not railway employees. Undoubtedly, some lands have been given to state Governments which have used them and have given some lands to the persons who are not railway employees.

Shri Shankar Dayal Singh : The announcement made by the former Minister of Railways covered only railway workers and employees. Why does not the Government give such land to those who are landless nor are they employed anywhere?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Whatever the surplus land is available with the Railways at this time and which is unutilized, we are considering to give preferences to those agricultural graduates who have just came out from the Universities and who have not got any job, in the matter of giving that surplus land. If they want they can take the land of railways. After that, this land should be given to the landless, they can also use this land hastly, if the railway employees are eager to use that land, they can use.

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : खेतिहर भूमिहीनों आदि को कितनी भूमि देने का निर्णय किया गया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : लगभग 35,531 एकड़।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : क्या रेल मंत्री रेलवे की फालतू भूमि को खेतिहर भूमि मजदूरों को पट्टे पर देने का विचार कर रहे हैं या नहीं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : इस समय वर्तमान नीति से अलग होने सम्बन्धी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the Government have received any such complaint that some of the officers are having possession on the land taken in the name if their subordinates and they themselves take whole of the crop?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : No such complaint has been received.

Shri Onkar Lal Berwa : A railway employee is given one and a half *bigha* of land while they are having twenty *bighas* of land.

श्री माधुर्य्य हलादार : गत वर्ष जबकि श्री बाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया था तो तत्कालीन रेल मंत्री श्री हनुमंतैया ने कहा था कि रेलवे लाइन के आस-पास की खेती योग्य भूमि को स्थानीय भूमिहीनों में तो विनरित किया जायेगा परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातयों को प्राथमिकता दी जायगी।

अब रेल मंत्री श्री कुरेशी हमें अलग ही कहानी बता रहे हैं। क्या यह नीति है कि रेलवे के कर्मचारी रेलवे स्टेशन के आस-पास पड़ी कृषि योग्य भूमि को पट्टे पर ले रहे हैं। वे इसे ऊंची दर अर्थात् 100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पट्टे पर दे रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस नोति को बदल दिया है या नहीं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कुल 1,17,000 एकड़ भूमि में से रेलवे ने रेल कर्मचारियों को लगभग 32,163 एकड़ भूमि दी हैं। हम खुद लोगों को प्राथमिकता देते हैं, यदि वे अपने घर के निकट भूमि लेना चाहें : जहां तक रेलवे के पास पड़ी भूमि का सम्बन्ध है, नीति यह है कि हम उन बेरोजगार कृषि स्नातकों, भूमिहीन लोगों और रेल कर्मचारियों को प्राथमिकता देंगे जो खेती करना चाहते हैं।

विदेशी औषध निर्माता कंपनियों द्वारा उत्पादन में विविधता लाना

*753. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विदेशी औषध-निर्माता फर्मों को भारत में जीवनोपयोगी औषधियों के निर्माण के लिये प्राथमिकता क्षेत्र में अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) क्या इनमें से कुछ कम्पनियां अब अपने उत्पादन में विविधता ले आई हैं ; और वे अब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है जो अत्यावश्यक नहीं है ; और

(ग) क्या गैर-अत्यावश्यक औषधों के उत्पादन के परिणामस्वरूप इन कम्पनियों का लाभ बढ़ गया है और इसके साथ ही विदेशों में भेजे जाने वाले धन में वृद्धि हुई है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) से (ग): एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

फरवरी, 1970 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग के प्रयोजनों के लिये उद्योगों को 'प्राथमिक' अथवा अप्राथमिक इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया गया था। औद्योगिक लाइसेंसिंग के प्रयोजनों के लिये उन्हें (1) महत्वपूर्ण उद्योग और (2) मूल उद्योग इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इन दो श्रेणियों के अतिरिक्त कुछ उद्योगों को जिन्हें मूल उद्योग या महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं किया गया था, प्राथमिक उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्राथमिक उद्योगों में उनका समावेश है जिनको पूंजीगत माल आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त नीति के अनुसार, आवश्यक औषधि और भेषज (मध्यवर्ती और गर्भनिरोधन सहित) मूल उद्योगों की सूची में सम्मिलित है।

संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत जो 16 फरवरी, 1973 से लागू हो गई, विदेशी कंपनियों उनके शाखाओं या सहायक कंपनियों, अथवा उन कम्पनियों के सभी उद्यमों जिनकी 50 से अधिक प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कंपनियों उनकी शाखाओं या सहायक कंपनियों या विदेशी राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों या अनावासी भारतियों के पास हैं, के लिए यह आवश्यक है कि वे इस अधिसूचना के जारी किये जाने के तारीख से छः महीने के अंदर औद्योगिक लाइसेंस ले लें। औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा 17—7—70 की उनकी अधिसूचना में घोषित विविधिकरण नीति के अन्तर्गत विविधिकरण के लिए विदेशी फर्में पात्र नहीं हैं। बहुत सी औषधि निर्माण करने वाली अभेषजीय वस्तुएं बनाती हैं जिनके लिए उन्होंने वैध लाइसेंसों का पहले ही विविधिकरण कर दिया है।

वर्तमान में, औषधि और दवाइयों का मूल्य औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियन्त्रित होता है। यह आशा है कि कम्पनी के लाभों में वृद्धि मुख्यतः अभेषजीय कार्यकलापों के कारण

हुई है। परन्तु जहां तक औषधि और भेषज का संबंध है, 34 विदेशी फर्मों के कार्यों का मूल्यांकन निम्नलिखित तथ्य प्रकट करती है :–

	1969	1971
फार्मूलेशन्स के कुल विक्रय पर लाभप्रदता	18.90%	11.10%
लगी पूंजी पर लाभप्रदता	19.09%	16.48%

औषधि निर्माण में लगी विदेशी फर्मों द्वारा 1969, 1970 और 1971 में विदेशों में भेजी गई पूंजी के बारे में सूचना 27–2–1973 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1191 के उत्तर में दी जा चुकी है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या 17 जुलाई, 1970 की अधिसूचना के अनुसार जो विदेशी औषध-निर्माता फर्में विविधना लाने की पात्र नहीं हैं, यदि वे औषध-निर्माता फर्में पहले विविधता न लाई हों, को नियमित कर दिया गया है? यदि नहीं तो विविधता लाने को रोकने के लिये पहले क्या कार्यवाही की गई थी?

श्री देवकान्त बरुआ : एक निर्णय किया गया था कि किसी प्रकार की विविधता लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पहले हमने किसी प्रकार की विविधता नहीं लाने दी थी। औषध मदों के अलावा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करके उदार-नीति का लाभ उठाने के लिये कार्यवाही की गई थी। पुनरीक्षित नीति के अनुसार बड़े व्यावसायिक गृहों, विदेशी कम्पनियों अथवा उनकी सहायक कम्पनियों के अथवा उनके नियन्त्रण वाले उपक्रम बिना उचित और वैध औद्योगिक लाइसेंस की विविधता नहीं ला सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले कुछ फर्में थीं। अतः हमने इस पर नियन्त्रण कर लिया है और हम इस प्रश्न की जांच करना चाहेंगे कि क्या हम यह कोशिश कर सकते हैं या नहीं कि पहले से लाई गई विविधता को कम किया जाय।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मेरा प्रश्न यह था कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत सरकार ने विविधता लाने पर 17 जुलाई 1970 से रोक लगा दी है। जिन औषध निर्माता फर्मों ने पहले ही अन्य वस्तुएं उत्पादित की थीं उनका क्या किया गया? क्या उनको नियमित कर दिया गया या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है?

श्री देवकान्त बरुआ : उनको कहा गया है कि वे उसके लिए उचित बैध औद्योगिक लाइसेंस लें।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : वे 'टैल्कम-पाऊडर' 'च्वेइंग गम' और 'एनर्जी टैबलेट्स' आदि बना रहे क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही को गई है या नहीं?

श्री देवकान्त बरुआ : इस प्रश्न को जांच की जायेगी। मैं समझता हूं कि उन्हें इसके लिये वैध लाइसेंस लेने को कहा गया है।

श्री के० एस० चावड़ा : औषध के अलावा मदों पर विदेशी कम्पनियों द्वारा कमाये जाने वाले भारी लाभ को कम करने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार इन औषध के अलावा अन्य मदों के मूल्यों पर नियंत्रण करने का है ?

श्री देवकान्त बरुआ : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा ।

एकाधिकार गृहों के नियन्त्रक हित वाली कम्पनियां

***755. श्री बी० वी० नायक :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितनी कम्पनियों में एकाधिकार गृहों के नियन्त्रक हित हैं ; और

(ख) उनके तुलन-पत्रों के अनुसार इन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य कितना है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

विवरण

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम या कोई अन्य विधान में 'एकाधिकार गृह' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है । सम्भवतः माननीय सदस्य के विचार में एकाधिकारी एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के सम्बन्ध में जो उपक्रम आच्छादित हैं, वे हैं । यह निर्दिष्ट किया जा सकता है कि 2 फरवरी, 1973 को उद्घोषित नव औद्योगिक लाइसेंस नीति में भी यह उल्लेख है कि 1969 में, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में अभि-गृहीत के साथ, बड़े औद्योगिक गृहों के लिये लाइसेंस प्रतिबन्धों के लिये अभिगृहीत की जाने वाली परि-भाषा, समग्र रूप में, एक रूप होनी चाहिये । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 में उल्लिखित है कि वे उपक्रम जो इस अधिनियम अध्याय 3 के उपबन्धों द्वारा आच्छादित हैं । इसके अनुसार यह अध्याय निम्न प्रकार लागू होता है ।

(क) एक उपक्रम का अगर कुल मूल्य

(i) उसके स्वयं को परिसम्पत्तियों

(ii) अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों को परिसम्पत्तियों सहित उसके स्वयं की परिसम्पत्तियां रू० 20 करोड़ से कम नहीं हों ; और

(ख) एक प्रमुख उपक्रम जिसकी परिसम्पत्तियां या उसके समस्त अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों की परिसम्पत्तियों के मूल्य की कुल राशि एक करोड़ रुपयों से कम नहीं हों ।

यह भी महत्वपूर्ण है कि यह धारा भी 'एकाधिकार गृह' शब्द का प्रयोग न करके केवल "अन्त : सम्बन्धित उपक्रम" की अभिव्यक्ति ही करती है । प्रत्येक उपक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार के पास जो अधिनियम की धारा 20 द्वारा आच्छादित है इस अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकरण कराना कानूनी रूप से बाध्यकर है । इन उपबन्धों के अनुसार अभी तक 902 उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार के पास अपने को पंजीकृत कराया है । इसमें से 59 उपक्रमों के पंजी-करण, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत

निरस्त कर दिये गये हैं। अतः उपक्रमों की कुल संख्या जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत आज तक पंजीकृत है, 843 है। इन उपक्रमों की परिसम्पत्तियों के मूल्य की कुल राशि उनके तुलन-पत्र में यथा-प्रदर्शित रु० 4,800 करोड़ के लगभग है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा तैयार की गई बड़े औद्योगिक गृहों की सूची के अनुसार 48 गृह थे, जिनकी परिसम्पत्तियां रु० 20 करोड़ या अधिक थी और जिन्होंने प्रथम दृष्टि में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों को प्रभावित किया। 843 उपक्रमों में से जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा, 26 के अंतर्गत पंजीकृत है में 657 इन 48 औद्योगिक गृहों से संबंधित ज्ञातव्य हैं। इन 657 उपक्रमों की परिसम्पत्तियां रु० 3,637 करोड़ के लगभग है।

श्री बी० वी० नायक : विवरण से मुझे पता चला है कि 657 उपक्रमों की कुल परिसम्पत्तियां लगभग 3,637 करोड़ रुपये दिखाई गई हैं। क्या इन 48 बड़े औद्योगिक गृहों का कोई वर्गीकरण संभव है कि कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब ?

श्री डी० आर० चव्हाण : वैसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

श्री बी० वी० नायक : मैंने पूछा है कि क्या वर्गीकरण संभव है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : हम इसकी जांच करेंगे।

श्री बी० वी० नायक : मैं मानता हूँ कि उन्होंने इसका उत्तर 'हां' कहा है और ऐसा किया जायेगा। क्या मंत्री महोदय को जहाजरानी उद्योग और राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड द्वारा दिए गए सुझाव की जानकारी है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में बड़े औद्योगिक गृहों की कोटि के अन्तर्गत आने वाली जहाजरानी कम्पनियों के लिये अधिनियम में छूट होनी चाहिये ? यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री डी० आर० चव्हाण : पूर्ण छूट के लिये की गई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है परन्तु जहां तक संभव है, जहाजरानी उद्योग से प्राप्त प्रस्तावों को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को नहीं भेजा गया है ?

Shri Jharkhande Rai : May I know whether the Government is in a position to give this information whether the number of monopoly houses, which is 75 according to the Monopoly Commission, has increased. If so the extent thereof?

श्री डी० आर० चव्हाण : इस संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या धारा 27 के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है कि 48 बड़े औद्योगिक गृहों के हाथों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो सके।

श्री डी० आर० चव्हाण : जी, नहीं। धारा 27 के अन्तर्गत कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक अन्य धाराओं का सम्बन्ध है, जिनका सम्बन्ध उपक्रम की संस्थापना और प्रसार से है, धारा 21 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई है और जहां आवश्यक होता है, ऐसे मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को सौंपा जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*743. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान किये गये वाउचरों के पुराने रिकार्ड में हेर फेर करने के बारे में रेलवे प्रशासन को डिवीजनल लेखा कार्यालय उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध एक संसद सदस्य से फरवरी, 1973 में शिकायत मिली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच पड़ताल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी हां।

(ख) जांच-पड़ताल अभी हो रही है।

(ग) अभी प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई और बिछाई गई जोन-वार रेलवे लाइनों की लम्बाई

*746. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और वित्त वर्ष 1972–73 के अन्त तक, रेलवे के नौ जोनों में अलग-अलग, रेलवे लाइनों की किलोमीटरों में कुल कितनी-कितनी लम्बाई थी ; और

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त प्रत्येक जोन में कुल कितने-कितने किलोमीटर लम्बाई की रेलवे लाईनें (1) मंजूर की गई, और (2) बनाई गई ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में और वित्तीय वर्ष 1972–73 के अन्त में क्षेत्रीय रेलों पर रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई इस प्रकार थी :—

रेलवे	तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् 31 मार्च, 1966 को	वित्तीय वर्ष 1972-73 के अन्त में अर्थात् 31 मार्च, 1973 को
मध्य	8,910	6,020
पूर्व	4,040	4,217
उत्तर	10,408	10,698
पूर्वोत्तर	4,961	4,976
पूर्वोत्तर सीमा . . .	3,621	3,625
दक्षिण . . .	10,221	7,472
दक्षिण-मध्य . .	*	6,173
दक्षिण-पूर्व . .	6,282	6,842
पश्चिम . .	9,955	10,147
जोड़	58,398	60,170

*यह क्षेत्र मध्य और दक्षिण रेलों के कुछ भाग लेकर 2 अक्तूबर, 1966 को बनाया गया था।

(ख) चौथी योजना में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर बनायी गयी और स्वीकृत रेलवे लाइनों की किलोमीटरों में कुल लम्बाई इस प्रकार है :-

रेलवे	बनायी गई (कि० मी०)	स्वीकृत की गयी (कि० मी०)
मध्य	254.26	117.72
पूर्व	57.56	--
उत्तर	104.66	--
दक्षिण	25.86	380.00
दक्षिण-पूर्व	--	154.01*
पश्चिम	100.75	253.02

*इसमें (69.70 कि० मी० लम्बी) हल्दिया रेल सम्पर्क लाइन शामिल है, जिसका 59.45 कि० मी० लम्बा मार्ग जनवरी, 1969 में यातायात के लिए खोला गया था।

इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बड़ौदा के निकट कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया जाना

*747. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बड़ौदा के निकट पोलीबुटाडियन्स कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस पर कुछ विदेशी मुद्रा खर्च होगी और इसमें किसी अन्य देश का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 20,000 मीटरी टन की वार्षिक क्षमता सहित इस संयंत्र पर 13.50 करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय होना निहित है ; जिसमें 3.43 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा अंश सम्मिलित है। निगम ने स्वीटरजरलैण्ड के मैसर्स पोलिएस्टर इंटरनेशनल के साथ, प्रक्रिया जानकारी, बेसिक इंजीनियरिंग और विशेषज्ञ सहायता के लिए एक विदेशी सहयोग करार किया है। यह गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की नेफ्था क्रैकर परियोजना का एक अनुप्रवाही यूनिट (डाउन स्ट्रीम) है। इसके मई-नवम्बर, 1975 में मुकम्मल होने की आशा है। यह कारखाना प्रति वर्ष 20,000 मीटरी टन पोलि बुटाडाईन संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन करेगा।

कांगड़ा वैली रेलवे लाइन का मार्ग बदलने के परिणामस्वरूप धार्मिक स्थानों को संरक्षण

*748. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में व्यास बांध (पोंग बांध) के निर्माण के परिणामस्वरूप कांगड़ा वैली रेलवे लाइन को जवानवाला शहर स्टेशन से मोड़ा जा रहा है ;

(ख) क्या जवानवाला शहर स्टेशन के निकट डेहर खंड पर एक रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जवाली गांव के हरिद्वार स्थान पर बहुत से धार्मिक स्थानों और विभिन्न देवी-देवताओं के मंदिरों को हानि पहुंची है ; और

(ग) सरकार ने इन धार्मिक स्थानों के संरक्षण के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस मार्ग परिवर्तन के संबंध में डहर खंड पर एक रेलवे पुल बनाया जा रहा है। लेकिन इसमे किसी धार्मिक स्थान या मंदिर को क्षति नहीं होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांच उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये इटली की फर्म का प्रस्ताव

*749. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांच उर्वरक कारखाने स्थापित करने में सहयोग करने के लिए इटली की एक फर्म मै० स्नेम प्रोजक्टी से एक प्रस्ताव भारतीय उर्वरक निगम को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य शर्तें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स स्नाम प्रोगेटी ने भारतीय उर्वरक निगम को एक, तीन या चार संयंत्रों, जिनम से प्रत्यक की उत्पादन क्षमता 900 मीटरी टन/प्रतिदिन एमोनिया, तथा 1000 मीटरी टन/प्रतिदिन यूरिया की होगी, की स्थापना हेतु सहायता देन का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा भारतीय उर्वरक निगम के विशेषज्ञों का एक दल स्नाम प्रोगेटी के यूरिया संयंत्रों में से किसी एक संयंत्र को देखने तथा आगे विचार-विमर्श करने के लिए शीघ्र ही इटली की यात्रा करेगा।

चतुर्थ योजना में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लागत अनुमानों में वृद्धि

*754. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना में सम्मिलित अनेक सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लागत अनुमानों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इन परियोजनाओं को पूरा करने में मितव्ययता बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) चौथी योजना में चलने वाली तथा अभी भी निर्माणाधीन 59 बृहत् सिंचाई स्कीमों पर कुल लागत का अनुमान इस समय लगभग 2700 करोड़ रुपये है । स्वीकृति के समय की लागत की तुलना में प्रतिशत वृद्धि लगभग 112% है । निर्माणाधीन 50 ताप और जल-विद्युत स्कीमों की लागत का अनुमान इस समय लगभग 1500 करोड़ रुपये है । स्वीकृति के समय की लागत की तुलना में प्रतिशत वृद्धि लगभग 60% है ।

(ग) लागत संबंधी अनुमानों में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से निम्नलिखित है :—

(1) चौथी योजना तैयार करते समय राज्य सरकारों द्वारा कुछ परियोजनाओं की संशोधित लागतों का निर्धारण न किया जाना, जबकि उस समय उनके संशोधन आवश्यक हो गए थे ।

(2) धन के अभाव के कारण निर्माण अवधि में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप पूर्ण होने की लम्बी अवधि, जबकि कीमतें बढ़ जाती हैं और स्थापना को बनाए रखा जाता है ।

(3) निर्माण सामग्री और मजदूरी की लागत में निरन्तर वृद्धि ।

(4) कुछ मामलों में अपर्याप्त अन्वेषण ।

(5) मूल अनुमानों में अपर्याप्त प्रावधान ।

(6) अनुमानों की स्वीकृति के बाद, लाभों में वृद्धि करने के लिए परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन ।

(7) अतिरिक्त आवश्यकताओं तथा कार्यों सहित, अभिकल्प, विशिष्टियों, विस्तृत अनुमानों. विस्तृत आयोजन आदि में परिवर्तन ।

(8) भूमि अधिग्रहण की दरों में वृद्धि ।

(9) पुनर्वास उपायों की लागत में वृद्धि तथा ऐसे उपायों के परिमापों में वृद्धि ।

(10) उपस्करों का अपर्याप्त कार्य और प्राप्ति संबंधी समस्याएं ।

(11) महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों जैसे सीमेंट, इस्पात, निर्माण उपस्कर की कमी, जिसके कारण कार्यान्वियन में विलम्ब हुआ

राज्य सरकारों को सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि परियोजनाओं के निर्माण पर कड़ी निगरानी रखी जा सके । राज्य सरकारों को लागत नियंत्रण एककों के स्थापित करने की भी सलाह दी गई है जो चालू लागतों के बारे में सूचना एकत्रित करेंगे और कीमतें बढ़ जाने की स्थिति में उपचारी उपाय करेंगे । परियोजना संबंधी प्राक्कलन तैयार करने से पहले अधिक विस्तृत अनुसंधान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है । सीमेंट को कम करने के लिए पुजोलोना जैसे मिश्रणों का प्रयोग किया जाता है । कंक्रीट की उच्चतर लागत को कम करने के लिए जहां-कहीं व्यवहार्य हो निर्माण-कार्य चिनाई द्वारा निर्मित किए जाते हैं । बढ़ रही कीमतों के

प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया गया है और उनकी रिपोर्ट निकट भविष्य में प्राप्त होने की आशा है ।

Rules for distribution of fertilizers laid down by fertilizer corporation of India

*756. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the general rules laid down by the Fertilizer Corporation of India for appointing authorised agents, distributions or sellers for the distribution of Chemical fertilizers; and

(b) the names of places where such distributors, agents or sellers have been appointed at present?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D.K. Borooah) : (a) The general procedure for appointing dealers by the Fertilizer Corporation of India is as follows :—

(1) FCI generally has a dealer for an area with active demand for FCI products to the extent of 2,000 M.T. per annum. In intensive coverage area a block or taluk could be the area of operation for a dealer. In extensive coverage area district or even a group of districts could be the area.

(2) When new dealers are to be appointed advertisements are issued in the Regional Press (English and Local languages) indicating the minimum qualifications for dealership and formal applications obtained on the form prescribed.

(3) No application fee is charged.

(4) Ad hoc appointments are not advertised, but suitable candidates recommended by field staff in consultation with local officers of the Department of Agriculture, are appointed.

(5) The prescribed application form is used for collecting data of parties interested.

(6) References including Bank reference is verified.

(7) Report from DAO/BDO is also obtained, or a representative of the State Government is associated at the time of interview.

(8) Spot verification of reputation and godown facilities by an officer not below the rank of Sales Officer is done wherever necessary.

(9) Selection Committees have Zonal Manager/Marketing Manager/General Manager as Chairman and one Officer each from Marketing and Finance as Members.

(10) Final decision of selection is made by the General Manager/Zonal Manager.

(11) Standard Agreement as prescribed should be executed by every dealer on appointment.

(12) Appointments are initially limited to a period of two years with provisions for termination on three months notice from either side; and

(13) Security Deposit of Rs. 2,500 is collected.

The Fertiliser Corporation of India also appoints unemployed graduates and disabled service personnel of 1971 Indo-Pak was as their dealers, in whose cases all the above mentioned conditions are not insisted upon.

(b) The Fertiliser Corporation of India have at present over 2,000 dealers distributed all over the country. The time and labour involved in collecting the names of places where these dealers have been appointed will not be commensurate with the benefits that may be derived out of it.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ बेंच के वकीलों में विवाद

*757. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की और उसकी लखनऊ बेंच की अधिकारिता के बारे में इलाहाबाद और लखनऊ के वकीलों में गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विवाद हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) यह सच है कि ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया है और मामले की राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, जांच की जा रही है ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाना

*758. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री समर गुह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने के बारे में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3774 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा को ब्रह्मपुत्र से मिलाने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा और इससे क्या लाभ होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) गंगा का ब्रह्मपुत्र के साथ सम्पर्क करने की स्कीम पर अभी विचार किया जा रहा है । ऐसी अवस्था में इस स्कीम का ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि उसको अभी तैयार किया जाना है ।

Electrification of villages in Madhya Pradesh

*759. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the percentage of villages electrified in Madhya Pradesh so far and the percentage of population benefitted thereby; and

(b) the arrangements made by Government to electrify backward areas of Madhya Pradesh where Adivasis live in large numbers?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Out of 70,414 villages in Madhya Pradesh, 9,573 villages had been electrified as on 31-1-73 representing 13.6 per cent. About 25 per cent of the rural population is thus benefitted; and

(b) Programmes for rural electrification are drawn up and implemented by the various State Governments and as such no separate programme has been drawn up by the Government of India to extend electricity to backward areas of Madhya Pradesh. The Rural Electrification Corporation which has been set up in Central Sector in July, 1969, provides additive finances to the State Electricity Boards for implementation of their Rural Electrification Schemes. The Corporation has so far sanctioned 40 rural electrification schemes of Madhya Pradesh envisaging loan assistance of Rs. 1848.296 lakhs for the electrification of 1,912 villages, energisation of 64,551 pump-sets and power supply to 3,971 small scale and agro-industries. Out of these 6 schemes include areas where Adivasis live in large numbers.

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मैसूर को आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए अनुदान

*760. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए मैसूर राज्य को अनुदान देने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं, जिनके लिए अनुदान दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो कि केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किया गया था, राज्य बिजली बोर्डों के लिए अपनी ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए योगात्मक वित्तीय व्यवस्था करता है। निगम ने 1,311 गांवों के विद्युतीकरण तथा 19,032 पम्प सैटों के ऊर्जन के लिए 1127.90 लाख रुपये की ऋण सहायता से मैसूर राज्य की 23 स्कीमें, जिसमें एक ग्रामीण बिजली सहकारिता भी सम्मिलित है, स्वीकृत की है। इनमें से 6 स्कीमें बीजापुर, गुलबर्ग, धारवाड़, बीदार तथा बेल्लारी जिलों में 'पिछड़े क्षेत्रों' से संबंधित हैं।

मैसूर राज्य बिजली बोर्ड ने अब तक आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए कोई योजना प्रायोजित नहीं की है।

मैसर्स श्रीराम विनायल्स द्वारा एक प्रमुख औद्योगिक एकक को पी० वी० सी० रेसिन्स की सप्लाई

7180. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स श्रीराम विनायल्स ने जो पी० वी० सी० रेसिन्स की सप्लाई, पी० वी० सी० चमड़े के कपड़े के निर्माण और निर्यात में रत एक प्रमुख औद्योगिक एकक को करता आ रहा था, इस कच्चे माल की सप्लाई अब अचानक रोक दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) एक प्रमुख विनिर्माता तथा पी० वी० सी० चमड़े के कपड़े के निर्यातकर्ता ने मैसर्स श्रीराम कैमिकल इंडस्ट्रीज द्वारा

उनके यूनिट को की गई पी० वी० सी० रेसिन्स की अपर्याप्त एवं अनियमित सप्लाई के बारे में हाल ही में सरकार को एक अभ्यावेदन किया है । इस उपक्रम ने व्यक्त किया है कि नवम्बर, 1972 से मैसर्स श्रीराम कैमिकल इंडस्ट्रीज ने उन्हें पी० वी० सी० रेजिन्स की कोई मात्रा सप्लाई नहीं की है । सरकार ने मैसर्स श्रीराम कैमिकल इंडस्ट्रीज के साथ लिखा पढ़ी शुरू की है ।

विदेशी आधिपत्य वाली औषध निर्माता कंपनियों की सेवा में विदेशी तकनीशियन

7181. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी आधिपत्य वाली औषध निर्माता कंपनियों में कितने विदेशी तकनीशियन काम करते हैं ; और

(ख) उक्त कंपनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक विदेशी तकनीशियन को वेतन तथा अन्य उपलब्धियों के रूप में क्या दिया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

Malaviya Committee Report on O. & N.G.C.

7182. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Report submitted by Malaviya Committee in regard to reorganisation of Oil and Natural Gas Commission has since been considered by Government; and

(b) if so, the recommendations accepted by Government and the efforts made for implementation thereof and if not, the approximate time by which it would be considered?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) The consideration of the Report by the Government is in progress and nearing completion. It is hoped that the decisions of the Government on the various recommendations would be finalised shortly.

रेलवे रिसर्च, डिजाइन स्टैन्डर्डज आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या बढ़ाना

7184. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टेन्डर्डज आर्गेनाइजेशन में दूसरी श्रेणी तक के कुल कितने स्थायी और अस्थायी अधिकारी हैं ;

(ख) उक्त आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) उक्त आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में 162 स्थायी अधिकारी और 106 अस्थायी अधिकारी हैं । इनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का है ।

(ग) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन एक अत्यधिक तकनीकी संगठन है जो भारतीय रेल संबंधी अनुसंधान और अभिकल्प कार्य में लगा है । इस संगठन में अधिकांश राजपत्रित पदों को कार्यकाल के आधार पर रेलों से उपयक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण करके भरा जाता है । लेकिन इस संगठन में अधिकारियों की नियुक्ति करते समय कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये वर्तमान आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावों पर यथोचित विचार किया जाता है ।

रेलवे बोर्ड में लेखागारों, सहायकों लिपिकों और स्टेनोग्राफरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बढ़ाना

7185. **श्री ए० एस० कस्तूरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में कुल कितने स्थायी एवं अस्थायी लेखाकार, सहायक लिपिक तथा स्टेनोग्राफर हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड की सिलबन्दी में उक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) **इस समय प्रवर्तित और भरे गये पद**

कोटि	**स्थायी**	**अस्थायी**
1. लेखाकार	16	15
2. सहायक	395	97
3. उच्च श्रेणी लिपिक	95	62
4. निम्न श्रेणी लिपिक	205	60
5. आशुलिपिक ग्रेड II	153	44
6. आशुलिपिक ग्रेड III	74	37

(ख)

कोटि	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**
1. लेखाकार	..	..
2. सहायक	84	5
3. उच्च श्रेणी लिपिक	10	..
4. निम्न श्रेणी लिपिक	35	6
5. आशुलिपिक ग्रेड II	12	..
6. आशुलिपिक ग्रेड III	12	..

(ग) बोर्ड के कार्यालय में लेखाकारों की नियुक्ति क्षेत्रीय रेलों में काम करने वाले उसी ग्रेड के उपयुक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा की जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त लेखाकारों ने बोर्ड कार्यालय में स्थानान्तरण के लिए स्वयं को पेश नहीं किया है। सहायकों और आशुलिपिक ग्रेड II के पद या तो संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या निचले ग्रेडों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। उच्च श्रेणी लिपिकों के पद निम्न श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

सीधी नियुक्तियों में कमी का कारण यह है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा के परिणामों के आधार पर अपर्याप्त नामांकन हुआ है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सहायकों, आशुलिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के ऊंचे ग्रेड वाले पदों पर पदोन्नति के दावों पर, कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, पूरा विचार किया जाता है। आशुलिपिक ग्रेड III और लिपिकों के पद सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के माध्यम से भरे जाते हैं। यहां भी कमी का कारण यही है कि संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कमी रही है।

रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में अधिकारियों की संख्या में वृद्धि

7186. **श्री ए० एस० कस्तूरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में कुल कितने स्थायी एवं अस्थायी अधिकारी हैं ;

(ख) रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे बोर्ड में 279 स्थायी अधिकारी और 109 अस्थायी अधिकारी हैं। इनमें से 13 अनुसूचित जाति के हैं और एक अनुसूचित जनजाति का है।

(ग) रेलवे बोर्ड में अधिकांश राजपत्रित पदों को कार्यकाल के आधार पर रेलों से उपयुक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण करके भरा जाता है। लेकिन, रेलवे बोर्ड में अधिकारियों की नियुक्ति करते समय कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये वर्तमान आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावों पर यथोचित विचार किया जाता है।

रेलवे रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन में श्रेणी III तथा श्रेणी IV में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बढ़ाना

7187. **श्री ए० एस० कस्तूरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्डज आर्गेनाइजेशन की सिलबन्दी में श्रेणी III तथा श्रेणी IV (केवल चपरासी तथा दफ्तरी) के कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं ;

(ख) उक्त आर्गेनाइजेशन में श्रेणी III तथा श्रेणी IV (केवल चपरासी और दफ्तरी) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं ; और

(ग) रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्डज आर्गेनाइजेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए भूतकाल में क्या विशेष उपाय किए गए और क्या अतिरिक्त उपाय सोचे जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन में श्रेणी III और श्रेणी IV (केवल चपरासी और दफ्तरी) के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या नीचे बतायी गई है :

	स्थायी	अस्थायी
श्रेणी III	1110	1100
श्रेणी IV . .	5	168

(ख) अ० अ० मा० सं० में श्रेणी III और श्रेणी IV (केवल चपरासी और दफ्तरी) में अनुसूचित जाति/जनजाति के स्थायी और स्थायी कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	स्थायी	अस्थायी
श्रेणी III .	86	87
श्रेणी IV . . .	3	22

(ग) अ० अ० मा० सं० में श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों की नियुक्तियां करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये वर्तमान आदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है। श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों के लिए खुली भर्ती के मामलों में, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के संघों और रोजगार कार्यालयों को विज्ञापन के नोटिस भेजे जाते हैं ।

मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज द्वारा इक्विटी पूंजी निवेश में वृद्धि

7188. **श्री मालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3809 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में निर्देशित विदेशों से नया पूंजी निवश कितना है; और

(ख) एच० जे० फोस्टर एण्ड कम्पनीज ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (आई०) लिमिटेड ने वर्ष 1950 से अब तक लाभ, लाभांश, स्वामित्व और तकनीकी जानकारी फीस के रूप में वर्ष वार कितनी धनराशि विदेश भेजी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी औषध निर्माण फर्मों की प्रारंभिक एवं वर्तमान निवेशित पूंजी

7189. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी औषध निमाण फर्मों का प्रारम्भिक एवं वर्तमान पूंजी निवेश क्या है; और

(ख) इसमें से कितना भाग भारत में ही अर्जित लाभ में से है और कितना बाहर से है नये पंजी निवेश के द्वारा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में अन्तः राज्यीय लाइनों की मंजूरी

7190. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़वाहा-बड़ौदा 400 के० वी० लाईनों सतपुड़ा-गुना-राणा-प्रताप और गुना-मैनपुरी 400 के० वी० लाइनों जैसी कुछ अन्तः राज्यीय लाइनें हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ख) मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) बड़ौदा-बड़वाहा 400 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव योजना आयोग को अनुशासित कर दिया गया है । सतपुड़ा-गुना-राणाप्रताप सागर और गुना-मैनपुरी 400 के० वी० अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों के संबंध में प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं।

Alleged manipulations by Foreign Companies for increasing their profits

7191. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that in order to increase profit in India some foreign companies,take loans from banks for utilising Indian currency instead of utilising their own currency;

(b) if so, whether keeping in view such activities of foreign companies, some steps have been taken by Government ; and

(c) if so, what?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri D. R. Chavan) : (a) Government is not aware whether some foreign companies have taken loans from Indian Banks for utilizing Indian currency instead of their own currency and thereby to increase their profits in India.

(b) & (c) Does not arise.

Water in Railway Quarters of Employees at Banapura (Central Railway)

7193. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the water in Railway employees' quarters at Banapura on Central Railway is supplied after it is suitably filtered and treated;

(b) whether most of the Railway employees and members of their families suffer from stomach troubles in the months of March, April and May because the water supplied to them is not properly filtered and treated during these months; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Water supply at Banapura is from wells and does not need any filteration and treatment. All the wells and O.H. tanks meant for drinking water purposes are disinfected and chlorinated regularly and periodically.

(b) and (c) No such information is available with the Railways. However, the concerned authorities have been directed to keep a watch on properly treated and chlorinated water being supplied to the consumers.

Joint Stock and Private Ltd. Companies in Madhya Pradesh

7194. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of joint stock and private limited companies which were functioning in the year 1971-72 in Madhya Pradesh; and

(b) the names of places of their registered headquarters?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri D. R. Chavan) : (a) & (b) Four hundred and fourteen Joint Stock Companies, limited by shares, were at work in the State of Madhya Pradesh as at the end of the year 1971-72. The addresses of registered office of these companies have been published in the Department's publications "Alphabetical List of Joint Stock Companies" for the period 1958-59 to 1970-71 and "Company News & Notes" from 1-4-71 to 31-1-72 (copies of these publications are supplied to the Parliament Secretariat Library regularly). For the period from 1-2-72 to 31-3-72 this information is under print.

अधिकारियों (रेलवे बोर्ड के निदेशक, अतिरिक्त सदस्य और सदस्य) को अस्वीकृत छुट्टी की मंजूरी, उनका सेवा काल बढ़ाना और उस को पुनः नौकरी देना

7195. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड कार्यालय में निदेशक अतिरिक्त सदस्य और सदस्य के ओहदे के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं एवं उनके पदनाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1972–73 में सेवा निवृत्त होना था और जिन्हें (1) अस्वीकृत छुट्टी दी गई, (2) जिनका सेवा काल बढ़ाया गया, और (3) जिन्हें पुनः नौकरी दी गई ;

(ख) क्या सम्बद्ध सेवाओं में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं थे ;

(ग) वर्ष 1973–74 के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(घ) उनमें से कितने अधिकारियों को (1) अस्वीकृत छुट्टी मंजूर किए जाने, (2) सेवा काल बढ़ाये जाने, और (3) पुनः नौकरी दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) निम्नलिखित अधिकारियों की, जिन्हें 1972–73 से सेवा निवृत्त होना था, सेवा में वृद्धि मंजूर की गयी अथवा उनकी छुट्टी नामंजूर की गयी :—

सेवा में वृद्धि की गयी

1. श्री वी० एस० डी० बालिगा, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव।

2. श्री के० एस० सुन्दर राजन, वित्त आयुक्त, रेलवे एवं भारत सरकार के पदेन सचिव।

छुट्टी नामंजूर की गयी

1. श्री के० एस० सुन्दर राजन, वित्त आयुक्त, रेलवे एवं भारत सरकार के पदेन सचिव।

2. श्री के० वी० कस्तूरी रंगन, भूतपूर्व अपर कार्मिक सदस्य, रेलवे बोर्ड, प्रश्नाधीन अवधि में किसी को पुर्ननियुक्ति नहीं की गयी।

(ख) प्रत्येक मामले में निर्णय जनहित की दृष्टि से किया गया था।

(ग) 1973–74 में निम्नलिखित अधिकारी सेवा-निवृत्त होने वाले हैं :—

1. श्री वी० एस० डी० बालिगा, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव।

2. श्री के० एस० सुन्दर राजन वित्त, आयुक्त रेलवे एवं भारत सरकार के पदेन सचिव।

3. श्री एच० एम० चैटर्जी यांत्रिक सदस्य एवं भारत सरकार के पदेन सचिव।

4. श्री के० एस० भण्डारी, अपर वित्त सदस्य एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आय-कर अपील अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) के पद के लिए चयन

7196. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री आयकर अपील अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) के पद के लिए चयन के बारे में 21 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (ग) तथा (घ) भागों के उत्तर में निर्देशित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा; और

(ग) कितने व्यक्तियों का नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया था और उनमें से कितनों के नाम नियुक्ति-पत्र इस बीच भेज दिये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) :

(क) और (ख) जी, हां। अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 तारीख 21 नवम्बर, 1972 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए पटल पर रखे गए विवरण में उल्लिखित पांच व्यक्तियों के नामों के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन व्यक्तियों की नियुक्तियां भी आयकर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रिक्त-पदों पर कर दी गई हैं :

(1) सर्वश्री चौधरी श्री रामा राव,

(2) टी० एन० सी० रंगाराजन, और

(3) ए० आर० हलधर।

(ग) 21 नवम्बर, 1972 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 1015 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्रतीक्षा सूची में रखे गये व्यक्तियों की संख्या और उनके नाम बताना लोक हित में नहीं है।

अमरीका में अध्ययन छुट्टी पर गये रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी

7197. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के कितने अधिकारी इस समय वर्ष 1970 से अमरीका में अध्ययन छुट्टी पर गए हुए हैं ;

(ख) उनको भत्तों सहित तथा भत्ते रहित कितनी छुट्टियां दी गई हैं; और

(ग) 31 जनवरी, 1973 तक कितने अधिकारियों की समय-समय पर छुट्टी बढ़ाई गई हैं, और इसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति

7198. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या रेल मंत्री कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे विभाग ने उनकी बिना वेतन की छुट्टी का हिसाब लगाते समय और सेवा के वरिष्ट वेतनमान पर पदोन्नति करने के लिए चार वर्ष की सेवा कार्य की गणना करने में किन बातों को ध्यान में रखा है और एस्टेबिलिशमेंट मैन्युअल में इस बारे में विशिण्ठ प्रावधान न रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जैसा कि 14-11-1972 को लोक सभा में प्रश्न संख्या 209 के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया था प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति का आदेश उस अधिकारी को समग्र योग्यता को ध्यान में रखकर दिया जाता है न कि केवल चार वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर। इस बात को देखते हुए यह विशिष्ट शर्त आवश्यक नहीं समझी जाती कि प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ वेतनमान वाले अधिकारी की वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए कनिष्ठ वेतनमान में चार वर्ष की सेवा की गणना करते समय बिना वेतन वाली छुट्टी की अवधि की संगणना न की जाय।

सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल क्लर्कों का स्थानान्तरण

7199. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर रेलवे स्टेशन के कुछ पार्सल क्लर्कों को दिसम्बर, 1972 में स्थानान्तरण का आदेश दिया गया था; और

(ख) क्या स्थानान्तरण के उन आदेशों को बाद में रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सहारनपुर के एक पार्सल क्लर्क को स्थानान्तरित करने के लिए शुरु में आदेश जारी किये गये थे। बाद में, प्रशासकीय कारणों से एक दूसरे पार्सल क्लर्क को स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया, इसलिए प्रारम्भिक आदेशों को रद्द कर देना पड़ा।

सहारनपुर में पार्सल क्लर्कों के स्थानान्तरण के मामले में अपनाया गया मापदण्ड

7200. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार किसी विशेष रेलवे स्टेशन पर कम अवधि तक सेवा करने वाले वरिष्ठ पार्सल क्लर्कों से पूर्व लम्बी अवधि तक सेवा करने वाले कनिष्ठ पार्सल क्लर्कों के स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मापदंड सहारनपुर स्थित पार्सल क्लर्कों के स्थानान्तरण के मामले में नहीं अपनाया गया था जिनके आदेश मार्च, 1973 को दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच की जा रही है और सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Refining of Iraqi Crude by Burmah Shell

7201. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Burmah Shell has expressed its desire to refine the crude oil imported by the Indian Oil Corporation from Iraq;

(b) if so, on what terms and conditions; and

(c) whether the conditions of the Esso and Caltex foreign companies are different from those of the Burmah Shell?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) Burmah Shell, Esso and Caltex have agreed in principle to refine on behalf of Indian Oil Corporation North Rumaila crude oil being imported by the Indian Oil Corporation from Iraq. The terms and conditions are at present under negotiation between IOC and the respective companies.

बेरोजगार इंजीनियरों को इंडियन आयल के पैट्रोल की विक्रय एजेंसी दिया जाना

7202. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में बेरोजगार इंजीनियरों अथवा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को पैट्रोल की कोई विक्रय एजेंसी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे वैगनों और रेल इंजनों के निर्माण लागत में वृधि

7203. **श्री अम्बेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार रेलवे वैगनों तथा रेल इंजनों के निर्माण के लिए अलग-अलग कितनी धन राशि आबंटित की गई है।

(ख) क्या प्रत्येक मामले में निर्माण की वास्तविक लागत में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) गत तीन वर्षों में रेल माल डिब्बों और रेल इंजनों के निर्माण के लिए बजट अनुमान में जितनी रकम की व्यवस्था की गयी थी, वह इस प्रकार है :-

वर्ष	बजट अनुमान में रकम की व्यवस्था (लाख रुपयों में) माल डिब्बा	रेल इंजन
1969–70	3919	4326
1970–71	4813	3955
1971–72	3592	4223

(ख) 'माल डिब्बा' और 'रेल इंजन' शीर्षक के अन्तर्गत जो वास्तविक खर्च हुआ वह इस प्रकार था :

	किया गया वास्तविक खर्च (लाख रुपयों में) माल डिब्बा	रेल इंजन
1969–70	3522	3519
1970–71	3347	3666
1971–72	2945	4141

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वास्तविक खर्च बजट में की गयी व्यवस्था से कम हुआ।

Theft of Railway Property on Western Railway

7204. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of theft of Railway property registered on Western Railway during the last three months;

(b) the number of persons against whom crime cases have been registered; and

(c) the value of the Railway property stolen in these cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 85 cases of theft of Railway property were registered on Western Railway during the last three months i.e. from January 1973 to March, 1973.

(b) Cases against 31 persons have been registered in this connection.

(c) Rs. 1,09,760.

Theft of Railway Property on Central Railway

7205. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of theft of Railway property registered on Central Railway during the last three months;

(b) the number of persons against whom crime cases have been registered; and

(c) the value of the Railway property stolen in these cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 99.

(b) 11.

(c) Rs. 44,329.

भारत और ईराक के बीच तेल क्षेत्र में सहयोग

7206. **श्री बयालार रवि : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी बातचीत के लिए ईराक के तेल मंत्री ने हाल में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो हुई बातचीत का व्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दोनों देशों के बीच आर्थिक तकनीकी और व्यापारिक सम्बन्धों के विकास, विस्तार और उन्हें दृढ़ बनाने के विचार से, भारत सरकार के नियंत्रण पर ईराक सरकार के तेल और खनिज मंत्री 1 अप्रैल, 1973 से 8 अप्रैल, 1973 तक भारत आये थे। दोनों देशों के बीच तेल के क्षेत्र में सहयोग भी भारत सरकार और ईराकी मंत्री के बीच विचार विमर्श का एक विषय था। मथुरा शोधनशाला की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिये कच्चे तेल की सप्लाई के रूप में 50 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। समझौते में भारत द्वारा ईराक से, दीर्घ अवधि आधार पर, कच्चे तेल के क्रय की भी व्यवस्था है। ओ० एन० जी० सी० द्वारा ईराक में तेल अन्वेषण के लिये एक "सेवा ठेके" के लिये समझौते के मदों पर भी ईराकी नेशनल आयल कम्पनी के साथ हस्ताक्षर किये गये थे। पैट्रोलियम उद्योग के लिये इंजीनियरिंग डिजाईन के क्षत्र में सहयोग को दृढ़ बनाने के लिये भी सिद्धान्त रूप में समझौता हुआ था।

Centrally aided Irrigation Scheme in Rajasthan

7207. **Shri Onkar Lal Barwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any centrally aided irrigation scheme in Jhalawar District (Rajasthan) which is a backward District is proposed to be undertaken; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Irrigation is a State subject and there is no centrally sponsored scheme of irrigation. Irrigation projects are implemented by State Governments within the framework of their developmental plans. The following two medium schemes are already under construction in the Jhalawar District of Rajasthan :

Scheme	Estimated cost	Benefit
	Rs.	(hect.)
1. Kali Sindh .	170	8097
2. Bhimsagar .	185	5100

These are expected to be completed in the Fifth Plan.

No new major or medium irrigation scheme for irrigation in Jhalawar District has been proposed by the State Government of Rajasthan.

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में अपर डिवीजन ग्रेडों में पदोन्नति

7208. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी० एस० वडेरा बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 1 दिसम्बर, 1954 से अपर डिवीजन ग्रेड में, जिसे ग्रेड 1 कहा जाता है, नियमित पदोन्नतियां 5 फरवरी, 1957 की योजना के आधार पर की जानी थी, अर्थात् वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए गुणों के आधार पर ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि जब तक भाग III के उल्लंघन अथवा किसी अन्य संवैधानिक उपबन्ध के आधार पर नियमों का अभिक्षम न हो तब तक नियम अवश्य लागू होने चाहिये; यदि वे उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा बनाये गये हों; और

(ग) क्या 5 फरवरी, 1957 की योजना में प्रस्तावित नियमों का पालन बोर्ड के कार्यालय में 1 दिसम्बर, 1954 से अपर डिवीजन ग्रेड में नियमित पदोन्नतियां करते समय किया गया था और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : : (क) जैसा कि 17-12-68 को लोक सभा में श्री कृष्ण कुमार चटर्जी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न 4747 के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के ग्रेड 1 (उच्च श्रेणी ग्रेड) में सभी पदोन्नतियों और नियुक्तियों को तत्पश्चात् यथा आशोधित रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित करना अपेक्षित था। इस संदर्भ में श्री वडेरा की रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्बन्धित अंश नीचे उद्धृत किया जाता है :—

"इस पहलू पर निर्णय करते समय हम संतुष्ट हैं कि द्वितीय प्रतिवादी द्वारा तैयार की गयी यह योजना अनुबन्ध 4, जैसा कि अनुबन्ध 7 द्वारा आशोधित किया गया है, जिस रूप में यह है, अवश्य प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि, इसमें कोई त्रुटि नहीं है और यह संविधान के विरूद्ध नहीं है।"

(ख) जी हां।

(ग) आशोधित योजना में की गयी व्यवस्था के अनुसार अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत करते हुए वरिष्टता के आधार पर नियुक्तियां की गयी थीं।

परिचालन कुशलता बढ़ाने के लिए क्विलोन में नये डिवीजन का खोला जाना

7209. **श्री बयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल क्षेत्र में रेलवे परिचालन कार्यक्षमता क्षेत्र की यातायात तथा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पांचवी योजना के दौरान कमियों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र की परिचालन कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार एक नया डिवीजन जिसका मुख्य कार्यालय क्विलोन में हो, खोलने का विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे के मदुरै और ओलवक्कोड मण्डल, जो केरल राज्य की सेवा करते हैं, उस राज्य की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं। ये मण्डल भारतीय रेलों के उन मण्डलों में से हैं जिन पर काम हलका है और हाल के वर्षों में उनकी परिचालन कुशलता में सुधार होता रहा है। इस बात को देखते हुए इस समय केरल में कौल्लम या किसी अन्य स्थान पर नया मण्डल बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

पांचवीं योजना में विदेशों की सहायता में नये उर्वरक कारखानों की स्थापना

7210. **श्री बयालार रवि : पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना में भारत में नये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में विदेशी सरकार तथा फर्मों से बातचीत अब तक हुई प्रगति का व्यौरा क्या है;

(ख) किन देशों से योजना में रूचि दिखाई है या सहयोग की पेशकश की है तथा यह पेशकश किन शर्तों पर की गई है; और

(ग) क्या भारतीय समाचार पत्रों में हुई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान गया है कि नई योजना से स्वदेशी जानकारी निरूत्साहित होगी और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स इन्जीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड ने, जापान के सहयोग और ऋण से 5 उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। जापान सरकार से इन संयंत्रों के लगाने के लिए आवश्यक ऋण--सुविधाओं को प्रदान करने के लिये प्रार्थना की गई है। हाल ही में, जापान सरकार से इस विषय में बात करने के लिए एक सरकारी शिष्ट मण्डल ने जापान की यात्रा की।

भारतीर उर्वरक निगम ने इटली के मैसर्स स्नाम् प्रोजेट्टी से एक तीन या पांच उर्वरक संयंत्र लगाने के लिये पेशकश प्राप्त किया है। भारतीय उर्वरक निगम के विशेषज्ञों की एक टीम शीघ्र ही इटली में स्नाम् प्रोजेट्टी के यूरिया संयंत्रों में एक का दौरा करने वाली है, और आगे वार्ता भी करेगी।

कुछ अन्य विदेशी पार्टियों उदाहरणार्थ यू० के०, डेनमार्क, फ्रांस, इत्यादि ने भी पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत में उर्वरक संयंत्रों के स्थापित करने हेतु रूचि प्रदर्शित की है। उनसे अभी तक कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जापान सरकार से सहायता के लिये प्रस्तुत उर्वरक प्रायोजनाओं के अतिरिक्त प्रायोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता अलग से तैयार की जा रही है। विभिन्न देशों से, तथा विश्व बैंक से, ऋण द्वारा इन उर्वरक प्रायोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने की सम्भावना की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां। जैसा अन्य प्रायोजनाओं में है, ये प्रोयोजनाएं भारत में उपलब्ध सेवाएं और सप्लाई लेकर कार्यान्वित की जायेंगी। इसका अर्थ होगा कि विदेशी सहायता केवल डिजाइन और इन्जी-नियरी क्षेत्रों में केवल अन्तर भर को भरने की सीमा तक ही उपयोग में लाई जायेंगी जिसके बारे में भी अधिकता आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न जारी रखे जा रहे हैं।

केरल में सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य

7211. **श्री बयालार रवि : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की सिंचाई परियोजनाएं अभी पूर्ण होने की किन विभिन्न अवस्थाओं में है और अब तक प्रत्येक परियोजना में कितना काम हुआ है;

(ख) क्या राशि की कमी के कारण इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पीछे रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) केरल में सात वृहद् परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । प्रत्येक परियोजना पर हुई कार्य की प्रगति संलग्न है विवरण में दी गई है । केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य-योजना में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए इन परियोजनाओं पर कार्य संतोषजनक रूप में प्रगति कर रहा है ।

बहरहाल, केरल सरकार यह अनुरोध करती रही है कि उन्हें अपने राज्य में सिंचाई परियोजना की प्रगति को बेहतर करने के निमित्त राज्य योजना के ढांचे से बाहर विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाए । देश में चुनी हुई बृहद् सिंचाई परियोजनाओं जिनमें केरल की कुछ परियोजनाएं सम्मिलित हैं और जिनके त्वरित निर्माण से आगामी तीन वर्षों में महत्वपूर्ण अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न हो सकती है, के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

विवरण

केरल में सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति

1. पेरियार घाटी

अपसरण नहर तथा सभी सम्बद्ध कार्यों सहित पेरियार के शीर्ष पर बराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । मुख्य नहर पूर्ण हो चुकी है । वितरणियों तथा शाखा नहरों का 65% कार्य पूरा कर दिया गया है । काडामंगलम् वितरणी चालू कर दी गई है । बड़ी तथा छोटी वितरणियों तथा क्षेत्रीय चैनलों पर कार्य प्रगति पर है ।

इस परियोजना पर 11.50 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है। अब तक 7.11 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। 1972-73 के अन्त तक 42,000 एकड़ (शुद्ध) क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करना प्रत्याशित है।

2. काल्लाड़ा

नींव की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। पारापर बांध का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। ओट्-टाकल पर दक्षिण तट नहर शीर्ष नियामक तथा वीयर लगभग पूरा हो गया है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 45 करोड़ रुपये है। अब तक लगभग 3.4 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

3. पम्बा

बराज का 90% मुख्य नहर में सुरंग कार्य का आधा भाग 21 जल सिक्तों में से 10 जल-सिक्त का तथा नहरों की खुदाई का 90% कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 17.9 करोड़ रुपये है। अब तक लगभग 5.6 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। परियोजना से 1973-74 में लाभ प्राप्त होने शुरु हो जाने की प्रत्याशा है।

4. कुट्टिगाड़ी

लगभग 75 प्रतिशत चिनाई बांध, 90% मिट्टी बांध तथा नहर प्रणाली में 50% कार्य पूर्ण हो गए हैं। नहरों के शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 12.60 करोड़ रुपये है। अब तक हुआ व्यय लगभग 9.56 करोड़ रुपये है। परियोजना से पहले ही लगभग 6,000 एकड़ भूमि को पानी सप्लाई किया जा रहा है।

5. चित्तूरपुर

मूलधारा नियामक से सम्बन्धित सब सिंचाई कार्य तथा सड़क मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सिंगल टायर शटरों के लिए अन्तःस्थापित भागों का प्रतिष्ठापन पूर्ण हो चुका है और डबल टायर शटरों के सम्बन्ध में यह प्रगति पर है। थम्बर-मडाक्की ऐनीकट में शटरों की स्थापना को छोड़कर शेष सब कार्य पूर्ण हो चुका है। पुल एवं नियामक पूर्ण हो चुका है। उच्च तलीय नहर में पारण जलमार्गों सम्बन्धी सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5.37 करोड़ रुपये है अब तक 1.85 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। 1972-73 के अन्त तक 4,000 एकड़ भूमि की सिचाई होने की सम्भावना है।

6. कन्हीरालुझा

चिनाई बांध की नींव का लगभग 90% कार्य तथा मुख्य खाई (की ट्रैंच) की 75% खुदाई पूरी हो चुकी है। दक्षिण तट मुख्य भाग पर चिनाई बांध का निर्माण मिट्टी बांध, बांम तट मुख्य नहर का 11,000 मी० तक निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। दक्षिण तट मुख्य नहर के निर्माण की व्यवस्था कर ली गई है और कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9.26 करोड़ रुपये है। अब तक लगभग 2.46 करोड़ रुपये व्यय हुआ है। इस परियोजना से आंशिक लाभों के 1974-75 में शुरू होने की सम्भावना है।

7. पञ्चास्सी

कुइलर में बराज का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। विभिन्न रीचों में नहर तैयार करने का कार्य कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में है।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 13.20 करोड़ रुपये है। अब तक हुआ व्यय लगभग 3.71 करोड़ रुपये है। आंशिक लाभों के 1974-75 में शुरू होने की सम्भावना है।

Assistance for Rural Electrification Scheme by R.E.C.

7212. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of rural electrification schemes proposed to be given assistance by the Rural Electrification Corporation in various States during the current year; and

(b) the broad outlines of the said schemes and the time by which these schemes would be implemented and the number of villages to be benefited thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) & (b) The Rural Electrification Corporation has sanctioned 201 rural electrification schemes of all the State Electricity Boards during the year 1972-73 envisaging loans assistance of Rs. 9335.814 lakh electrification of 17,832 villages, energisation of 1,58,843 pumpsets and power supply to 27,391 small scale and agro industries. These schemes are phased for completion in a period of 3 to 5 years.

The loan assistance during the year 1973-74 will depend upon the number of schemes sponsored by the various State Electricity Boards and approved by the Rural Electrification Corporation in accordance with the guide lines laid down by them.

जीवाणु नाशक औषध हैक्साक्लोरोफीन के उपयोग पर रोक

7213. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कुछ कारखाने, जीवाणुनाशक औषध हैक्सा-क्लोरोफीन जिसके उपयोग पर अनेक देशों में रोक लगा दी गई है, को ऐसी साबुन के बनाने के प्रयोग में लाया जाता है जिन्हें भारत के अस्पतालों में नवजात शिशुओं को धोने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या जब औषध को बच्चों के लिए हानिकर पाया गया है और इससे मस्तिष्क को भी क्षति पहुंच सकती है और जैसाकि 15 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार था, फ्रांस में इसके उपयोग से कई बच्चों की मृत्यु हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने साबुनों और पाउडर के बनाने के लिए उस औषध के उपयोग पर तुरन्त रोक लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिये इस समय इसका उपयोग कर रही हैं।

पैट्रोलियाम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केवल मैसर्स गोदरेज सोपस प्राईवेट लि० बम्बई द्वारा उत्पादित एक नहाने का साबुन ही हेक्साक्लोरोफीन युक्त है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से प्राप्त सूचना के अनुसार हाल ही में अमरीका में किये गये अध्ययनों में हेक्सा-क्लोरोफीन सम्पर्कों की विषाक्तता के कुछ प्रश्न उठाये गये हैं । अमरीका में खाद्य और औषध विभाग ने विशेषज्ञों की परामर्श से यह निर्णय किया है कि अस्पतालों, शिशु गृहों या घरों में शिशुओं के स्नान के लिये हेक्सा-क्लोरोफीन का उपयोग उपयुक्त नहीं हैं । यूनाईटेड किंगडम में औषधियों की सुरक्षा पर समिति ने हेक्सा-क्लोरोफीन युक्त सम्पाकों के उपयोग को हतोत्साह करने की सिफारिश की है । औषधि सलाहकार समिति ने जिसकी बैठक देहली में मार्च 1972 में हुई थी देश में हेक्सा-क्लोरोफीन युक्त उत्पादों के उत्पादन और वितरण के प्रश्न पर विचार किया था । समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया था कि साबुन निर्माताओं को साबुन से हेक्सा-क्लोरोफीन प्रयोग न करने के सरकार के साथ सहयोग के लिये अनुरोध किया जाये । पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने, जो साबुन के निर्माण से तो सम्बन्धित है, परन्तु अंगरोगों से नहीं, संगठित क्षेत्र में साबुन के निर्माताओं से दिसम्बर 1972 में अनुरोध किया था कि वे साबुनों में हेक्सा-क्लोरोफीन का प्रयोग न करें ।

1-4-1973 से हेक्सा-क्लोरोफीन का आयात बन्द कर दिया गया है ।

साबरमती माल गोदाम के कार्य भार का मान दंड

7214. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री पश्चिमी रेलवे द्वारा चलाये गये साबरमती अभियान के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4104 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे में बुकिंग, डिलीवरी, ट्रांसशिपमेंट तथा अन्य विविध कार्यों के लिये गोदाम लिपिकों के पद बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार पश्चिम रेलवे के साबरमती माल गोदाम के लिये कितना स्थान आवश्यक है और वहां इस समय कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है ;

(ग) क्या कोई कमी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ से 13 नवम्बर, 1972 को, कर्मचारियों की कमी और रेलवे को होने वाली भारी हानि के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हुआ था जो पश्चिमी रेलवे के महाप्रबन्धक को सम्बोधित था और जिसकी एक प्रति डिवीजनल अधीक्षक, बड़ौदा को भेजी गयी थी और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लेखा विभाग द्वारा स्टेशन स्टाफ के जिम्मे लगाये गये अन्य प्रभार को वसूल करने सम्बन्धी समय सीमा

7215. श्री चन्द्रिका प्रसाद :

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा विभाग द्वारा स्टेशन स्टाफ के जिम्मे लगाये गये अल्प प्रभार को वसूल के लिये रेलवे प्रशासन ने कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेशों की प्रतिलिपि क्या है और समय सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी रेलवे संहिता और नियमावली के पैरा क्या-क्या हैं;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में वर्णित आदेशों को सख्ती से क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है और क्या आल इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1972 अथवा जनवरी, 1973 के दौरान पश्चिम रेलवे, बम्बई के महाप्रबन्धक को एक नोटिस दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नोटिस की बातें क्या हैं ? और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, कुछ अपवादों को छोड़कर ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में यातायात लेखा संगठन है । महाप्रबन्धक, पश्चिम रेलवे को कोई नोटिस नहीं मिला ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

लेखा विभाग की भारतीय रेल संहिता भाग II—यातायात लेखा, संशोधित संस्करण (अनन्तिम प्रकाशन) 1971 के पैरा 2803 का उद्धरण

2803. (1) कोचिंग और माल आमदनी (धन कोयले सहित) की अलग-अलग मद्दों में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक अवप्रभारों को तब तक स्टेशनों के नाम न डाला जाये जब तक उनमें कोई विशेष बात न हो जैसे न्यूनतम भाड़ा, किराया आदि को वसूली में असफल रहने पर निकलने वाले अपप्रभार । स्टेशन कर्मचारियों में इस रियायत का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये इस तरह के सभी अपप्रभारों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये जिसका हर महीने लेखा अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ।

(2) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर और स्टेशन लेखा निरीक्षकों और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा पकड़ी गयी त्रुटियों के मामले में, साधारणतया स्टेशन की विवरणियों में दिखाये गये लेन-देन के महीने से 6 महीने से अधिक समय के बाद स्टेशनों के नाम में कोई राशि नहीं डाली जायेगी ।

(3) यदि स्टेशन कर्मचारियों अथवा यातायात प्राधिकारियों से कोई सूचना न मिल पाने के कारण किसी प्रलेख की जांच करना सम्भव न हो और अपेक्षित सूचना 6 महीने की सीमा के भीतर ही मांगी गयी हो, लेकिन स्टेशन कर्मचारी अथवा यातायात अधिकारी समय पर सूचना देने में असफल रहे हों और यदि सूचना मिलने पर यह पता चले कि लेन-देन में अवप्रभार है, तो इस तरह के अवप्रभार को समय–

बाधित नहीं माना जायेगा भले ही लेखे-जोखे के महीने के बाद 6 महीने की अवधि बीत चुकी हो। इस तरह से पता लगे अवप्रभार को त्रुटि-पत्र पर स्टेशन कर्मचारियों/यातायात प्राधिकारियों के साथ हुए पत्राचार का हवाला देते हुए लेखा अधिकारी के अनुमोदन से स्टेशन के नाम में डाल दिया जाना चाहिये ।

(4) जिस अवप्रभार का उपर्युक्त समय सीमा के बाद पता चले और जिसे लेखा कार्यालय की लापरवाही के कारण नये खाते में न डाला जा सका हो, उसे एक रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाना चाहिए और वह रजिस्टर हर महीने लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस तरह के अवप्रभारों को लेखे में दिखाये बिना छोड़ दिया जाना चाहिये और लेखा कार्यालय के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिये ।

भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमावली, भाग II के पैरा 2704 का उद्धरण

2704. **स्टेशनों के विरुद्ध नाम खाता दिखाने की समय-सीमा**—विशेष परिस्थितियों में और स्टेशन लेखा निरीक्षकों तथा लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारिथों द्वारा पकड़ी गयी गलतियों के मामलों को छोड़कर, सामान्यत नामखाते की किसी रकम को लेन-देन के लेखागत होने के महीने से छः. महीने से अधिक समय वह स्टेशन विवरणियों में स्टेशन का नाम नहीं दिखाया जायेगा।

रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

7216. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलवे वाणिज्यिक विभाग में पर्यवेक्षी कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में 6 जुलाई. 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खंडीय रेलों ने इस बीच इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक विभाग में जो स्थिति है उसे प्रत्येक खंडीय रेलवे के संचालन विभाग में विद्यमान स्थिति के समान किया गया है;

(ग) प्रत्येक खंडीय रेलवे की प्रत्येक डिवीजन में 1 अप्रैल 1969 और 31 अक्तूबर, 1972 को अलग-अलग संचालन विभाग में वाणिज्यिक विभाग की तुलना में ऊंचे पदों की स्थिति कैसी थी; और

(घ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है और इसे अंतिम रूप देने में सरकार कितना समय लेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वाणिज्यिक कर्मचारियों को वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिए समान नीति

7217. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री वाणिज्यिक कर्मचारियों को वाणिज्यिक निरीक्षकों के काम में पदोन्नति के लिए समान नीति के बारे में 28 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व जोन में पदोन्निति के सम्बन्ध में इस बीच सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार सम्भवतः कितना समय लेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रेलवे का प्रस्ताव यह है कि 335-425 रु० को वेतनमान में यातायात निरीक्षकों (वाणिज्यिक निरीक्षकों) की कोटि का "गैर प्रवरण" के रूप में फिर से वर्गीकरण किया जाये और सारणी को वाणिज्यिक कर्मचारियों तक सीमित रखा जाये। रेलवे के प्रस्ताव को मानने या न मानने के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त यूनियनों में से एक से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। किसी निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगने की संभावना है यह इस बात पर निर्णय है कि उपर्युक्त उत्तर कब प्राप्त होता है।

मध्य रेलवे में संविदा श्रम और नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार दिया जाना

7218. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों और माल गोदामों में कोयले की राख, पार्सल तथा माल के लदान और भरान के लिए मध्य रेलवे में संविदा श्रम (विनियन तथा उत्पादन) अधिनियम 1970 का उलंघन करके किसी संविदा अथवा नैमितिक श्रमिकों से काम लिया जा रहा है; और

(ख) क्या इन कार्यों के लिए संविदा श्रमिक नैमितिक श्रमिक पद्धति समाप्त करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड के परामर्श से मध्य रेलवे में कोयला राख, पार्सल और माल के लदान और उतराई के लिए ठेका श्रमिकों की नियुक्ति पर अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। ऐसे ठेका श्रमिकों की शर्तें अधिनियम के अन्य उपबन्धों द्वारा विनियमित की जाती हैं।

इन कामों पर विभागीय रूप से नियुक्त किये गये नैमितिक श्रमिक उपर्युक्त अधिनियम द्वारा शासित नहीं होते।

(ख) जी हां।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इन सेवाओं में ठेका प्रणाली अभी जारी है।

आवश्यक सिंचाई निर्माण कार्यों की मरम्मत के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि देना

7219. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने, आवश्यक सिंचाई कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) राहत कार्यों के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 14.97 करोड़ रुपये के लिए अनुरोध किया था जिसमें से 4.78 करोड़ रुपये सिंचाई कार्यों के लिए प्रस्तावित थे।

एक केन्द्रीय दल ने 21 से 25 फरवरी, 1973 तक राज्य का दौरा किया। दल ने सिफारिश की कि बृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य लाभकारी कार्यों पर पैदा किये गये अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के कारण समस्त दल के लिए केन्द्रीय सहायता दी जायेगी तथा वित्तीय शर्तों में कोई परिसीमा मिर्धारित नहीं की गई थी। अन्य मददों के लिए निम्नलिखित ऊपरीसीमाएं लागू की गई थी:—

राहत मदद:		(रुपय लाखों में)
1. जल प्रदाय व्यवस्था		
(1) जल का वहन .	5.00	
(2) नलकूपों को गहरा करना . . .	15.00	20.00
योग: जल प्रदाय . .		**20.00**
2. अनुग्रह पूर्वक राहत		4.00
3. पशुओं के लिए चारे की ढुलाई पर परिदान . .		20.00
4. खाद्यान्न की ढुलाई		3.00
योग: राहत मददें		**47.00**
ऋण मददें		
5. कम्प्रशरों तथा ट्रैक्टरों का क्रय . . .		50.00
6. तेज चलने वाली रिगों का क्रय		24.00
7. औजारों तथा उपस्करों का क्रय . . .		23.00
योग: ऋण मददें . . .		**97.00**
कुल योग . .		144.00

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित लघु सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए आपाती कृषि-उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 5.81 करोड़ रुपये दिये।

7 LSS/73—5

स्कीम	अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ों में)
1. 7219 नलकूपों/कुओं के अर्जन के लिए राज्य बिजली बोर्ड को ऋण	2.00
2. पम्प सेटों के ऊर्जन के वास्ते पारेषण लाइनों के लिए राज्य बिजली बोर्ड को ऋण . .	0.90
3. 1,218 सरकारी पम्प सेटों का प्रतिष्ठापन	0.83
4. किसानों को 5,889 पम्प सेट प्रदाय करना (सहकारिताओं के जरिये ऋण)	2.00
5. सिंचाई विभाग द्वारा तालों में निष्क्रय संचयन का लिफ्ट सिंचाई के लिए समुपयोजन	0.08
योग :	5.81

महाराष्ट्र (मध्य रेलवे) के निम्र्भारा, रावर और सावड़ा के फल-उत्पादकों को माल डिब्बों की सप्लाई

7220. **श्री गंगाचरण दीक्षित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग महाराष्ट्र राज्य के निम्भोरा, रावर और सावड़ा के केला उत्पादकों को उनकी माँग के अनुसार माल डिब्बे सप्लाई करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) इस क्षेत्र में माल डिब्बों की अस्थाई कमी के कारण सितम्बर 1972 के अन्तिम सप्ताह में मामूली सी कम सप्लाई के सिवाय 1972–73 में माल डिब्बों की सप्लाई की मांग पूर्णतः पूरी की गयी।

ब्रह्मपुत्र का तलकर्षण कार्य

7221. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र के तलकर्षण के लिए दो ड्रैजर प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तलकर्षण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो वे कब तक प्राप्त होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : (क) (से (ख) मैसर्ज गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे ड्रेजरों की सप्लाई जून, 1973 के अन्त तक होने की संभावना है। तलकर्षण का कार्य 1973 की बाढ़ों के पश्चात् प्रारंभ होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बिजलीघरों की स्थापना

7222. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों तथा मिजोराम, और अरुणाचल संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितने ताप बिजलीघर हैं; और

(ख) 1973-74 में उक्त राज्यों में राज्य-वार कुल कितने ताप बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तीन ताप-विद्युत् केन्द्र हैं। असम में स्थित केन्द्र निम्नलिखित हैं :

(1) नामरूप ताप-विद्युत् केन्द्र . 3× 23 मै० वा०

(2) गारो हिल्ज ताप-विद्युत् केन्द्र . 2× 2.5 मै० वा०

(3) चन्द्रपुर (गोहाटी) ताप-विद्युत् केन्द्र (असम) . 1× 30 मै० वा०

(ख) निम्नलिखित ताप-विद्युत् स्कीमें इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं:

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मै० वा०	अभ्युक्ति
1. नामरूप ताप-विद्युत् केन्द्र—प्रथम विस्तार (असम)	1× 30	1974 के अन्त तक चालू होने की संभावना है।
2. नामरूप गैस टर्बाइन यूनिट (असम)	1× 12.5	यह यूनिट गोहाटी से स्थानान्तरित किया गया है। इसे तेल ज्वालन से गैस ज्वालन में बदलने का कार्य 1973 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

मैसूर में नई रेलवे लाईनों के लिए मैसूर सरकार के प्रस्ताव

7223. **श्री के० मालन्ना :**
श्री सी० के जाफर शरीफ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने अधिक रेलवे लाइन बिछाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मैसूर सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ नयी लाइनों के सुझाव दिये गये हैं, लाइनें और इनकी स्थिति इस प्रकार है:—

(1) हुबली—कारवाह (बड़ी लाइन)
(2) कोतूर—हरिहर (मीटर लाइन)
(3) तालगुप्पा—होनावार (मीटर लाइन)
} सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है

(4) चामराजनगर—सत्यमंगलम (मीटर लाइन)—सर्वेक्षण रिपोर्टों से मालूम हुआ है कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं होगी।

(5) रायदुर्ग—चित्रदुर्ग (मीटर लाइन)—सर्वेक्षण का काम जारी है।

केरल की साबरीगिरि परियोजना के जलाशय से तमिलनाडु को पानी दिया जाना

7224. **श्री रामचन्द्रन कडन्नापाल्ली :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि केरल की साबरीगिरी परियोजना के जलाशय से अनधिकृत रूप से तमिलनाडु को पानी दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजलीघरों को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई

7225. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न बिजलीघरों को घटिया कोयला कब से सप्लाई किया जा रहा है जिससे विद्युत् उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्टैण्डर्ड ग्रेड का कोयला प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) नीति के रूप में, ताप विद्युत् केन्द्रों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई किया जाता है जिनका अभिकल्प आरंभ से ही ऐसा कोयला जलाने के लिए किया गया है। वाशरी मिडलिंग तथा घटिया किस्म के कोयले के इस्तेमाल द्वारा आवश्यक बारम्बार अनुरक्षण के कारण, इनमें से कुछ बिजलीघर सतत पूर्ण उत्पादन नहीं कर सके। भारत सरकार ने घटिया किस्म के कोयले के इस्तेमाल पर पुनः विचार किया है तथा उसके परिणामस्वरूप विभिन्न उपाय करने—जैसे मिडलिंग को अच्छी किस्म के साथ मिलाने दो चरण वाशरियों को तीन चरण वाशरियों में परिवर्तित करने, प्रारम्भ कर दिये गए हैं।

जियाजीराव काटन मिल्स, ग्वालियर का विस्तार

7226. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्ज जियाजीराव कॉटन मिल्स, ग्वालियर ने पोरबन्दर स्थित अपने रसायन डिवीजन के सम्बन्ध में 7.5 करोड़ रूपए की एक विस्तार योजना की मंजूरी देने के लिए आवेदन पत्र भेजा है;

(ख) क्या इस उपक्रम के विरुद्ध धोखाधड़ी और अवैध कार्यों के लिए एक जांच आदेश अनिर्णीत पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विस्तार संबंधी आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) मैसर्ज सौराष्ट्र केमिकल्स (स्वामी : जियाजीराव कॉटन मिल्स लि०, ग्वालियर) ने सोडा राख के विनिर्माण के लिए अपनी क्षमता के विस्तार हेतु प्रार्थनापत्र भेजा है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत जियाजीराव कॉटन मिल्स लि०, ग्वालियर के बही-खातों के निरीक्षण के आधार पर, 1967 में उक्त अधिनियम की धारा 237 (ख) के अधीन जांच के लिए आदेश दिया गया था। कम्पनी ने एक लिखित याचिका दायर की थी; जिसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी। सरकार से उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है; जो अनिर्णत है।

(ग) विस्तार के लिए प्रार्थनापत्र विचाराधीन है।

उत्तर रेलवे के मुख्यालय तथा डिवीजनल कार्यालों में स्टेनोग्राफरों के चयन के मामले में अपनायी गयी समान– प्रक्रिया

7227. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर रेलवे के मुख्यालय के लिए रु० 210–रु० 425 के वेतनमान वाले स्टेनोग्राफरों के पदों के लिए हुए चयन में रेलवे मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1971 के अपने पत्र में निर्धारित प्रक्रिया का जहां तक डिक्टेशन की अवधि और गल्तियों को प्रतिशतता का प्रश्न है, पालन नहीं किया गया था;

(ख) क्या उक्त रेलवे के डिवीजनल कार्यालय रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त चयन को रद्द करके तथा रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके स्थान पर नये चयन कराने का है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद) : शफी कुरेशी (क) रेलवे बोर्ड द्वारा जुलाई, 71 में जारी किए गये आदेशों में, मई 1972 में जारी किये गये स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जाने पर, अपेक्षा की गई है कि 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार पर आशुलिपिकों के लिए संचालित परीक्षा के लिए श्रुतिलेख सात मिनट की अवधि का होना चाहिए जिससे बोले गये शब्दों की 10 प्रतिशत गलतियों तक की अनुमति होनी चाहिए। यह भी व्यवस्था थी कि अंग्रेजी में परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 210—425 रु० के ग्रेड के आशुलिपिकों के पदों पर पदोन्नति के लिए अगस्त–अक्तूबर, 1972 में उत्तर रेलवे के मुख्यालय में ली गई आशुलिपिक परीक्षा में, समय की अवधि निर्धारित 7 मिनट की अपेक्षा केवल 5 मिनट रखी गयी थी। रेलवे बोर्ड से मार्च, 1973 में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, अनुमत गलतियों की निर्धारित प्रतिशतता का पालन किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

लेखा विभाग (उत्तर रेलवे) के क्लर्कों—ग्रेड-1 (सीधे भरती किए गए तथा पदोन्नति किए गए) की वरीयता नियत करना

7228. **श्री ओंकार लाल बैरवा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पदोन्नति किए गए क्लर्कों की तुलना में क्लर्क ग्रेड 1 (सीधे भरती किए गए) की वरीयता उनको स्थायी करने की तिथि से निश्चित की गई है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के 1 अक्तूबर, 1961 के पत्र संख्या ई(एन०जी०) 61 एस० आर० 6/16 में उल्लिखित (ग्रेड में आने की तिथि की गलत व्याख्या करने के कारण उत्तर रेलवे के रेलवे लेखा विभाग में सीधे भर्ती किए गए) ग्रेड 1 के क्लर्कों के साथ-साथ पदोन्नत किए गए क्लर्कों की वरीयता गलत नियत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड के दिनांक 31-10-1961 के पत्र संख्या इ(एन० जी) 61 एस०आर०/6/16 के अनुसार क्लर्क, ग्रेड I से पदोन्नत व्यक्तियों की तुलना में सीधे भर्ती किये गये क्लर्क ग्रेड 1 की वरिष्ठता, पारस्परिक वरिष्ठता को बनाए रखते हुए प्रत्येक कर्मचारी के स्थायीकरण की तिथि पर विचार किये बिना, उस ग्रेड में केवल उसके प्रवेश की तिथि के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। उत्तर रेलवे में अपनायी गई परिपाटी इन अनुदेशों के विपरीत थी, इसलिए उसमें तदानुसार संशोधन कर दिया गया है।

Union Defence Ministry opposed to the setting up of Oil Refinery at Mathura

7229. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether the Union Defence Ministry has opposed the setting up of the Oil Refinery proposed to be set up at Mathura on the ground that this place is not at all suitable from the defence point of view?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : No, Sir.

विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को भारत से बाहर ले जाने के लिए आवेदन पत्र

7230. श्री लालजी भाई :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान भारतीय बच्चों को भारत से बाहर ले जाने और तब उन्हें गोद लेने के उद्देश्य से विदेशियों ने अथवा उनकी तरफ से अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय में कितने आवेदन पत्र दिए हैं; और

(ख) उन आवेदन पत्रों के अन्तर्गत कितने भारतीय बच्चों को भारत से बाहर ले जाया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) जानकारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

"गामा गुलोबुलिन" औषधियों को पेटेंट करना

7231. **श्री पी० के० देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री "गामा गुलोबुलिन" औषधि का देश में उत्पादन के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2867 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गामा गुलोबुलिन" औषधि को इस बीच पैटेंट कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान उपलब्धता तथा कीमत कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गामा गुलोबुलिन औषधि के लिये मैसर्स क्योरवैज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कोई पेटेन्ट नहीं निकाला गया है ?

(ख) गामा गुलोबुलिन इस समय बाजार में उपलब्ध है और इस पार्टी द्वारा तैयार उत्पादों के लिये नियत की गई अधिकतम फुटकर कीमतें इस प्रकार हैं, (स्थानीय कर अतिरिक्त हैं) :—

10% 1 मि एम्पस	. . .	17.50 रुपये प्रत्येक
15% 1.7 मि एम्पस	. . .	44.00 रुपये प्रत्येक
16.5% 1 मि एम्पस		28.50 रुपये प्रत्येक
16.5% 2 मि एम्पस		48.00 रुपये प्रत्येक

व्यास परियोजना में नियुक्त कार्य प्रभारित कर्मचारी

7232. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास परियोजना, तलवाड़ा में नियुक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश कर्मचारियों को इससे पूर्व भाखड़ा तथा अन्य परियोजनाओं में काम करने का विशिष्ठ और तकनीकी अनुभव है और यदि हां, तो उनको नियमित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या व्यास परियोजना के पूरा हो जाने पर उनकी छंटनी करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) व्यास परियोजना चरण-दो, तलवाड़ा में 14,644 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उपरोक्त में से कुछ स्टाफ न भाखड़ा और अन्य परियोजनाओं पर कार्य करके अनुभव प्राप्त कर लिया है । उनकी सेवाएं नियमित नहीं की जा सकती क्योंकि परियोजना-निर्माण का कार्य अस्थायी है ।

(ग) इस परियोजना के फालतू कर्मचारियों को क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं पर नियुक्ति के लिए वरीयता दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

रेलवे प्रशासन द्वारा नये उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का खोला जाना

7233. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा, क्षेत्र-वार कितने उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल चलाये जा रहे हैं, वे किन स्थानों पर तथा किन राज्यों में स्थित हैं ;

(ख) क्या 1973-74 के वित्तीय वर्ष में और नए उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो क्षेत्र-वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके बारे में ऐसे प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ; और

(घ) उन स्थानों, रेलवे ज़ोनों तथा राज्यों के नाम क्या हैं जिन में रेलवे प्रशासन द्वारा चलाये जाने वाले तीन इंटरमीडिएट कालेज स्थित हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूचना सलंग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4811/73]।

(ख) और (ग) 1973-74 के वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित रेलवे स्कूलों का ग्रेड बढ़ाकर उन्हें हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल किया जा रहा है :—

रेलवे	स्कूल का नाम	स्थान	कौन से राज्य में स्थित है
मध्य .	रेलवे मिडिल स्कूल	इटारसी	मध्य प्रदेश
दक्षिण मध्य	रेलवे मिश्रित स्कूल	राजमुण्डी	आंध्र प्रदेश
,, ,,	रेलवे गर्ल्स अ० प्र० स्कूल	लालागुडा	,, ,,

(घ) रेल प्रशासनों द्वारा चलाये जाने वाले इंटरमीडिएट कालेज निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

रेलवे	स्थान	राज्य
पूर्व .	मुगलसराय	उत्तर प्रदेश
उत्तर .	टूंडला	उत्तर प्रदेश
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश

उत्तर रेलवे में गत तीन वर्षों में बन्द की गई रेल गाड़ियां

7234. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी रेल गाड़ियां बन्द अथवा समाप्त की गई ; और

(ख) यह कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में (1-4-70 से 1-4-73 तक) उत्तर रेलवे पर रद्द की गयी सवारी ले जाने वाली गाड़ियों का विवरण :—

गाड़ी संख्या	खंड जिस पर रद्द की गयी	रद्द करने के कारण
49 अप/50 डाउन हावड़ा–जौनपुर एक्सप्रेस	जफराबाद–जौनपुर	जनता की अत्याधिक मांग को पूरा करने के लिए इन गाड़ियों का चालन सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ तक बढ़ा दिये जाने के फलस्वरूप
1 बी क्यू/2 बी क्यू	बटाला-कादियां	बहुत कम यात्रियों द्वारा उपयोग किये जाने के कारण
1 डी एन एस/4 डी०एन० एस	हज़रत निजामुद्दीन–सफदरजंग	बहुत कम यात्रियों द्वारा उपयोग किये जाने के कारण
3 ए टी/4 ए टी	अकबरपुर–टांडा	बहुत कम यात्रियों द्वारा उपयोग किये जाने के कारण
2 जी डी	गाजियाबाद–दनकौर	2 जी डी को रद्द करके 6 डी जी और 1 डी जी आर का चालन क्षेत्र 2 डी जी के/1 के आर के रूप में खुर्जा तक बढ़ा दिये जाने के कारण।
1 जे ए/4 जे ए, 5 जे ए/ 6 जे ए	जालन्धर शहर–अमृतसर	बहुत कम यात्रियों द्वारा इसका उपयोग किये जाने के कारण ।
333 अप	लुधियाना–जालन्धर शहर	,,
3 जे एल/4 जे एल	,,	,,
1 आर बी एल/ 2 आर बी एल	बालामाउ–रोजा	,,
131 डाउन/132 अप जनता	मद्रास–नयी दिल्ली	,,
1 बी एम ए/2 बी एम ए	चुनार–वाराणसी	,,
87 अप/88 डाउन	भटिंडा–फिरोजपुर	,,
1 एस आर/2 एस आर	संभल हातिम सरायराजा–का–सहस्पुर	,,
1 पी बी जे/2 पी बी जे	पठानकोट–जोगिन्दरनगर	पौंग बांध के निर्माण के कारण
3 पी बी जे/4 पी बी जे	,,	,,
1 पी बी/2 पी बी, 3 पी बी/4 पी बी	पठानकोट–बैजनाथ पपरोला	,,

सब रेल गाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की बोगियों की सुविधा

7235. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलगाड़ियों के जोन-वार और इंटर–जोनवार नाम क्या हैं जिन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की बोगियां लगी हैं ;

(ख) क्या अन्य गाड़ियों में भी इस सुविधा की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उन रेल गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें इस सुविधा की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण सलंग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4812/73)

(ख) और (ग). किसी अन्य गाड़ी में वातानुकूल पहले दर्जे के डिब्बे लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गांवों के विद्युतीकरण के लिए रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन द्वारा मंजूर किए गए ऋण

7236. श्री राजदेव सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशनों द्वारा 13 राज्यों में दो हजार से अधिक गांवों में बिजली देने हेतु 22 और परियोजनाओं के लिये 9.8 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गांवों का राज्यवार विवरण क्या है ;

(ग) क्या मंजूर की गई परियोजनाओं से देश के पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 29 जनवरी, 1972 को हुई अपनी 38वीं बैठक में 13 राज्य बिजली बोर्डों की 22 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की जिनके द्वारा 982.814 लाख रुपये की ऋण सहायता से 2,064 गांवों का विद्युतीकरण और 17,843 पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है । इसमें समाविष्ट गांवों तथा पम्पसेटों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	विस्तार गांव	पम्पसेट
1.	बिहार	238	2,475
2.	गुजरात	30	370
3.	हिमाचल प्रदेश	276	142
4.	जम्मू और काश्मीर	175	3
5.	केरल	9	144
6.	मध्य प्रदेश	153	4,400
7	महाराष्ट्र	289	2,160
8.	उड़ीसा	164	1,569
9.	राजस्थान	153	1,650
10.	पंजाब	253	1,270
11.	तमिलनाडु	85	2,600
12.	उत्तर प्रदेश	98	562
13.	पश्चिम बंगाल	131	498
	जोड़	2,064	17,843

(ग) और (घ). इन 22 स्कीमों में से 11 स्कीमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों और विशेष रूप से अविकसित पहाड़ी/रेगिस्तानी/आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है । इन 11 स्कीमों में 512.283 लाख रुपये की ऋण सहायता से 1,229 गांवों का विद्युतीकरण तथा 7,455 पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है।।.

असिस्टैण्ड ब्लाक सिगनल इन्स्पैक्टर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के पदों पर नियंत्रण

7237. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में असिस्टेंट ब्लाक सिगनल इन्स्पैक्टर के पदों पर नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है जबकि अन्य सभी क्षेत्रीय रेलों में उन रेलों के मख्यालयों द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता है ;

(ख) केवल दक्षिण पूर्व रेलवे में विकेन्द्रीयकरण किए जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस भेद-भाव को दूर करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहंम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). केवल दक्षिण-पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे पर सहायक ब्लाक सिगनल निरीक्षकों के पदों का नियंत्रण मंडलों द्वारा किया जाता है । परिपाटी में इस अन्तर का कारण यह है कि प्रत्येक रेल प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और संगठित श्रम के परामर्श से अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति की सारणी निर्धारित करने के लिए सक्षम है ।

(ग) जी नहीं

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को दिये गये दण्ड का संचयी प्रभाव

7238. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को वार्षिक वेतन-वृद्धि बन्द करके एक बार, दो बार, तीन बार या इस से भी अधिक बार दंड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सन् 1970 से 1972 तक जोन-बार और डिवीजन-बार उनकी ठीक संख्या क्या है ; और

(ग) क्या इस दंड का कोई संचय प्रभाव हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). रेल प्रशासनों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उर्वरक उद्योग के लिए 'होल्डिंग कम्पनी' की स्थापना

7239. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग के लिए "होल्डिंग कंपनी" की स्थापना का निर्णय कब तक लिया जायेगा ;

(ख) प्रस्तावित "होल्डिंग कंपनी" संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) "होल्डिंग कंपनी" की स्थापना का निर्णय किन कारणों से लिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन की योजना विचाराधीन है। क्या एक "होल्डिंग कंपनी" की स्थापना होनी चाहिए; इस संदर्भ में भी विचार किया जायेगा।

जापानी सहयोग से उर्वरक कारखानों की स्थापना के मामले में हुई प्रगति

7240. **श्री एस० आर० दामाणी :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी सहयोग और ऋण से स्थापित किए जाने वाले पांच उर्वरक संयंत्रों के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) भारत सरकार ने जापानी फर्म को किन शर्तों की पेशकश की है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में संयुक्त क्षेत्र के सिद्धांत को कार्यरूप देने की संभावना का पता लगाया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस बारे में जापान सरकार के साथ बात चीत करने के लिए एक सरकारी शिष्टमंडल ने हाल ही में जापान का दौरा किया था। जापान सरकार की अंतिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जापानी फर्मों से प्राप्त पेशकशों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) जापानी फर्मों द्वारा दी गई पेशकशों के बारे में यह प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के चन्दा जिले में रेल यातायात

7241. **श्री जे० जी० कदम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्दा जिले में नागपुर से हैदराबाद तक केवल एक ब्राड गेज रेलवे लाइन है और उचित विकास के लिए जिले में और रेल लाइनें बिछाय जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) जिले में रेल यातायात के विकास के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). नागपुर–हैदराबाद बड़ी लाइन के अलावा बड़े आमान की दो शाखा लाइनें अर्थात् मोरी-राजुर (आंशिक) और तडाली-घुग्गुस भी चांदा जिले से गुजरती है। चांदा फोर्ट से नगबीर तक और उससे आग की छोटी लाइन सहित बड़ी लाइन की वर्तमान रेल सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

विदेशी फार्मास्यूटीकल्स कम्पनियों द्वारा औषध मूल्यों का बढ़ाया जाना

7242. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी औषध विशेष की उत्पादन लागत पर विदेशी फार्मास्यूटीकल्स कंपनियों के भार तथा फर्मों द्वारा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए उपरी व्यय से औषध की बिक्री लागत में वृद्धि हो जाती है ;

(ख) इन कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली किन औषधियों के बिक्री मूल्यों का अनुमान लगाया जाता है और क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई कि इस प्रकार हिसाब लगाने में अन्य मदों को शामिल करके, जिसके बिक्री मूल्य का हिसाब नहीं लगाया जाता, औषध नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) क्या उक्त जांच पड़ताल से अधिनियम में किसी त्रुटि का पता लगा है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन यंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी तक सरकार के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है ।

(ख) और (ग) जिन मदों पर औषध सूत्रयोगों के विक्रय मूल्य की गणना की जा सकती है; वे हैं :—

(1) कच्चे माल का मूल्य ;

(2) परिवर्तित मूल्य ;

(3) पैकिंग खर्च, पैकिंग के सामान को सम्मिलित करते हुए ;

(4) प्रक्रिया हानि ; और

(5) सूत्रयोगों में सम्मिलित उत्पादों की आवश्यकता के आधार पर एक उपयुक्त अप, जैसा कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 में अधिसूचित किया गया है परिवर्तन तथा पैकिंग लागत के मानकों की भी उक्त आदेशों में व्यवस्था की गई है । आदेश में उन तत्वों की भी व्यवस्था की गई है जिनके आधार पर प्रपुंज औषध की लागत मूल्य अनुमोदन के लिए निर्धारित की जाती है । प्रपुंज औषधों के निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच पहले मंत्रालय द्वारा की जाती है तथा यदि आवश्यक समझा गया तो लागत आँकड़ों की जांच प्रपुंज औषधों के विक्रय मूल्य निर्धारण से पहले लेखा अनुभाग को भेजे जाते हैं । सूत्रयोगों के बारे में आंकड़ों का निरीक्षण औषध मूल्य पुनरीक्षण बोर्ड जिसकी स्थापना इस मंत्रालय के तत्वावधान में की गई है, द्वारा की जाती है । इन परिस्थितियों में इस विषय में कोई जांच नहीं की गई है ।

राजस्थान में बिजली सप्लाई में कटौती

7243. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है ; और

(ख) क्या यह कटौती राज्य की भाखड़ा तथा चम्बल से प्राप्त होने वाली बिजली पर लागू की गई है अथवा परमाणु बिजली घर से प्राप्त होने वाली बिजली पर ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) राजस्थान में 25 किलोवाट अथवा उससे अधिक खपत वाले उद्योगों में 50 प्रतिशत विद्युत कटौती लागू कर दी गई है ।

(ख) यद्यपि राजस्थान, राणाप्रताप परमाणु विद्युत परियोजना का सारा उत्पादन, चम्बल और सतपुड़ा से राजस्थान का पूरा भाग तथा भाखड़ा से राजस्थान का अनुपातिक भाग प्राप्त कर रहा है, यह कटौती मुख्यत: भार वृद्धि के कारण लागू की गई है ।

दक्षिण रेलवे में वरिष्ठता सूची के विरुद्ध वायरलैस ग्रापरेटरों, वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइजरों तथा सिगनलरों की अपील

7244. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के उन वायरलैस आपरटरों, वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइजरों तथा सिगनलरों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों में जारी की गई वरिष्ठता सूचियों के विरुद्ध अपील की है ;

(ख) आज तक प्रत्येक वर्ष में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) कितने मामले न्यायालयों में दायर किए गए और उन पर क्या निर्णय हुए ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 1-4-1970 से, इस कोटि के चार कर्मचारियों ने उन्हें प्रदान की गयी वरिष्ठता के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है । तिरुच्चिराप्पल्ली मंडल के वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइज़र जिन्होंने जुलाई, 1971 में अभ्यावेदन किया था, की वरिष्ठता ठीक निर्धारित की गई है और उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया गया है । मद्रास मंडल के एक सिगनलर ने नवम्बर, 1972 में उनकी वरिष्ठता में संशोधन कर दिया गया । एक वायरलैस आपरेटर और एक वायरलैस ट्रैफिक सुपरवाइज़र के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं ।

(ग) कोई नहीं ।

पाँचवीं योजना के लिए बड़ी सिंचाई योजनाएं

7245. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान किन-किन सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया जाना है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना की अनमानित लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के कार्यक्रम का व्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

Memorandum submitted by Bihar Electricity Board to Minister

7246. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Bihar Electricity Board had submitted any Memorandum to him in Patna on 18th March, last;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the reaction of Goverment thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) & (c). do not arise.

Memorandum submitted by Railway Employees' Co-ordination Committee, Danapur

7247. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway Employees' Co-ordination Committee, Danapur had submitted any memorandum to him at Danapur Railway station on the 17th March last;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) The demands contained in the memorandum are given in the statement.

(c) Such issues are raised from time to time by recognised labour organisations and are settled through discussions in the meetings of the Negotiating Machinery and Joint Consultative Machinery at different levels.

STATEMENT

Demands contained in the Memorandum submitted by the Railway Employees' Co-ordination Committee, Danapur

1. Work according to yardstick.
2. Supply of essential commodities at subsidized rates.
3. Grant of House Rent Allowance.
4. Alternative appointment to decategorised staff.
5. Time bound promotions.
6. Treatment of Loco Coal Khalasis as Railway Employees.
7. Increase in the percentage of promotional quotas of Ministerial staff.
8. Incentive to Ministerial and Class IV staff.
9. Bonus and need-based minimum wage.
10. Withdrawal of victimisation cases against the Railway employees.
11. Early finalisation of settlement dues of the Railway employees.

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की देख-रेख में तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुडी से झारसिंहेश्वर तक तटबंध बनाने की योजना

7248. **श्री बी०के० दास चौधरी :**
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की देख-रेख में तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुडी से झारसिंहेश्वर तक तटबंध बनाने की योजना, बाढ़ के खतरे से वहां के क्षेत्र की सुरक्षा करने और जलपाईगुडी से हल्दीवाड़ी तक रेलवे लाइनों को बचाने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) जलपाईगुडी से झाड़सिंहेश्वर तक तीस्ता नदी के साथ-साथ तटबंध स्कीम में एक 37 किलोमीटर लम्बे मिट्टी के तट बंध का निर्माण परिकल्पित है जिसमें से 3 किलोमीटर को गोल पत्थर गाडकर पक्का किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 3.24 करोड़ रुपये है तथा यह जून, 1973 तक पूर्ण होना अनुसूचित है। यह तटबंध 19,300 हैक्टेयर (48,200 एकड) क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने तथा जलपाईगुडी हल्दीबाड़ी रेलवे लाइन को भी 20860 क्यूसेक्स (7.3 लाख क्यूसेक्स) तक की पीक निस्क्षरण बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अभिकल्पित है।

अपर कृष्णा कैनाल के निर्माण कार्य में श्रमिकों की संख्या

7249. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि अपर कृष्णा कैनाल के निर्माण कार्य में श्रमिकों की वर्तमान 500 की संख्या श्रमिकों को बढ़ाकर 1000 कर दिया जाए और 1000-1000 श्रमिकों की क्षमता के श्रमिक शिविर स्थापित किए जायें जो निमाणक्षेत्रों से तीन मील की दूरी पर हों ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि अपर कृष्णा परियोजना के अन्तर्गत नारायणपुर वामतट नहर और उसकी शाखाओं नामशः शाहपुर, जावेरी और इंडी के निर्माण को गुलबर्ग और बिजापुर जिलों में कमी से प्रभावित मजदूरों को रोजगार दिलाने हेतु हाथ में लिया गया है और इन कार्यों पर औसतन लगभग 8 से 10 हजार मजदूरों को प्रतिदिन कार्य पर लगाया जा रहा है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि संबंधी द्रुत कार्यक्रम

7250. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत् उत्पादन क्षमता में शीघ्रतापूर्वक वृद्धि करने के लिए सरकार ने कोई द्रुत कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

'सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) क्रेश-कार्यक्रम द्वारा विद्युत् उत्पादन क्षमता में तत्काल बड़ी मात्रा में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसके लिये स्वाभाविक तौर पर काफी समय दरकार होता है। तो भी (1) डीजल जनित्र सेटों के प्रतिष्ठापन (2) विद्यमान बिजली घरों से अधिकतम उत्पादन करने (3) योगात्मक वित्त-व्यवस्था

करके निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं को चालू करने में तीव्रता लाने (4) इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्री को आयात करने की व्यवस्था करने, और (5) सतत प्रबोधनों तथा विशेषज्ञ-दलों द्वारा परियोजनाओं के निरीक्षण द्वारा कठिनाइयों का अभिज्ञान करना तथा उनको दूर करने के संबंध में उपाय किए गए हैं।

विधि आयोग द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों को कानूनों में सम्मिलित किया जाना

7251. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक-आर्थिक विधान को मजबूत बनाने तथा अधिकारपूर्ण ढंग से अभिनिश्चित त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए (तथा अस्थायी रूप से ड्राफ्ट भी किए गए) संशोधनों को कानूनों में सम्मिलित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के संशोधन के लिए विधि आयोग की सैंतालीसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का, विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक का प्रारूपण करते समय, जो कि संसद में 1972 में पुरःस्थापित किया गया था, ध्यान रखा गया है। रिपोर्ट की ऐसी सिफारिशों की बाबत, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, विधेयक लोक सभा में 18–12–72 को पुरःस्थापित किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 का संशोधन करना है। अन्य विधानों के बारे में सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मैसूर में उर्वरक कारखाने की स्थापना करना

7252. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में उर्वरक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उन संभव स्थानों, जहां पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का सृजन किया जा सकता हो, के बारे में इस समय कुछ अध्ययन किये जा रहे हैं। इन अध्ययनों में मैसूर के कुछ स्थान भी शामिल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की परियोजना के लिए खरीदे गये उपकरणों का बेकार पड़े रहना

7253. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान की 220 किलोवाट की परियोजना के लिए खरीदे गये करोड़ों रूपयों की लागत के उपकरण बेकार पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) और (ख) : दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा यह सूचित किया गया है कि 180 लाख रुपये (लगभग) के मूल्य से नरेला, नजफगढ़, पटपड़गंज में 220 के०वी० के उप-केन्द्रों के प्रतिष्ठापन के लिए उपस्कर का केवल एक भाग प्राप्त हुआ है। शेष उपस्कर की सुपुर्दगी की जा रही है। विभिन्न सम्बद्ध कार्यों की प्रगति मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से पीछे रह गई है:—

(1) 220 के०वी० पारेषण लाइन के पथ संरेखन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों की स्वीकृति का विलम्ब से मिलना।

(2) 220 के० वी० उप-केन्द्रों के निमित्त भूमि की स्पष्ट तथा वास्तविक सुपुर्दगी में विलम्ब।

(3) निर्माण कार्य होने का कृषकों/भूस्वामियों द्वारा विरोध करना।

(4) इस्पात का सामान्य अभाव और वांछित संरचनात्मक इस्पाती सेक्शनों को पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता।

(5) सीमेंट इस्पात, हार्डवेयरस, इत्यादि को ले जाने के लिए रेल के मालवाहक डिब्बों की सामान्य कमी।

(6) संभरकों द्वारा प्रदत्त सर्किट ब्रेकरों की सुपुर्दगी में अपेक्षाकृत अधिक समय लगाना और इन्स्यूलेटरों तथा हार्डवेयरर्स आदि की सुपुर्दगी में भी विलम्ब हो जाना।

(7) स्वीकृत पथ संरेखन के साथ-साथ अनधिकृत घरों का निर्माण हो जाना और उनमें रहने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्माण में विरोध जाहिर करना।

उड़ीसा की मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वित किया जाना

7254. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम और संख्या कितनी है, जिनको क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) पांचवीं योजना के शुरु होने से पहले कितनी परियोजनाओं के पूरे हो जाने की आशा है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) उड़ीसा में संलग्न विवरण में दी गई 5 वृहत तथा 16 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से, हीराकुंड और सालन्दी परियोजनाओं पर तथा 8 मध्यम परियोजनाओं नामशः सलिया, सालको, बुधिबुधियानी धानेई, बहुदा (चरण 1) हीराधर्बती, पितामहल तथा बधुआ, पर शेष कार्यों के पांचवीं योजना के शुरू होने से पहले पूर्ण हो जाने की संभावना है।

विवरण

उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन सिंचाई परियोजनाएं

वृहत

1. हीराकुड (चरण-एक)
2. महानदी डेल्टा

3. सालन्दी
4. दार्जंग
5. आनन्दपुर बराज

मध्यम

1. सलिया
2. साल्की
3. बुधिबुधियानी
4. गोडाहाडों
5. धनेई
6. बहुदा (चरण-एक)
7. हीराधर्बती
8. पितामहल
9. उत्तेई
10. बधुआ
11. दहुका
12. ओंग
13. सुन्दर
14. कला
15. दादराघाटी
16. सैपाला

रेलवे सम्बन्धी खुर्दा रोड डिवीजनल समिति का गठन

7255. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सम्बन्धी खुर्दा रोड डिवीजनल समिति गठित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों विशेषकर जनता के प्रतिनिधि सदस्यों, के नाम क्या हैं;

(ग) क्या संसद सदस्य इस समिति के पदेन सदस्य हैं; और

(घ) 1971 से अब तक इसकी कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां। खुर्दा रोड के लिए मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का गठन दो वर्षों अर्थात् 1-1-1972 से 31-12-1973 तक के लिए किया गया है। इसमें नामित सदस्यों की सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी (**देखिये** संख्या एल० टी० 4813/73]

(ग) जी नहीं। प्रत्येक मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में दो संसद सदस्य नामिमत किये जाते हैं जो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं।

(घ) आठ। बैठकों में सदस्यों के सुझाव और परामर्श रेल उपयोगकर्त्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार करने की दिशा में उपयोगी पाये गये।

हावड़ा-वाल्टेयर सैक्शन पर तेज गति की रेलगाड़ी का चलाया जाना

7256. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हावड़ा-वाल्टेयर सेक्सन पर अभी तक तेज गति की रेल गाड़ी न चलाये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सवारी गाड़ियो की रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न पर आगे और विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि हावड़ा वाल्टेयर खण्ड पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वर्तमान अनुमेय रफ्तार को तब तक जारी रखा जाये जब तक कि :

(1) विभिन्न गाड़ी संरचनाओं की गति विभिन्नता में और अधिक विकास पर गौर न कर लिया जाये ;

(2) गाड़ियों में भीड़-भाड़ के प्रश्न को हल न कर लिया जये ; और

(3) रेलों की वित्तीय स्थिति में इतना सुधार न हो जाये कि मध्यम दूरी की अन्तः नगरीय गाड़ियों पर रफ्तार के संबंध में सेवा की क्वालिटी सुधारने के लिए कुछ धन जुटाया जा सके।

खुर्दा रोड डिवीजन में रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

7257. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण करने की विशिष्ट कसौटी क्या है ;

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे की खुर्दा डिवीजन में उन रेलवे स्टेशनों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है ;

(ग) उन में से इस समय एसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जो विद्यताक ण के लिए आवश्यक माप दण्ड पर पूरे नहीं उतरते; और

(घ) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनका विद्यतीकरण करने के लिये सार्वजनिक मांग की गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल प्रशासन की यह नीति है कि जिन स्टेशनों पर निकट ही उपयक्त सेवा सम्पक प्रभाव और दर सूचा पर निम्न वोल्टता वाली विश्वस्त बिजली उपलब्ध हो, उन सभी पर बिजली की व्यवस्था की जाये। स्टेशन का वाणिज्यिक महत्व, रात के समय उस स्टेशन पर रुकने व लीं गाड़ियों की संख्या अनरक्षण कमचारियों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। बिजली कषण अथवा रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था करते समय भी स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था कर दी जाती है। किसी स्टेशन के बिजलीकरण के लिये प्रारम्भिक अग्रता निर्धारित करते समय रेल उपयोगकर्ता समिति और संसद् सदस्यों के सुझा ों को भी ध्यान में रखा जाना हैं।

(ख) संलग्न सूची के अनुसार 25 स्टेशन

(ग) 14 स्टेशन।

(घ) निम्नलिखित सात स्टेशनों के बिजलीकरण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है :—

चीलीका

रेतांक

काईपदर रोड

सोलारी

भुषण्डपुर

गंगाधर पुर

हुम्मा

इनमें से भुषण्डपुर पर पहले ही बिजली लगी है। गंगाधर पुर और हुम्मा स्टेशनों पर 1973-74 में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। बाकी 4 स्टशनों के निकट बिजली उपलब्ध नहीं है।

विवरण

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खोरधा रोड मण्डल के उन स्टेशनों की सूची जहां बिजली नहीं लगी है

1. बीरपुरुषोत्तमपुर
2. चीलीका
3. गढ़मधुपुर
4. जकपुर
5. जौरंडा रोड
6. काईमदर रोड
7. नरसिम्हपुर
8. रेतांग
9. सालेगांव
10. सोलारी
11. सुम्मादेवी
12. सुर्ला रोड
13. मचपुर
14. राधाकिशोरपुर
15. नयाभागीरथीपुर
16. सदाशिवपुर
17. जायपुर
18. रोहामा
19. सोमपुर
20. गंगाधरपुर

21. गुरुदीजाकाटिया
22. केबजापदा
23. हुम्मा
24. मोतारि
25. घंटीकल

Attaching more Third Class Coaches to Kashmir Mail and introduction of another Train on this Route

7258. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether only two Third class coaches are attached to Kashmir Mail which starts from Delhi;

(b) whether Government propose to introduce another train on this route or attach more III class coaches to the Kashmir Mail in view of heavy rush of passengers in III class; and

(c) if so, by what time; and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. Apart from the III class sleeper coaches, accommodation equivalent to three General III class coaches during summer and five III class coaches during winter is provided on Kashmir Mail which starts from Delhi.

(b) & (c) It is proposed to augment the load of Kashmir Mails by one third class and one 2-tier sleeper coach with effect from 1-5-1973 consequent upon their dieselisation.

Supply of Hindi forms for recruitment of helpers, Kotah Workshop

7259. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether all the application forms supplied in connection with the recent recruitment of helpers in Kotah Workshop (wagon repair shop) were printed in English;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government will supply application forms in Hindi in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No application forms were supplied.

(b) & (c) Do not arise.

Posting of Booking Clerks at Booking Windows on Western Railway

7260. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations on Western Railway where there are 3 booking windows, but only 2 clerks, to man them; and

(b) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मणिपुर में लोकटक पन-बिजली परियोजना

7261. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर की लोकटक पन-बिजली परियोजना की लागत अनमानित लागत से अधिक होगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) यह लागत मूलत: अनुमानित लागत से अधिक होगी।

(ख) लागत में वृद्धि के मुख्य कारण हैं (1) भूमि अधिग्रहण की लागत (2) मजदूरी की दरें (3) सामग्री की कीमत (4) कार्यों के परिमाण और अभिकल्प तथा अभियांत्रिकी प्रभारों में वृद्धि और (5) प्राक्कलनों में दी गई दरों के मुकाबले ठेकेदारों द्वारा ऊंची दरें प्रस्तुत करना।

Generation of electricity from sea waves

7262. **Shri D.S. Chowhan :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether an engineer is working on a scheme to generate electricity frcm sea waves; and

(b) if so, whether Government propose to help him in completing his scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Vcrma) : (a) Yes, Sir.

(b) No adequate details are furnished to see the possibility of generating power frcm sea waves.

चिनातालापल्ली और येलगुड़ रेलवे स्टेशनों के बीच 'फिश प्लेटों' का हटाया जाना

7263. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरनूल जिले में चिनातालापल्ली और येलगड़ रेलवे स्टेशनों के बीच 17 मार्च, 1973 को "फिश प्लेटें" निकली पाई गई थीं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, लेकिन यह क्षेत्र वारन्गल जिला में पड़ता है, न कि कुरनल जिले में।

(ख) और (ग) काजापेट की सरकारी रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और वह उसकी जांच पड़ताल कर रही है।

भाषा प्रवर्तन संशोधन अधिनियम, 1967 हेतु राजपत्रित पदों का निर्माण (पश्चिम-मध्य रेलवे)

7264. **डा० कैलाश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय में भाषा प्रवर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1968 हेतु पदों के निर्माण पर प्रतिबन्ध हटा दिया है;

(ख) पश्चिम और मध्य रेलवेज़ ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व राजपत्रित पदों का निर्माण करने का अनुरोध किया था; यदि हां, तो, इनकी कब तक मंजूरी दे दी जायेगी; और

(ग) इन पदों का निर्माण करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) यद्यपि राजपत्रित पदों के सृजन पर इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी राजस्व को प्रभार्य राजपत्रित पदों का सृजन तभी किया जाता है जब वे प्रमाण्य रूप से अनिवार्य समझे जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर (दक्षिण रेलवे को छोड़कर) श्रेणी II के सहायक हिन्दी अधिकारी के दो पद स्वीकृत किये गये हैं। नवम्बर 1971 और मार्च 1972 में पश्चिम रेलवे से दो अतिरिक्त पदों और मार्च 1972 में मध्य रेलवे से एक अतिरिक्त पद ने सृजन के लिए प्रस्ताव मिले थे। प्रस्तावों की जांच की गयी थी लेकिन यह पाया गया कि अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए जो औचित्य दिया गया था वह पर्याप्त नहीं था। राजपत्रित पदों के सृजन में मितव्ययिता बरतने की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों के आधार पर इस मामले की पुनः जांच की जा रही है।

एस्सो और कालटेक्स द्वारा ईरानी अशोधित तेल का शोधन

7265. **श्री एस० एन० मुकर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो और कालटेक्स ईराकी अशोधित तेल का शोधन करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा कितने ईराकी अशोधित तेल का शोधन किया जायेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) एस्सो और कालटेक्स तेल कम्पनियां भारतीय तेल निगम द्वारा ईराक से आयातित नार्थ रुमिला क्रूड आयल को उक्त निगम की ओर से, साफ करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है? भारती तेल निगम और सम्बद्ध कम्पनियों के बीच शर्तों के बारे में इस समय विचार हो रहा है।

Setting up of new wagon manufacturing factories during Fifth Plan Period

7266. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken by Government to set up new factories for manufacturing wagons during the period of Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the gist thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

Expansion of dispensary in Railway Colony, Delhi-Kishanganj

7267. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any scheme to expand the present dispensary in Railway Colony, Kishanganj, Delhi is under consideration;

(b) if so, its present position and the broad outlines of the expansion scheme; and

(c) the time by which it is likely to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) & (c) There is a proposal for expansion of the existing Health Unit at Delhi-Kishanganj to provide X-Ray, Pathological laboratory and minor operation facilities as out-patient treatment. The cost of the work is Rs. 3.37 lakhs. This work has since been taken up in the Final Works Programme for the year 1972-73 with an outlay of Rs. 16 thousand in 1972-73 and Rs. 1 lakh for the year 1973-74. The balance of Rs. 2.21 lakhs will be carried forward and the work will be completed in course of time.

Fitting of instrument in Railway engines to keep drivers alert

7268. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Commission had recommended to Government that an instrument should be fitted in Railway engines to keep the drivers alert;

(b) whether no action has been taken in this regard for the last five years; and

(c) if so, the reasons for delay in this regard and the reaction of Government ther to?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) & (c) Action has been taken. Out of a total main line fleet of about 1200 diesel locomotives 543 are fitted with Vigilance Control devices besides 135 locomotives fitted with Deadman's pedals. Further orders for 280 Vigilance Control devices have been placed on M/s. Beni & Company Limited, Calcutta. The fitment of Vigilance Control devices could not be accelerated due to non-availability of a satisfactory indigenous control devices so far.

Attaching of brake-vans and parcel vans adjacent to engine

7269. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Railway Commission has expressed regret that vans and parcel vans are not attached adjacent to the engines in express and mail trains so that there are less casualties in the event of a train accident; and if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Presumably the reference is to the annual report of the Commissioner of Railway Safety for the year 1971-72 wherein it had been mentioned that instances of contravention of instructions regarding marshalling of trains had come to notice of the Commission. While instructions regarding the marshalling of coaches are, by and large, scrupulously adhered to. any lapse in compliance of instructions is taken up suitably. These, however, are mostly cases of omission or cases of last minute changes in the composition of passenger trains.

रेलवे स्टेशनों के बुक स्टालों का शिक्षित बेरोजगारों व्यक्तियों को आबंटन

7270. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की थी कि रेलवे स्टेशनों के बुक स्टाल शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को दिए जाएंगे;

(ख) इनके लिए कितने शिक्षित बेरोडगार व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिए हैं; और

(ग) कितने मामलों में सरकार ने निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह घोषणा की गयी थी कि इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है कि क्या विभिन्न स्टेशनों पर शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहकारी समितियों को बुक स्टाल आबंटित करना संभव हो सकेगा।

(ख) ग्यारह पार्टियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) जब योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा तो आवदन पत्रों पर उनके गुणदोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

कच्छ (गुजरात) में समुद्र तटवर्ती रेलवे लाइन

7271. **श्री प्रसन्नभाई मेहताः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ (गुजरात) में समुद्र तटवर्ती रेलवे लाइन के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है जो 1949 से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस रेलवे लाइन पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) सम्भवतः आशय गांधीधाम-लखपत मीटर लाइन/बड़ी लाइन रेल सम्पर्क से है। यदि ऐसा है तो 1949 में इस रेल सम्पर्क के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था, हालांकि इस क्षेत्र में बम्बई से सिंध तक, एक रेल सम्पर्क के लिए जिसका एक भाग कच्छ क्षेत्र के सेवार्थ होता, 1946-47 में सर्वेक्षण किये गये थे। लेकिन गांधीधाम--लखपत रेल सम्पर्क के लिए 1970-71 में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्टों की इस समय जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्टों की सभी दृष्टियों से जांच कर लेने के बाद इस परियोजना के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार चल स्टाक की लागत और ब्याज को छोड़कर इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत इस प्रकार है :--

(i) गांधीधाम और भुज के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम को मिलाकर गांधीधाम-भुज-मांडवीलखपत बड़ी लाइन संरक्षण के लिए 22.41 करोड़ रुपये;

(ii) गांधीधाम-मुंद्रा-मांडवी-लखपत बड़ी लाइन संरक्षण के लिए 19.80 करोड़ रुपये; और

(iii) गांधीधाम-मुंद्रा-मांडवी मीटर लाइन संरक्षण के लिए 15.51 करोड़ रुपये है।

Posting of attendants in first class compartments of Jamnagar-Delhi train

7272. **Shri M.C. Daga**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether no attendant is posted in first class compartments of the Jamnagar-Delhi train during the course of its journey from Ajmer to Delhi; and if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : Coach Attendants are provided twice a week on Jamnagar-Delhi first class coach between Ajmer and Delhi at present. Arrangements are being made to man this coach on all days of the week with effect from 1st May. 1973.

Extension of trains running between Samdari and Bhildi upto Palanpur

7273. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which the two passenger trains operating daily on Samdari-Bhildi line cannot be extended to Palanpur so that the passengers travelling to and from Bombay could save a lot of time; and

(b) whether this proposal has been under the consideration of Railway Department for the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Suggestions for the extension of the two trains running on Samdari-Bhildi section to and from Palanpur were received. The suggested extension is, at present, neither justified by the traffic offering nor operationally feasible for want of adequate line capacity *en-route.*

Requirement, production and import of soda ash during 1970, 1971 and 1972

7274. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total requirement of soda-ash in the country at present and the quantum of production thereof in the country and the quantity imported from abroad during the years 1970, 1971 and 1972, separately; and

(b) the steps taken or proposed to be taken by Government for making the country self-sufficient in soda-ash?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The estimated requirement of Soda Ash during the year 1973 is of the order of 5.50 lakh tonnes. Figures of production and imports in the past three years were as follows :—

Year	Productions (Tonnes)	Imports (Tonnes)
1970 . .	4,46,443	557
1971 . .	4,78,941	11,110
1972 . .	4,85,971	2,000 (upto August, 1972).

(b) Additional licensed capacity to the tune of 1.8 lakh tonnes per annum, is under implementation. Besides, capacity to the extent of 8.90 lakh tonnes/year has been covered under Letters of Intent. The implementation of the projects is reviewed regularly to ensure that licensed capacity is installed expeditiously.

पश्चिम दीनाजपुर के अन्तर्गत बेलुरघाट में रेल सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट

7276. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम दीनाजपुर के अन्तर्गत बेलुरघाट में रेल संपर्क स्थापित करने के बारे में अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मंत्रालय द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट एम्पलाईज एसोसियेशन से ज्ञापन

7277. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट एम्पलाईज एसोसियेशन की ओर से हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन किस विषय में हैं, और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन (न कि फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट एम्प्लाइज एसोसियेशन) से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित मजदूरों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(एक) फरक्का बैरेज परियोजना के लगभग 2900 वर्कचार्ज तथा नियमित कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाए।

(दो) फालतू कर्मचारियों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार ढूंढा जाए।

(तीन) भागीरथी तलकर्षण कार्य परियोजना के मजदूरों को सौंप दिया जाए।

(चार) परियोजना के मजदूरों को एक वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा दूसरे शनिवार की छुट्टी दी जानी चाहिए।

(पांच) जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों का सेवा काल तीन वर्ष हो चुका है उनको स्थायी घोषित किया जाए। नियमित कर्मचारियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए।

(छः) काफर बांध कार्यों के लिए परियोजना के सभी शेष कर्मचारियों के लिए मानदेय (आनोरेरियम) स्वीकृत किया जाए।

(ग) मजदूरों की मांगों की जांच की जा रही है

पटना में प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में रेलवे बोर्ड को शामिल करना

7278. **श्री वरके जार्ज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की तकनीकी समिति ने पटना में 32 करोड़ रुपये की प्रस्तावित गंगा पुल परियोजना में शामिल होने की सम्भावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पटना में प्रस्तावित गंगा पुल की परियोजना में रेलवे के शामिल होने का प्रश्न विचाराधीन है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अजमेरी गेट साईडिंग में सीमेंट उतारने के लिए शैड की व्यवस्था करना

7279. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अजमेरी गेट साईडिंग में सीमेंट उतारने के लिए कोई शैड नहीं है;

(ख) रेलवे प्रशासन को वर्षा द्वारा सीमेंट की क्षति होने के परिणामस्वरूप सीमेंट के व्यापारियों को दावों के रूप में बहुत अधिक राशि देनी पड़ती है और यदि हां तो गत तीन वर्षों में इस कारण कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) ऐसे दावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सीमेंट उतारने के प्रयोजन के लिए अजमेरी गेट साईडिंग में एक छतदार शैड है।

(ख) वर्षा से हुई सीमेंट की क्षति के कारण पिछले तीन वर्षों में दावों के फलस्वरूप कुल जितनी रकम का भुगतान किया गया, वह इस प्रकार है :--

1970-71	कुछ नहीं
1971-72	2,037 रुपये
1972-73	9,615 रुपये

(ग) भूसालाइन अजमेरी गेट के प्लेटफार्म को 150 फुट तक बढ़ाने और उस पर एक शैड बनाने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसे भावी वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

सीमेंट उतारने के लिए शकूरबस्ती साईडिंग में शैड का निर्माण

7280. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में शकूरबस्ती साइडिंग में सीमेंट उतारने के लिये कोई शैड नहीं है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन को वर्षा से सीमेंट को क्षति पहुंचने के कारण सीमेंट के व्यापारियों को अत्यधिक धनराशि देनी पड़ती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस कारण कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) क्या शकूरबस्ती साइडिंग में एक शैड का निर्माण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां तो यह शैड कब तक बन जायेगा।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। सीमेंट उतारने के प्रयोजन के लिये सकूरबस्ती साइडिंग में कोई शैड नहीं है।

(ख) शकूरबस्ती में सीमेंट को उतारने के बाद वर्षा के कारण हुई क्षति के फलस्वरूप अभी तक किसी रकम का भुगतान नहीं किया गया है। लेकिन, 9,084 रुपये के दावे अभी अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) सीमेंट साइडिंग में एक शैड के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसे भावी वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में शुरू किया जायेगा, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

इलाहाबाद जिले की तहसील सारन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को मंजूरी

7281. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद जिले की तहसील सारन के लिये दो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की मंजूरी के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना जुलाई, 1969 में हुई थी और यह राज्य बिजली बोर्डों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये उनको योगात्मक धन दता है। अब तक निगम ने उत्तर प्रदेश की 48 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 2861.911 लाख रुपये की ऋण सहायता से 5,884 गांवों का विद्युतीकरण,

31,347 पम्प सेटों का उर्जन और 12,094 लघु तथा कृषि उद्योगों को विद्युत् प्रदाय करना परिकल्पित है। इन स्कीमों में इलाहाबाद जिले की 3 स्कीमें भी सम्मिलित हैं जिनमें महजा, करचना और फूलपुर तहसीलों में 431 गांवों के विद्युतीकरण तथा 3,333 पम्प सेटों के उर्जन करने के लिये 241.596 लाख रुपये की ऋण सहायता परिकल्पित है। अब तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से सारण तहसील के विद्युतीकरण के लिये कोई स्कीम ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्राप्त नहीं हुई है ; और

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना अवधि के लिए रेलवे विद्युतीकरण योजनाएं

7282. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं; और

(ख) इनमें से कौन कौन सी योजनाओं को सरकार तमिलनाडु में लागू करने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान किन किन भागों में बिजली लगायी जायेगी, इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट निर्णय सर्वेक्षण और लागत-एवं-व्यावहारिकता अध्ययन कर लिये जाने के बाद ही किये जायेंगे।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में क्लर्कों के रूप में खपाए गए भूतपूर्व वर्क मिस्त्रियों और ए०आई०ओ०डब्ल्यू के वेतनों का संरक्षण

7283. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्क मिस्त्रियों को दक्षिण-पूर्व रेलवे में फालतू घोषित कर दिया गया था और उन्हें वेतन का संरक्षण दिये बिना क्लर्क के रूप में खपा लिया गया था;

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 11 मई, 1971 को रेलवे प्रशासन को निदेश दिया था कि इन वर्क मिस्त्रियों को क्लर्क के रूप में खपाये जाने की अवधि में वेतन का पूरा संरक्षण दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो इन वर्क मिस्त्रियों जैसे अन्य सभी मामलों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निदेशानुसार नियमित किया गया है और क्या पश्चिम रेलवे के ए० आई० ओ० डब्ल्यू० का मामला, जिन्हें सन् 1966 में क्लर्कों के तौर पर खपाया गया था उक्त वर्क मिस्त्रियों के मामले जैसा ही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन्हें भी क्लर्क के रूप में कार्य करने की अवधि के लिए वेतन का संरक्षण दिया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर फालतू घोषित किये गये निर्माण मिस्त्री कार्यालय क्लर्क, गाड़ी क्लर्क, वाणिज्यिक क्लर्क आदि वैकल्पिक पदों में आमेलित कर लिये गये। वर्तमान आदेशों के अनुसार, रेलवे के फालतू कर्मचारियों को जब उससे नीचे के ग्रेडों

में वैकल्पिक पदों में ग्रामेलित किया जाता है तब जिन वैकल्पिक पदों में उन्हें ग्रामेलित किया जाता है उनमें उच्चतर वेतन निर्धारित करने के लिए उनकी पिछली सेवा का ग्रधिमान दिया जाता है ग्रौर जिन पदों पर वे फालतू घोषित किये जाते हैं उनमें जितने वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं उनके ग्रनुरूप ही ग्रग्रिम वार्षिक वृद्धि-व्यक्तिगत वेतन मंजूर किया जाता है। इन कर्मचारियों का वेतन भी तदनुसार निर्धारित किया गया था।

(ख) जी हां, ग्रावेदकों को।

(ग) ग्रौर (घ) जी नहीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 29 मई, 1972 के ग्रपने ग्रादेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि दिनांक 11-5-1971 के निर्णय का लाभ केवल ग्रावेदकों तक सीमित रहेगा। तदनुसार पश्चिम रेलवे पर ग्रौर ग्रन्यत्र फालतू घोषित किये गये सहायक निर्माण निरीक्षकों को क्लर्क के रूप में ग्रामेलित करने पर उनका वेतन उपर्युक्त (क) के उत्तर में बताये गये वर्तमान ग्रादेशों के ग्रनुसार विनियमित किया गया है।

भारतीय रेलवे में रेलवे ग्रधिकारियों के सैलूनों को यात्री डिब्बों में बदलना

7284. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे में यात्री डिब्बों की बहुत कमी है;

(ख) क्या जनता की सुविधा ग्रौर गाड़ियों में भीड़ की समस्या हल करने के लिए रेलवे ग्रधिकारियों के सैलूनों को यात्री डिब्बों में बदलने का कोई प्रस्ताव है; ग्रौर

(ग) क्या वे रेलवे ग्रधिकारियों के विशेषाधिकार कम करने के लिए किसी ग्रन्य प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रौर (ग) : रेल ग्रधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले निरीक्षणयानों को सवारी डिब्बों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस के ग्रलावा, वे निरीक्षणयान, ग्रधिकतर, पुराने लकड़ी के ढांचे वाले डिब्बे हैं जो ग्रमानक किस्म के निचले ढांचों पर बनाये गये थे। सवारी डिब्बों के रूप में उपयोग के लिए उन्हें बदलना व्यावहारिक नहीं होगा। इन डिब्बों का उपयोग ग्रब केवल कार्य सम्बन्धी उद्देश्यों तक ही सीमित है।

Cases pending with the Supreme Court

7285. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Bhaljibhai Ravjibhai Parmar :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending with the Supreme Court at present; and

(b) the number of cases pending for more than three years?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) 10,846 cases were pending on 1-1-1973.

(b) 2116 on 1-1-1973.

केरल द्वारा नई नदी घाटी परियोजनाएं भेजना

7286. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रेणी में कुछ नई नदी घाटी परियोजनाएं मंजूरी के लिये भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में बर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई की कोई स्कीम नहीं है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण तथा निर्माण राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी विकासात्मक योजनाओं के एक भाग के रूप में किया जाता है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास या परियोजना के किसी पृथक शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती है।

केरल सरकार ने अपनी विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित नई सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित की हैं:—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाखों में)	लाभ : लाख एकड़ों में
बृहद् :		
एडामलायार .	1967	2.88
वाणासुरसागर .	1137	0.59
तिरून्नेल्लि . .	650	0.22
केरल भवानी (टेल रेस समुपयोजन)	805	0.80
मध्यम		
कारापुझा सिंचाई	389.00	0.23
अट्टापडी सिंचाई परियोजना . . .	476.00	0.153
नूलापुझा	290.00	0.21
मंजट	318	0.12
थेण्डर	299.00	0.15

एडामलायार, केरल भवानी और कारापुझा सिंचाई स्कीमों की जाँच केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में की जा रही है। अन्य परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं।

7 LSS/73—7.

केरल में 100 किलोमीटर रेलमार्ग के पीछे जनसंख्या तथा क्षेत्र का श्रौसत

7287. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 100 किलोमीटर रेलमार्ग के पीछे जनसंख्या श्रौर क्षेत्र की श्रौसत क्या है; श्रौर

(ख) इसके मुकाबले ग्रखिल भारतीय ग्रांकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) केरल में प्रति 100 किलोमीटर रेलवे लाइनों के पीछे श्रौसतन 4,367 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र श्रौर 2,398,000 की जनसंख्या पड़ती है।

(ख) ग्रखिल भारतीय तुलनात्मक ग्रांकड़े 5,302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र श्रौर 909,000 की जनसंख्या है।

केरल में गांवों का विद्युतीकरण

7288. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **सिचाई श्रौर विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में केरल में कौन-कौन से गांवों में जिलेवार बिजली पहुंचाई गई श्रौर 1973-74 में कौन-कौन से गांवों में जिलेवार बिजली पहुचाई जायेगी ?

सिंचाई श्रौर विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4814/73]

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां

7289. श्री वयालार रवि : क्या **विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) मार्च, 1973 के ग्रन्त में कुल कितनी गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां थीं श्रौर उनकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी थी;

(ख) कितनी कम्पनियों में विभिन्न एकाधिकारी गृहों श्रौर विदेशी सहयोगियों के 50 प्रतिशत से ग्रधिक शेयर हैं श्रौर उनकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है; श्रौर

(ग) गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों ने कुल कितनी पूंजी के शेयर बेचे श्रौर इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० ग्रार० चव्हाण): (क) देश में नवीनतम तिथि 31 दिसम्बर, 1972 तक, जिसकी सूचना उपलब्ध है, कार्यरत गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या 6693 थीं। इन कम्पनियों की उस तिथि तक कुल प्रदत्त पूंजी रु० 1833.2 करोड़ थी।

(ख) 31-3-1971 तक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां, जिनमें विदेशी धारित कम्पनियों के उनकी हिस्सा पूंजी में 50 प्रतिशत से ग्रधिक धारित थे, उनकी संख्या 138 श्रौर कुल प्रदत्त पूंजी रु० 253.80 करोड़ थी।

उन कम्पनियों की संख्या, जिनमें एकाधिकार गृहों के 50 प्रतिशत से ग्रधिक हिस्से थे, से सम्बन्धित सूचना संग्रहीत की जा रही है श्रौर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) गैर सरकारी, गैर वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा विवरण-पत्रों के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में पूंजो निर्गमन राशि (हिस्से एवं ऋणपत्रों में) निम्न प्रकार है :—

वर्ष समाप्ति	पूंजी निर्गमन की राशि (करोड़ रुपये)
दिसम्बर, 1970	42.09
दिसम्बर, 1971	29.27
दिसम्बर, 1972	66.01

कोयली में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना लगाने के लिए कनाडा से ऋण

7290. **श्री एम० एम० जोजफ:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ोदा के निकट कोयली में कोई उर्वरक कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इसके लिये कनाडा से कोई ऋण मिला है; और यदि हां, तो इस बारे में हुये करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़े उद्योग गृहों की आस्तियां, उत्पादन और लाभ

7291. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल में घोषित 'औद्योगिक नीति विवरण' के अनुसार बड़े उद्योग-गृहों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन गृहों के नियंत्रणाधीन कम्पनियों के पास वर्ष 1968-69 और 1971-72 में कुल कितनी आस्तियां थीं और उत्पादन और लाभ कितना-कितना था?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

7292. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ट्यूब कम्पनो लिमिटेड, कलकत्ता के मुख्य शेयरधारियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक शेयरधारी के पास कितने और कितने प्रतिशत शेयर हैं;

(ग) इस कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(घ) क्या इस कम्पनी के विरुद्ध निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के कोई आरोप थे और यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ङ) इस कम्पनी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण): (क) से (ग) सूचना संग्रह की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10(क)(1) के अन्तर्गत इस आरोप युक्त शिकायत प्राप्त हुई है, कि इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं का पोषण किया जा रहा है। आयोग ने जांच-पड़ताल निदेशक को इस अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत प्राथमिक जांच-पड़ताल करने के निदेश दिये हैं तथा निदेशक द्वारा अभी जांच-पड़ताल पूर्ण नहीं हुई है।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

नैफ्था की माँग तथा इसकी आन्तरिक स्रोतों तथा आयात से सप्लाई

7293. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में नैफ्था का मांग कितनी है;

(ख) इस समय इसकी कितनी सप्लाई आन्तरिक स्रोतों से और आयात द्वारा की जाती है; और

(ग) इस आवश्यक कच्चे माल की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग) जब कच्चा तेल आसवित किया जाता है तो शोधनशाला में नैफ्था एक हलके आसुत के रूप में प्राप्त होता है। यह संभव है कि नैफ्था और मोटर स्प्रिट का आपेक्षिक उत्पादन, नैफ्था कों मोटर स्प्रिट में बदल कर घटाया बढ़ाया जा सकता है और एक शोधनशाला में यह कहां तक किया जा सकता है, नैफ्था के विशेष गुणों और शोधनशाला में इस उत्पादन को मोटर स्प्रिट में बदलने के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर है। 1973 के लिए नैफ्था और मोगैस के उत्पादन और मांग का पूर्वानुमान नीचे दर्शाये गये हैं:--

(000 मीटरी टन में)

	मोटर स्प्रिट	नैफ्था	कुल
उत्पादन . .	1703	1522	3225
मांग	1703	1887	3590
कमी	—	(—) 365	(—) 365

सारी कमी नैफ्था की इसलिए दिखाई गई है क्योंकि नैफ्था का आयात मोटर स्प्रिट से सस्ता रहेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय तेल निगम नैफ्था के आयात के प्रबंध कर रहा है। नैफ्था की आवश्यकता मुख्य रूप से उर्वरक और पेट्रो रसायन एककों के लिए होती है अतः वास्तविक उपभोग इन एककों की वास्तविक मांग पर निर्भर होगा।

20 बड़े उद्योग गृहों की प्रदत्त पूंजी, आस्तियां तथा लाभ

7294. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की परिभाषा के अनुसार 20 बड़े उद्योग गृहों की वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कुल प्रदत्त पूंजी, कुल आस्तियां, उत्पादन और कुल लाभ कितना कितना था ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : अपेक्षित सूचना अनुलग्निक विवरण पत्र में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4815/73]

रेलवे में सेवा कर रहे अर्हता-प्राप्त लागत लेखाकारों द्वारा निजी कार्य करना

7295. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में सेवा कर रहे अर्हता-प्राप्त लागत लेखाकारों को कार्य के घंटों के बाद उनके फालतू समय में लागत-परामर्शदाताओं के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है जबकि चिकित्सा, सर्जरी आदि में अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को ऐसा करने की अनुमति है ;

(ख) क्या अर्हता-प्राप्त लागत लेखाकारों के इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गये अभ्यावेदन निचले प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये ही रोक लिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार की नीति यह रही है कि सामान्यत: रेल कर्मचारियों को नियमित पारिश्रमिक वाले धंधे जैसा कोई काम करने की अनुमति न दी जाये, चाहे वह काम कार्यालय के समय के बाद ही किया जाता हो। इस बात को देखते हुये, सम्बन्धित आचरण नियमों के अनुसार लागत लेखापालों को कार्यालय के समय के बाद अपने फालतू समय में लागत-परामर्शदाताओं के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। किन्तु उन रेलवे डाक्टरों को, जो प्रशासी पदों पर न हों, रेल कर्मचारियों के परिवारों आदि के ऐसे सदस्यों का इलाज करने की अनुमति है जो अस्पताल में नहीं आ सकते और उन्हें प्रतिबन्धित प्रेक्टिस के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार नाममात्र की निश्चित रकम लेने की अनुमति है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Fare charged by Steamer Service from Paleza Ghat to Mahendru Ghat

7296. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Steamer Services are provided to passengers by Railways in Ganga river from Paleza Ghat to Mahendru Ghat in North Eastern Railway and though the distance from Paleza Ghat to Mahendru Ghat is 10 kilometres, fare is charged for 43 kilometres; and

(b) if so, the reasons for which fare for 43 kilometres is charged from passengers from Paleza Ghat to Mahendru Ghat?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Steamer ferry services are provided by the Railways on Ganga river between Paleza Ghat to Mahendru Ghat to cater to through passengers. The distance between high level ghat of Paleza Ghat station and Mahendru Ghat is approximately 18 kms. Fares are charged on the inflated distance of 41 kms.

(b) Fares are charged for 41 kms. to cover the working expenses of the ferry including recurring expenses on maintenance and shifting of ghats, preserving shore connection s etc.

More Railway fare charged for Sonepore Paleza Ghat distance

7297. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether distance between Sonepore and Paleza Ghat on North Eastern Railway is six kilometres only;

(b) whether for the said distances Railways charge fare for a distance of 12 kilometres;

(c) if so, the reasons for which Government have not corrected this mistake so far; and

(d) the date from which fare would be charged from the passengers at a rate worked out correctly for the actual distance from Sonepore to Paleza Ghat instead of charging more for the said distance?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qu reshi) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Fares are levied correctly on the basis of weighted distance and not on actual distance. The reason is that site of ghat stations is susceptible to changes due to vagaries of rivers resulting in recurring expenses on maintenance and shifting of ghats and preserving shore connections etc.

(d) In view of answer to part (c) above, this question does not arise.

गुजरात में पानी का ग्रिड बनाने हेतु सहायता देना

7298. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार राज्य में सभी मुख्य नदियों को मिलाकर पानी का ग्रिड बनाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वह एक जल ग्रिड बनाने के लिये राज्य की कुछ मुख्य नदियों को जोड़ने की एक योजना बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि बहरहाल, स्कीम नर्मदा परियोजना के विस्तार का पता चल जाने के बाद ही तैयार की जा सकती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता

7299. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ की मान्यता बहाल करने के बारे में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3859 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औपचारिक रूप से पंजीकृत नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने के बारे में विचार पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

सिगनल और दूर-संचार विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) के सड़क-पटरी के अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

7300. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल विभाग के सड़क-पटरी के अनुरक्षण कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवास की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो रिहायशी आवास देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) विभिन्न स्टेशनों पर बने क्वार्टरों को पूल में रखा जाता है और उनके आबंटन के लिये सभी कर्मचारी, जिनमें लाइन पर अनुरक्षण कार्य में संलग्न सिगनल विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, समान रूप से पात्र माने जाते हैं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे पर रैंक से पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे में शिक्षु चार्जमैन की नियुक्ति

7301. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे प्रबन्ध यंत्रीकृत वर्कशापों तथा अन्य एककों में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये आरक्षित कोटे पर शिक्षु चार्जमैन नियुक्त करने के लिये कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है; और नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन ने इस के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यूनियन के विचार को स्वीकार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तकतार रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) को अपने नियंत्रण में लेना

7302. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत तकतार रेलवे स्टेशन को गत कई वर्षों से ठेके पर चलाया जा रहा है;

(ख) क्या ठेके की व्यवस्था समाप्त करने और इस स्टेशन को विभागीय तौर पर चलाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1963 से, इसे ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्ट के रूप में चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस हाल्ट स्टेशन को विभागीय तौर पर चलाने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया।

मुसलमानों के वैयक्तिक कानून को संहिताबद्ध करना

7303. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :

श्री डी० के० पण्डा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के उच्च न्यायालय के जस्टिस वी० खलीद द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है। जिसमें उन्होंने मुसलमानों के वैयक्तिक कानून को भारत की विधि संहिता (कार्पस ज्योरिस आफ इण्डिया) का अंग बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां;

(ख) सरकार की यह नीति है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की वैयक्तिक विधि में किसी सुधार के लिये पहले उसी समुदाय की ओर से की जानी चाहिये।

इण्डियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसियेशन के कर्मचारियों का भविष्य

7304. डा० रानेन सेन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अधीन अंग्रेजों के जमाने से इण्डियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन नामक एक संगठन काम कर रहा है;

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इस संगठन को कोई विशेष कार्य नहीं करना होता; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संगठन के अस्तित्व और कार्यकरण तथा इसके कर्मचारियों के भविष्य पर नये सिरे से विचार करने का सरकार का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां;

(ख) और (ग) जब यह संगठन स्थापित किया गया था तो उस समय विद्यमान स्थितियों में इसे किसी विशिष्ट काम के लिये बनाया गया था। वर्तमान स्थितियों के अन्तर्गत इस संगठन की उपयोगिता के बारे में इसे एक नया रूप देने का सरकार का प्रस्ताव है।

भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के कर्मचारियों को एम० टी० पी० कलकत्ता में खपाना

7305. **डा० रानेन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मार्टिन लाइट रेलवे के क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल से बाहर विभिन्न रेलों में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या एम० टी० पी० यू० (यू० रेलवे, कलकत्ता) में अपने काम के लिये लोग भर्ती कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की भूतपूर्व मार्टिन रेलवे के कर्मचारियों को एम० टी० पी० में खपाने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां;

(ख) श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं की जा रही है;

(ग) इस बात की हिदायत है कि महानगर परिवहन परियोजना, कलकत्ता में स्थानान्तरित करने के लिये ऐसे कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार किया जाये ।

आन्ध्र प्रदेश में "फिश प्लेटों" के उखाड़ देने की घटनाएं

7306. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में रेल पटरी के दोनों ओर फिश प्लेटों "डाग-स्पाइकों" और "कुंजियों" के गुम होने की अनेक घटनाओं का सरकार को पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों का सामान्य प्रकार से चलना सुनिश्चित करने के लिये क्या सुरक्षा प्रबन्ध किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में जहां हाल के 'मुल्की' आन्दोलन के दौरान ऐसी बहुत सी घटनायें हुई, रेल पथ पर गश्त लगाना, प्रभावित क्षेत्रों में गाड़ियों के साथ आरक्षी भेजना, आसूचना इकट्ठी करना और उसको सरकारी रेलवे पुलिस को देना आदि उपायों के अलावा, जो रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये आम तौर पर किये जाते हैं, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सीमा सुरक्षा दल और रेलवे सुरक्षा विशेष दल की बटालियनें भेज कर सुरक्षा प्रबन्ध कड़े किये गये थे। इस क्षेत्र में गाड़ियों में काम करने के लिये प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था।

पाइपों के जंग खा जाने से गुजरात तेल शोधक कारखाने के तीसरे वातावरणीय एकक के बन्द हो जाने के बारे में जांच

7307. **श्री बसंत साठे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तेल शोधक कारखाने का तीसरा वातावरणीय (एटमास्फारिक) एकक पाइपों के जंग खा जाने के कारण बन्द कर देना पड़ा था जिससे भारतीय तेल निगम द्वारा धूवरन बिजली घर को ईंधन तेल की सप्लाई बन्द कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की कोई जांच कराई है ताकि इसके परिणामस्वरूप करोड़ों की राष्ट्रीय हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाया जा सके; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गुजरात शोधनशाला का तीसरा वायुमण्डलीय एकक 19 फरवरी, 1973 से वार्षिक जांच और मरम्मत के लिये एक पक्ष के लिये बन्द किया गया था। इसके कारण धुवरन विद्युत स्टेशन को ईंधन तेल की सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई चूंकि विद्युत स्टेशन को सप्लई बनाये रखने के लिये पर्याप्त स्टाक पहले से इकट्ठा किया गया था।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पैराफीन मोम का कोटा

7308. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में पैराफिन मोम का कोटा प्राप्त करने वाली फर्मों अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

उड़ीसा में मंजूरशुदा सिंचाई परियोजनाएं

7309. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने उड़ीसा में कितनी सिंचाई परियोजनायें मंजूर की हैं; और

(ख) वर्ष 1973-74 में कितनी नई परियोजनायें मंजूर किये जाने की सम्भावना है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य की विकासात्मक योजना में सम्मिलित करने के लिये उड़ीसा की निम्नलिखित सिंचाई परियोजनायें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं:—

वृहत् :

आन्दपुर बराज तथा पत्तेरू

मध्यम :

ओंग, सुंदर, साईपाला, कला और दादराघाटी;

(ख) यह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं की जांच के परिणामों तथा नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने के वास्ते राज्य के पास उपलब्ध होने के लिये सम्भावित संसाधनों पर निर्भर होगा।

पटना जंकशन और गुलजारबाग के बीच राजेन्द्रनगर कस्बे में एक रेलवे स्टेशन स्थापित करना

7310. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना जंकशन और गुलजार बाग रेलवे स्टेशनों के बीच राजेन्द्र नगर कस्बे के निकट एक रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस रेलवे स्टेशन को बनाने का प्रस्ताव काफी समय से अनिर्णीत पड़ा है; और यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) यह रेलवे स्टेशन कब तक बन जाने की सम्भावना है और इस पर कितना व्यय होने की आशा है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सितम्बर, 1971 में राजेन्द्रनगर मालगोदाम के निकट यात्री यातायात के लिये एक गाड़ी हाल्ट फ्लैग स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक न होने के अलावा इसके खोलने से भारी वित्तीय हानि होती। इसके अलावा यह क्षेत्र कई सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और इसमें परिवहन के पर्याप्त वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं।

गैर समय कुलियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाना

7311. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और पटना जंक-शन पर गैर समय कुली यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं और अत्यधिक दर पर मजूरी वसूल करते हैं; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार सम्बन्धित स्टेशन मास्टरों तथा अन्य रेलवे अधिकारियों को विनियमों को ठीक ढंग से लागू करने के लिये कहने का है ताकि वे अनजान यात्रियों को परेशान न कर सकें?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों के सम्बन्ध में इस तरह की शिकायतों पर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) इस बात की हिदायत पहले से है और रेल प्रशासनों को फिर कहा गया है कि लाइसेंस-धारी भारिकों के काम पर निगाह रखी जाये और जो लाइसेंसधारी भारिक यात्रियों को परेशान करते हुये और अधिक मजदूरी लेते हुए पाये जायें उनके विरुद्ध, नियमों के अनुसार अनुशासन की कार्रवाई की जाये।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल लिमिटेड को राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित 'बल्क' औषधियों के विक्रय से अर्जित कमीशन की राशि

7312. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 20 मार्च, 1973 के अतारां-कित प्रश्न संख्या 3808 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में इंडियन ड्रग्स फार्मस्युटिकल लिमिटेड ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित और उनके द्वारा वितरित "बल्क" औषधियों की बिक्री से कितनी कमीशन अर्जित की है;

(ख) क्या प्रत्येक सरकारी उपक्रम अर्थात् राज्य व्यापार निगम और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्म-स्युटिकल्स लिमिटेड ऐसी औषधियों की बिक्री पर कमीशन प्राप्त करता है और उसके परिणामस्वरूप औषधियों की लागत में वृद्धि हो जाती है; और

(ग) क्या इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मस्युटिकल्स के माध्यम से ऐसी औषधियों खरीदे और बेचे जाने से इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और इसकी हानि काफी हद तक कम हो गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) द्वारा आयातित और आई डी० पी० एल० द्वारा वितरित प्रपुंज औषधियों के विक्रय पर आई डी० पी० एल० कोई कमीशन नहीं लेता है। ऊपरी खर्चों के कारण एस० टी० सी० उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से 3% से लेकर 6.5% का प्रभार लगाता है। जहां तक आई डी० पी० एल० द्वारा वितरित सामग्री का सम्बन्ध है यह लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 5% का प्रभार एस० टी० सी० को सेवा प्रभार आदि के तौर पर देता है। आई० डी० पी० एल० के उत्पादन मात्रा में आने वाले विषयों के एकत्रीकृत मूल्य निर्धारण के लिये औषधि का अवतरित मूल्य जिसमें लागत बीमा भाड़ा दरें एस० टी० सी० को दिया जाने वाला 5% सेवा प्रभार निर्धारित दरों पर सीमा शुल्क और बन्दरगाह तथा चढ़ाने उतारने का खर्च सम्मिलित है, लिया जाता है।

आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित आयातित औषधियों का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा स्वदेशी और आयातित औषधियों के भारित औसतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

आई० डी० पी० एल० का वितरण प्रभाग स्वदेशी और आयातित दोनों ही औषधियों का वितरण एक ही निर्धारित एकत्रीकृत मूल्यों पर करता है। एकत्रीकरण योजना के अधीन स्वदेशी निर्माताओं को चाहे वे सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में हों, अधिसूचित स्वदेशी मूल्य और एकत्रीकृत मूल्य के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति दी जाती है। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 के अधीन सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारित करते समय निम्न एकत्रीकृत मूल्यों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक औषधियां बनाने के कारण विदेशियों द्वारा नियंत्रित औषध फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

7313. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1973 को हुये आठवें अखिल भारतीय औषध एवं फार्मस्युटिकल निर्माता सम्मेलन में निर्माताओं ने कहा था कि उन्हें अधिष्ठापित क्षमता का अधिक से अधिक सीमा तक उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये; और

(ख) क्या विदेशियों द्वारा नियंत्रित कुछ औषध निर्माता फर्में अनुमति प्राप्त सीमा से काफी अधिक औषधियां बनाती हैं और यदि हां, तो क्या इन फर्मों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के बारे में सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) औषधि विनिर्माताओं जो अपनी लाइसैन्सकृत क्षमता से अधिक औषधियों को तैयार कर रहे हैं, में कुछ विदेशी औषधि-विनिर्माता भी सम्मिलित हैं। औषधियों के महत्व तथा उनकी देश में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, लाइसैन्सकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने वालों के मामले में कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है।

उत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नत टेलीफोन औपरेटरों की वरिष्ठता

7314. **श्री पन्ना लाल बारूपाल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नत टेलीफोन औपरेटरों को नियमित बना दिया गया है;

(ख) क्या ऐसे टेलीफोन ग्रौपरेटरों को उस तारीख से वरिष्ठता दी गई है जब से वे निरन्तर काम कर रहे हैं; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो उनको उस तारीख से वरिष्ठता न दिये जाने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा 17-8-1968 को इन कर्मचारियों की नियुक्तियों का विनियमन किये जाने की तारीख तक ये कर्मचारी तदर्थ ग्राधार पर टेलीफोन ग्रौपरेटरों के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें 17-8-1968 से वरिष्ठता भी प्रदान कर दी गई है। इन कर्मचारियों की नियुक्ति विनियमित होने से पूर्व की किसी तारीख से उन्हें वरिष्ठता प्रदान करना ठीक नहीं होगा।

Distribution of kerosene oil

7315. **Shri R.V. Bade :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the distribution system of kerosene oil in the different states; and

(b) whether Indian Oil Company has appointed one dealer in each District?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The supply and distribution of kerosene oil is arranged by the oil companies on a month to month basis. State-wise allocations are however made by the Ministry on the basis of estimated demands. These estimates serve as broad guidelines to the oil companies. They have otherwise standing instructions in the normal course to meet the requirements of the various regions in full. The State Governments concerned are also kept informed of the allocations made by the Ministry. Kerosene supplies are made in the various States only through limited dealers.

(b) I.O.C. appoints kerosene dealers at particular locations only if the customer potential around the location justifies the opening of such dealership. The IOC has however been progressively expanding the net work of its kerosene distribution system depending upon the growth in demand for the product.

मोम बनाने वाली कम्पनियां

7316. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री ग्ररविन्द एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन सी कम्पनियां मोम बना रही हैं; ग्रौर

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कुल कितना मोम बनाया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा मोम की निम्नलिखित मात्राओं का उत्पादन किया था :

मोम का उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम	मोम की किस्म	उत्पादित मात्रा (मीटरी टनों में)		
		1970	1971	1972
आसाम आयल कंपनी . .	पैराफिन वैक्स	36675	37429	45857
बरौनी रिफाइनरी . .	स्कैल वैक्स	..	1179	5237
मद्रास रिफाइनरीज लि० .	स्कैल वैक्स	पता किया जा रहा है। यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?		

मोम का आयात

7317. **श्री बेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कुल कितना मोम आयात किया गया ; और

(ख) यह आयात किस देश से किया गया?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम द्वारा यू० एस० ए० तथा जापान से केवल माइक्रोक्रिस्टेलिन वैक्स की निम्नलिखित मात्रायें आयात की गई थी।

	आयातित मात्रा	देश जहां से आयात किया गया
1970-71	618 मीटरी टन	यू० एस० ए०
1971-72	शून्य	
1972-73	400 मीटरी टन	यू० एस० ए०
. . .	110 मीटरी टन	जापान

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नमक के लदान के लिए बन्द माल-डिब्बों की कमी

7318. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में नमक के लदान के लिये माल डिब्बों विशेष रूप से बन्द माल डिब्बों की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सौराष्ट्र क्षेत्र के नमक के लदान के लिए मानसून की अवधि से माल डिब्बों की बहुत कमी नहीं रहती। नमक के अलावा, मानसून की अवधि में सौराष्ट्र क्षेत्र के स्टेशनों से उच्च प्राथमिकता वाला अन्य यातायात, जैसे खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, आदि, भी भारी मात्रा में ढुलाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि रेलों पर बन्द माल डिब्बों की संख्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बढ़ायी जा रही है, फिर भी. मानसून की अवधि में उपलब्ध बन्द माल डिब्बों की मांग बहुत बढ़ जाती है। इन बाधाओं के रहते हुए नमक की ढुलाई के लिए बन्द माल डिब्बों की यथासंभव अधिक से अधिक सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है।

मोम की वार्षिक आवश्यकता

7319. **श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रति वर्ष लगभग कितने मोम की आवश्यकता होती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1973 में पैराफीन मोम की आवश्यकताओं का 46,000 मीटरी टन अनुमान लगाया गया है।

आयल इण्डिया में बर्मा आयल कम्पनी की अंशपूंजी पर उसे बोनस अदा न किया जाना

7320. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने बर्मा आयल कम्पनी को. आयल इण्डिया में उसकी पूंजी पर 1971 के लिये बोनस बन्द कर दिया है;

(ख) क्या आयल इण्डिया के कार्य में घोर अनियमितताओं के कारण. जिसके लिये बर्मा आयल कम्पनी को जिम्मेदार ठहराया गया है. ऐसा किया गया है; और

(ग) बर्मा आयल कम्पनी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1971 के लिये आयल इण्डिया लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं को भागीदारों–भारत सरकार और बी०ओ०सी० के बीच कुछ मत भेदों अन्य बातों के साथ साथ पार्टियों के बीच समझौता की व्याख्या जिससे कम्पनी के वित्तीय परिणामों का अतिक्रमण होता है. के कारण अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह विषय भागीदारों के बीच विचार विमर्श के अधीन है। इस बीच 1971 के लिय अन्तरिम लाभांश घोषित किया गया है। 1971 के लिये अन्तिम लाभांश विद्यमान मतभेदों के समाप्त होने और कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा लेखाओं के पास करने के बाद किया जायेगा।

मध्य रेलवे में कम्प्यूटर लगाये जाने के परिणामस्वरूप फालतू घोषित किये गये कर्मचारी

7321. **श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर लगाये जाने के कारण मध्य रेलवे में कितने कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं;

(ख) प्रशासनिक और लेखा विभागों में. अलग-अलग कर्मचारियों की संख्या कम कर देने से कितनी धनराशि की बचत की गई है; और (एक) कम्प्यूटरों के किराये (दो) कम्प्यूटरों के रखरखाव (तीन) इस कारण कर्मचारियों को दिये गये. यात्रा भत्तों और वाहन भत्तों पर तथा (चार) लेखन सामग्री पर कितनी धन-राशि वर्षवार खर्च की गई है ;

(ग) क्या कम्प्यूटर मशीनों में प्रयोग किया जाने वाला कागज विदेशों से आयात किया जाता है और यदि हां, तो केवल मध्य रेलवे के लिये कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय झांसी के संस्थानों का काम बम्बई के बजाय कम्प्यूटर सैल उत्तर रेलवे नई दिल्ली को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि वह अधिक मितव्ययी है और समय भी कम लगता है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 107

(ख) आंकड़े प्रतिवर्ष हजार रुपयों में (लगभग)

कार्यकारी . . .	212
लेखा	203

	1969-70	1970-71	1971-72
			(हजार रुपयों में)
(1)	785	824	897
(2)	..	..	..
(3)	42	49	78
(4)	186	283	195

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

Detention of 6 M.D. Passenger Train at Pilkhuva due to Late Arrival of 55 UP Express Train

7322. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of times 55 UP Express train reached Hapur station on time during the last three months;

(b) whether 6 M.D. Passenger train is delayed in Pilkhuva when the aforesaid train is late;

(c) if so, the number of times 6 M.D. Passenger train reached Hapur on time during the last three months; and

(d) whether any complaints have been received by the Railway Administration from the Railway Passengers Association, Hapur in this regard and if so, the action being taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 4 days.

(b) Yes, on some occasions.

(c) 33 days.

(d) Yes. Steps have been taken by Northern Railway to keep a day to day watch on the performance of this train and take up all avoidable detentions with a view to achieve improvement in the performance of this train.

Redrawing Time Schedule of Departure of 55 UP Express Train from Hapur

7323. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways be pleased** to state :

(a) whether in the event of 55 UP Express train being late, 2 NDH Shuttle train reaches Hapur late at night;

(b) whether keeping in view the late arrival of 55 Up Express Train, Government propose to restore its time of departure from Hapur to 19.08 instead of 18.27; and

(c) whether 1 NDH Shuttle train, while running on time is held up at Ghaziabad outer Signal in the morning and if so, the action being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Some minor detentions to 2 NDH have been caused on some occasions due to late running of 55 Up with a view to avoid heavy detention to 55 Up.

(b) No.

(c) On a few occasions, 1 NDH suffered minor detentions outside Ghaziabad due to heavy grouping of trains in the morning at Ghaziabad station. All feasible steps are being taken to avoid such detentions.

Introduction of an Additional Train between Delhi and Muradabad

7324. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an additional train is proposed to be provided between Delhi and Muradabad ;

(b) if so, the time by which it would be provided; and

(c) the rail track capacity of Delhi-Ghaziabad section and the percentage of utilisation thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Charted and actual utilisation of capacity on Ghaziabad-Delhi section during 1971-72 busy season was as follows :—

Section	Charted capacity	Actual utilisation	Percentage utilisation
Delhi-Delhi Shahdara	55	43	78.2
Delhi Shahdara-Sahibabad	56	44.1	78.8
Sahibabad-Ghaziabad	63	60.5	96.0

7 LSS/73—8

जोधपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में उद्योग को वैगन की सप्लाई

7325. **श्रीमती कृष्णा कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में उद्योग के लिये वैगनों की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर वैगनों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे के जोधपुर मण्डल में बहुत सी मांगें बकाया हैं।

(ख) जोधपुर मण्डल में मांगों को पूरा करने की मुख्य कठिनाई इस तथ्य के कारण है कि जोधपुर मण्डल के स्टेशनों को आने वाला यातायात बहिर्गामी यातायात के लिए माल डिब्बों की मांग की तुलना में बहुत कम है। निकटवर्ती मण्डलों से खाली माल डिब्बे भेज कर इस असन्तुलन को दूर करने की कोशिश की गयी है। इस तरीके से इस मण्डल में लदान को 8 प्रतिशत बढ़ाना संभव हुआ। 1971-72 में दैनिक औसत 306 माल डिब्बे था जो 1972-73 में बढ़कर 330 माल डिब्बे हो गया । उत्तर रेलवे के जोधपुर मण्डल में माल डिब्बों की मांग पूरी करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता रहेगा।

उत्तर प्रदेश में ग्रामों में बिजली लगाना

7326. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने ग्रामों में बिजली लगाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4816/73]

किसानों के लिए छोटी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं

7327. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों की वर्षा पर निर्भरता को कम करने के विचार से उनके लाभ के लिये मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित योजनाओं की, राज्यवार, मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). योजनाओं के आरम्भ किए जाने से लेकर अब तक राज्य सरकारों द्वारा 339 मध्यम सिंचाई स्कीमें पूर्ण कर ली गई हैं और अन्य 159 निर्माणाधीन हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में पूर्ण/निर्माणाधीन मध्यम परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम	योजनाओं में अब तक हाथ में ली गई मध्यम स्कीमों की संख्या	
		पूर्ण	संतत
1.	आंध्र प्रदेश	32	17
2.	असम	..	7
3.	बिहार	34	14
4.	गुजरात	44	12
5.	हरियाणा	2	5
6.	जम्मू व कश्मीर	4	4
7.	केरल	11	..
8.	मध्य प्रदेश	27	23
9.	महाराष्ट्र	48	22
10.	मैसूर	12	11
11.	उड़ीसा	3	11
12.	पंजाब	7	..
13.	राजस्थान	44	9
14.	तमिलनाडु	15	12
15.	उत्तर प्रदेश	53	9
16.	पश्चिम बंगाल	3	3
	कुल	339	159

कलकत्ता के निकट तापीय बिजलीघर की स्थापना

7328. **श्री रेणुपद दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता के निकट 60 मैगावाट का एक तापीय बिजलीघर तत्काल स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). कलकत्ता के निकट 60 मैगावाट के ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल 7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 20 मैगावाट के दो गैस टर्बाइनों की प्रतिष्ठापना हेतु प० बंगाल बिजली बोर्ड का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

अपर कंगसाबली परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल की योजना

7329. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 8.25 करोड़ रुपये की लागत की पुरुलिया और बांकुरा जिलों में अपर कंगसाबली परियोजना के लिये एक ठोस योजना तैयार की है और उसे अनुमोदन के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेजा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि आवश्यक धन उपलब्ध कराये जाने पर परियोजना कार्य तुरन्त आरम्भ किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में नवम्बर, 1972 में पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त अपर कंगसाबली परियोजना के प्रतिवेतन में जलवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक अन्वेषणों इत्यादि का वांछित विवरण नहीं दिया गया था। आगामी कार्यवाही करने के लिए यह प्रतिवेदन अभीष्ट नहीं है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे उस स्कीम पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग और योजना आयोग में आगामी कार्यवाही करने के लिए इस परियोजना पर एक पूर्ण और विस्तृत प्रतिवेदन भेजें।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने और आवश्यक निधि उपलब्ध होते ही वह परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार हैं।

(ग) इस स्कीम पर पूर्ण विस्तृत प्रतिवेदन भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग से अनुरोध किया गया है कि उन्हें जैसे ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, वे परियोजना प्रतिवेदन की जांच करने में शीघ्रता लाएं तथा योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के जरिए इस पर कार्यवाही करें।

कोल्हापुर शुगर मिल में धन का दुरुपयोग

7330. **श्री ई० वी० विखे पाटिल: क्या विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोल्हापुर शुगर मिल में पर्याप्त धनराशि का दुरुपयोग करने के बारे में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस दुरुपयोग से सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण):

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) लगाए गये आरोपों में जांच पड़ताल की जा रही है।

रेलवे बोर्ड में लोअर डिवीजन क्लर्कों की अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति

7331. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में लोअर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण अपर डिवीजन क्लर्क ग्रेड के बहुत पद रिक्त हैं; और

(ख) उनका मंत्रालय इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). उच्च श्रेणी के लिपिकों के लगभग 50 पद वरिष्ठता के आधार पर निम्न श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं बशर्ते वे योग्य पाये जायें। निम्न श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित हो चुकी है और ऐसे लिपिकों की सूची बनायी जा रही है जो उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्त हों ताकि वर्तमान रिक्तियों को भरा जा सके।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा खर्चे को आगे डालकर तुलनपत्र में लाभ दिखाया जाना

7332. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के इस वर्ष के तुलनपत्र में लाभ दिखाने के लिए करोड़ों रुपये के चालू विपणन व्यय को आगामी पांच वर्षों में समायोजन के लिए स्थगित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार इस प्रथा से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). 1971-72 वर्ष में निगम द्वारा वर्ष के दौरान व्यय की गई, 153.23 लाख रुपये की कुल राशि में से 83.07 लाख रुपये तक आस्थगत राजस्व व्यय, विक्रय और वितरण व्यय को आगे ले जाया गया। यह व्यय समीक्षाधीन वर्ष से सम्बन्धित नहीं है परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में जहां नये एकक स्थापित किये जा रहे हैं या किये जायेंगे मार्केट विकास पर व्यय दर्शाता है और अगले चार वर्षों में समान किश्तों में बट्टे खाते में डाल दिया जायेगा। लेखा परीक्षकों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के बारे में किये खर्चे वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा में दर्शाये जाने चाहिएं थे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणी की है "नयी विस्तार प्रायोजनाओं जो कि लागू होने की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं उत्पादों के भविष्य में विक्रय के लिए बाजार के विकासार्थ अपनाए गए प्रारम्भिक सीडिंग की दृष्टि से वर्त्तमान संयंत्रों के उत्पादों को उनके संबन्धित आर्थिक विपणन क्षेत्रों के बाहर बेचे जाने पर किए गए व्यय के एक भाग से होने वाले लाभ की आशा और भविष्य में विपणन कार्यों के लिए वसूली के लिए उनपर आस्थागन को पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता। तथापि आरम्भिक (सीडिंग) कार्यक्रमों के साथ इस प्रकार के व्यय की विस्तृत पहचान के अभाव में नए विस्तार संयंत्रों जब वे पूर्ण हो जायेंगे के समस्त उत्पादों के विक्रय से भविष्य में होने वाले संभावित लाभ को दर्शाने वाले आस्थगन व्यय की मात्रा का सही परिमाणन संभव नहीं है।"

उर्वरक निगम के निदेशकों के बोर्ड ने शीघ्रातिशीघ्र एक ऐसी कार्यप्रणाली स्थापित करने का फैसला किया है जिसके द्वारा बजट बनाने के लिए तथा सीडिंग परिचालन से संबंधित व्यय के लेखे के बारे में विस्तृत पहिचान संभव है।

रामगंगा बांध परियोजना

7333. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल में 130 करोड़ रुपये की लागत की विद्युत और सिंचाई सम्बन्धी रामगंगा बांध परियोजना अपने निर्धारित समय से 4 वर्ष पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जांच करने का है जिसके कारण यह परियोजना अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1961-62 में स्वीकृत की गई थी। 1961 में निर्धारित की गई तिथि 1968-69 थी परन्तु 1965 में इसे बदल कर 1972 कर दिया गया था। नवम्बर 1972 में परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति ने परियोजना को पूरा करने के कार्यक्रम का फिर से पुनरीक्षण किया था। परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने का संशोधित कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1. मुख्य बांध	अप्रैल 1974
2. संडल बांध . .	दिसम्बर 1974
3. बिजली घर के सिविल कार्य . .	जून 1974

(यूनिट दो—ख के अन्तर्गत) सिंचाई चैनलों को मूलतः 1973 तक पूरा करना अनुसूचित था और वर्तमान अनुसूची के अनुसार चैनलों को 1974-75 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।)

तीन उत्पादन यूनिटों को चालू करने की मूलतः निर्धारित तथा अब प्रत्याशित तिथि निम्नलिखित हैं :—

	मूलतः निर्धारित तिथियां	चालू होने की प्रत्याशित तिथियां
यूनिट एक .	दिसम्बर 1972	दिसम्बर 1974
यूनिट दो	फरवरी 1973	मई 1974
यूनिट तीन	अप्रैल 1973	सितम्बर 1975

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उपस्करों, सीमेंट, आक्सीजन और ऐसीटिलीन गसों जैसी सामग्रियों, अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति में होने वाली कठिनाई श्रमिक असंतोष, 1966 की अभूतपूर्व बाढ़ों, राजपत्रित अधिकारियों के आंदोलन तथा पेश आई तकनीकी कठिनाइयों से विलम्ब हुआ है और ये परियोजना संगठन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हुई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) परियोजना की प्रगति और समस्याओं की निगरानी के लिए केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता के अन्तर्गत रामगंगा परियोजना के लिए एक पुनरावलोकन समिति है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में रामगंगा नियंत्रण बोर्ड, राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति तथा परियोजना की स्थायी समिति परियोजना के कार्य के प्रत्येक चरण पर निगरानी रखते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सर्वेक्षण

7334. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल, गैस, चूनापत्थर आदि की संभावनाओं का पता लगाने के लिये उत्तर प्रदेश में नेपाल के साथ लगने वाले बहराइच जिले और अन्य जिलों में कोई भू-सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस तरह का सर्वेक्षण करने का है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के विचार से पीलीभीत जिले में तनकपुर पादगिरि क्षेत्र और साथ वाले क्षेत्रों का भूगर्भिय चित्रण किया गया था। इसके दौरान भूवैज्ञानिक अध्ययन किया गया, स्तर, क्रम निर्धारित किया गया और संरचना का चित्रण किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में टाईपिस्टों की संख्या

7335. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में ग्रेड-वार टाईपिस्टों की मंजूरशुदा कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में काम कर रहे टाईपिस्टों को अपने निर्धारित कार्य से अधिक मानदेय अथवा समयोपरि भत्ता दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि के लिये महीनेबार, इन टाइपिस्टों को मानदेय अथवा समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(घ) भारतीय रेलवे में टाईपिस्टों के लिये कितना निर्धारित कार्य रखा गया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे बोर्ड कार्यालय में टाइपिस्टों की कोई अलग कोटि नहीं है। बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक दूसरे काम के अलावा टाइपिंग का काम भी करते हैं।

(ख) कार्यालय में समय के बाद काम करने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों को मानदेय/समयोपरि भत्ता उसी आधार पर दिया जाता है जिस आधार पर भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों में दिया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड कार्यालय में जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में लिपिकों को महीनेबार दिये गये समयोपरि भत्ते पर जो खर्च हुआ उसे विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रति टाइपिस्ट प्रति दिन 500 से 600 लाइनें। इस सम्बन्ध में 15-6-1971 को लोक सभा में पूछ गये अतारांकित प्रश्न 2228 के भाग (क) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

विवरण

1972 के दौरान रेलवे बोर्ड के निम्न श्रेणी लिपिकों को महीनेवार दी गयी मानदेय/समयोपरि राशि से सम्बन्धित विवरण

महीने	रकम रु० पै०
जनवरी, 1972 .	3726.65
फरवरी, 1972 .	3580.10
मार्च, 1972 .	5459.05
अप्रैल, 1972 .	4202.65
मई, 1972 .	4532.50
जून, 1972 .	4385.85
जुलाई, 1972 .	1402.65
अगस्त, 1972 .	2853.75
सितम्बर, 1972 .	2418.55
अक्तूबर, 1972 .	2738.25
नवम्बर, 1972 .	3742.95
दिसम्बर, 1972 .	4128.20
योग :	43167.15

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में कपड़ा मिलों के हजारों कर्मकारों की अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का समाचार

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं श्रम और पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:--

"दिल्ली में कपड़ा मिलों के लगभग सत्ताईस हजार कर्मकारों की अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का समाचार"।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार दिल्ली में पांच कपड़ा मिलों, अर्थात्--(i) दिल्ली क्लाथ मिल्स, (ii) स्वतंत्र भारत मिल्स, (iii) डी०

सी० एम० सिल्क मिल्स, (iv) बिरला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स और (v) अजुधिया टैक्सटाईल मिल्स में कर्मचारी 11 अप्रैल, 1973 से हड़ताल पर हैं। संघों ने कई मांगे पेश की हैं। सभी श्रमिकों की मुख्य मांग मंहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी, और इस मामले के निपटारे तक, 50 रुपये प्रतिमास की अंतरिम सहायता के भुगतान से सम्बन्धित है। मंहगाई भत्ते की पर्याप्तता सम्बन्धी विवाद को कपड़ा मजदूर एकता यूनियन, टैक्सटाईल मजदूर संघ और कपड़ा मिल मजदूर संघ और 4 कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों द्वारा 26 फरवरी, 1970 को हस्ताक्षरित किये गये एक समझौते के आधार पर दिल्ली प्रशासन द्वारा न्याय-निर्णय के लिए पहले निर्दिष्ट किया गया था। तथापि, बाद में, संघों ने न्यायाधिकरण के समक्ष मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद को बनाये रखने के बारे में आपत्तियां उठाई। न्यायाधिकरण ने आपत्तियों को अस्वीकृत कर दिया और बताया कि न्यायाधिकरण को मंहगाई भत्ते सम्बन्धी विवाद को निपटाने का अधिकार है। तब सघों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि मामला अभी भी लंबित पड़ा है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया स्थगन जारी है।

संघों द्वारा हाल के हड़ताल संबंधी नोटिस के दिये जाने के बाद दिल्ली प्रशासन का औद्योगिक सम्पर्क तंत्र, पक्षों से बातचीत कर रहा है। सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के प्रयास में श्री बहल, कार्यकारी परिषद् ने भी श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों से कई बार विचार विमर्श किया। दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक सम्पर्क तंत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, (क) परिवेतन में 5 प्रतिशत की अन्तरिम सहायता के रूप में वृद्धि और (ख) विवाद का श्री हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य-न्यायाधीश द्वारा विवाचन से सम्बन्धित था। तथापि, श्रमिकों को प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था, जो कि 30 रुपये की न्यूनतम अंतरिम महायता चाहते थे और वह नियोजकों को स्वीकार्य नहीं था।

केन्द्रीय सरकार इस हड़ताल से अत्यन्त चिन्तित है। दिल्ली प्रशासन, जो कि "उचित सरकार" के रूप में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, मामले से अवगत है और शीघ्र ही निपटारा कराने के लिए अपने प्रयास कर रहा है। मुझे पता चला है कि श्री बहल ने पहले ही 13, 14 और 16 अप्रैल, 1973 को पक्षों के साथ कई बार विचार विमर्श किया है। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) भी विवाद को सुलझाने में, दिल्ली प्रशासन को, सहायता कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी यह है कि श्री बहल आज शाम के 5 बजे नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले हैं।

Shri M. C. Daga ((Pali) : Sir, 27,000 workers are on strike for the last seven days. The workers, first demand was that minimum pay of a worker should be Rs. 300/- per month. Their second demand was that they should be given accommodation or an allowance at the rate of 20 per cent of the pay. Their third demand was dearness allowance should be given to them to meet the rise in prices and fourth demand was that system of contract labour should be abolished. Besides they have demanded that the workers of Delhi should not be given less than that being drawn by their counterparts in Bombay and Kanpur. If the Government is not prepared to give due weight to the demands of the workers, they have to ventilate their grievances in this way. The pay level of the workers in Bombay has been revised time and again. Now why should the workers of Delhi get Rs. 22/- less than what the workers of Kanpur are getting and Rs. 64/- less than what the workers of Bombay are getting. How can we establish a classless society by resorting to such things? On one hand our Government professes that they want to establish socialist society but on the other

hand they go into the niceties of law and discourage the workers. The Government cannot ignore the interests of the workers by pleading that the production will receive a setback due to strike by the workers. The Union Deputy Minister, Shri Balgovind Verma while inaugurating the first meeting of the Central Advisory Contract Labour Board at New Delhi called for total abolition of the contract labour system or, in the alternative, its control and regulation, in view of the present alarming conditions of contract labour in unorganised industries where no Trade Unions are functioning. I want to know as to what has happened to these policies? What action has been taken during this period ? Had the hon'ble Minister intervened in the matter and discussed the matter with the representatives of the workers? Industrial Disputes Act is now obsolete and Government should change this law governing the workers, in order to help them. They have to be paid reasonable wages and their basic needs have to be met if we want that society should make any progress. When the worker will get reasonable wage, the production will increase and the country will also make progress.

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक इस विवाद के हल का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन का औद्योगिक सम्पर्क तंत्र, जो इस मामले के साथ निपटने के लिये उचित प्राधिकार है। पहले ही इस मामले पर विचार कर रहा है। मैंने यह भी बताया है कि दिल्ली प्रशासन की ओर से श्री बहल ने सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ बातचीत भी की है और आज वह नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। मैंने भी श्री बहल के साथ बातचीत की है और हमने श्रम मुख्य आयुक्त जोकि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी हैं, की सेवाएं भी दिल्ली प्रशासन को उपलब्ध की हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि मेरी सेवाओं की आवश्यकता हुई तो मैं भी उचित समय पर हस्तक्षेप करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बजट पेश किये जाने के बाद से दिल्ली में भी मूल्यों में 15 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है। अतः श्रमिकों की वास्तविक मजूरी पहले ही कम हो चुकी है। श्रम व्यूरो ने इस बात को कई बार कहा है कि जिस प्रकार जीवन निर्वाह सम्बन्धी आंकड़े तैयार किये जाते हैं उनमें उनका कोई विश्वास नहीं है। इन आंकड़ों को तैयार करने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति गठित की गई थी जो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

फिर श्रमिकों की मांग यह भी है कि उन्हें इतना मंहगाई भत्ता दिया जाये जिससे जीवन निर्वाह के व्यय में वृद्धि का 100 प्रतिशत मुआवजा मिल जाये। क्या यह मांग अनुचित है? वे यही चाहते हैं कि उनकी वास्तविक मजूरी कम न हो। हड़ताल का कारण यही है। फिर नियोजक भुगतान करने की स्थिति में है, वे बड़े-बड़े एकाधिकार गृह हैं। मुझे यह भी पता चला है कि वे 12 रुपये प्रतिमास तक देने के लिये तैयार थे परन्तु अब वे अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले दिल्ली में कानपुर से अधिक मजूरी मिलती थी। परन्तु जब कानपुर में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी और उनकी मजूरी में वृद्धि कर दी गई तो अब उनको दिल्ली के श्रमिकों से अधिक मजूरी मिल रही है। ऐसी स्थिति में असंतोष होना स्वाभाविक है। यह भी बताया गया है कि इस मामले में श्री बहल बातचीत कर रहे हैं परन्तु श्रमिकों को उन पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसी गम्भीर

स्थिति में जबकि मिलें बन्द हो रही हैं और लाखों मीटर कपड़े का उत्पादन कम हो रहा है यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन उचित प्राधिकारी है और कौन नहीं, अनेक बार ऐसी ही स्थिति में श्रम मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर मजदूरों की उचित मांगों के आधार पर समझौता कराया है। श्रीराम तथा बिड़ला बन्धुओं की मिलें सबसे बड़ी मिलें हैं। यदि ये लोग मंहगाई भत्ता नहीं दे सकते तो उनकी वित्तीय स्थिति की जांच कराई जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इन मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया जाना चाहिए।

हड़ताल के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर यह हड़ताल लम्बी भी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि वह कानून की बारीकियों में न जाकर स्वयं पहल करके इस गतिरोध को समाप्त करेंगे।

श्री रघुनाथ रेड्डी : सरकार हड़ताल के बारे में चिन्तित है। आज शाम को श्री बहल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से आगे बातचीत करेंगे। दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधि भी कर्मचारियों से मिल रहे हैं। मैं घटनाओं पर निगाह रखे हुए हूं। आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। परन्तु माननीय सदस्यों को कुछ समय दिल्ली प्रशासन को देना चाहिए। मजदूरों की कठिनाइयों के बारे में मुझे भी उतनी ही चिन्ता है जितनी किसी अन्य सदस्य को। मैं इस समय और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बातचीत चल रही है।

(अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में अथवा ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा के समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री रघुनाथ रेड्डी : बम्बई में एक मजदूर को लगभग 281 रुपये मिलते हैं जबकि दिल्ली में उसे 226 रुपये ही मिलते हैं। बम्बई में मजूरी अधिक है परन्तु यह कोई नई बात नहीं है।

न्यायाधिकरण तथा न्याय निर्णय को सौंपे जाने के पश्चात् अनेक बातों पर समझौते हुए थे और फिर इन मामलों को उच्च न्यायालय में ले जाया गया था। उच्च न्यायालय ने 'स्टे आर्डर' जारी किया था जो अभी तक लागू है।

(अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : जिसका नाम सूची में नहीं है वह सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य द्वारा कोई नये तथ्य नहीं दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : कोई नये आंकड़े सामने नहीं आये हैं। सभी जानते हैं कि बम्बई में कपड़ा मिलों के मजदूरों को दिल्ली में कपड़ा मिलों के मजदूरों की अपेक्षा 55 रुपये अधिक मिलते हैं। बातचीत चल रही है आज शाम तक कोई न कोई हल निकल आयेगा।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : This matter was raised in the House on the 12th instant and we were hoping that the hon. Minister would place some facts before the House. About 27 thousand labourers have become jobless. In my view the hon. Minister will not

like it. May I know whether the hon. Minister considers the demands of workers justified or not keeping in view the difference of wages of labourers in Bombay and Delhi ? I also want to know whether the demand of workers regarding cent per cent neutralization is just or not? May I know the action being taken by Government to see that there demands are conceded by the Management? May I also know whether the solution will be found through negotiations and that in the negotiations representations of all the Unions will be included?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 'इन्टक' ने मजदूरों की मांगों को उठाया है। मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं कि बम्बई और दिल्ली में मजदूरी में अन्तर है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इन सभी मामलों पर कर्मचारियों, नियोक्ताओं तथा दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। आशा है शाम पांच बजे कोई हल निकल आयेगा। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : वह आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)** इसके लिए नियम निर्धारित हैं। श्री बसु आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Law and order is meant for maintaining peace but peace cannot be maintained unless it is based on social justice. The textile workers in Delhi are getting less wages than what their counterparts are getting in other cities . This led to discontentment among the workers and consequently to strike. May I know whether the workers are being paid need based wages? Secondly I would also like to know the percentage of difference in increase of prices since the fixation of wages last time? Is it also a fact that the workers outside Delhi are being paid higher wages? If so, whether their demand for increase in wages is reasonable. I also want to know the steps being taken by Delhi Administration to get their demands met by the management. I have heard that the representatives of employers, employees and Delhi Administration held negotiations prior to strike. If so, I want to know the points of agreement and disagreement. May I know whether some steps will be taken to improve the condition of machine man? Delhi is a Union Territory and the Central Government shall intervene and solve the dispute.

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह सच है कि यह हड़ताल 'इन्टक' द्वारा चलाई जा रही है परन्तु अन्य कार्मिक संघ भी इसमें शामिल हैं। सरकार को हड़ताल के बारे में चिन्ता है। सरकार को मजदूरों के कल्याण के बारे में भी चिन्ता है। मैं इस मामले का हल ढूंढ़ने के लिए उत्सुक हूं। यह ठीक है कि मजूरी में अन्तर है। इस बारे में मजदूरों, प्रबन्धकों तथा दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है पत्र सभा-पटल पर रखे जायें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आन्ध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 आन्ध्र प्रदेश मनोरंजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1973, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1973, सीमा शुल्क अधिनियम और आन्ध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क के बारे में जारी की गई अधिसूचनाएं

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री के० आर० गणेश से की ओर निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) आंध्र प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आंध्र प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 2), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) आंध्र प्रदेश मनोरंजन कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 3), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4804/73]**

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 261 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4805/73]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 150, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 152, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन सा० सां० नि० 208, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 173 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 193क(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4806/73]**

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 177(ङ), जो भारत के राजपत्र, 24 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 289, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 326, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये ज्ञापन संख्या एल०टी० 4807/73]**

(5) आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आंध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 72 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 769–(टी) 1/72 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो आंध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (ऐरक और ताड़ी लाइसेंस सामान्य शर्तें) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4808/73]**।

धुवारन और अहमदाबाद विद्युत् संयंत्रों को अवशिष्ट इंधन तेल की कम सप्लाई के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. REDUCED SUPPLY OF RESIDUARY FUEL OIL TO DHUVARAN AND AHMEDABAD POWER PLANTS.

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री देवकांत बरुआ का वक्तव्य लम्बा है तो वह इसे सभा पटल पर रखें।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ): मैं अपना वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और इसकी श्रमिक यूनियनों के बीच अन्तिम पगार करार जनवरी, 1971 में समाप्त हुआ। इसके तत्पश्चात् तत्काल ही यूनियनों ने वेतन-मानो, वेतन आदि के पुनरीक्षण के लिए नए सिरे से बातचीत की मांगें प्रस्तुत की। उनकी मुख्य मांग यह थी कि उनके वेतन-मान एवं वेतन भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के वेतन-मानों आदि के बराबर होने चाहिएं।

किन्तु एक नये करार के लिए बातचीत के आरंभ होने से पूर्व, पाकिस्तान की बर्बरता से तंग आकर बड़ी भारी संख्या में शरणार्थी बंगला देश से भारत में आए, जिसके कारण बातचीत सम्पन्न न हो सकी। अंतिम रूप में बातचीत अगस्त, 1972 में प्रारंभ हुई। समय-समय पर तेल एवं प्राकृतिक गस आयोग के प्रबन्धकों एवं यूनियनों के बीच कई बैठकें हुई। फिर भी कोई समझौता न हो सका और यूनियनों ने हड़ताल नोटिस जारी कर दिए। अतः उप मुख्य श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा समझौते के लिए विषय उठाया गया था और कार्यवाही अभी अनिर्णीत है।

तथापित समय समय पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच बातचीत जारी रही; किन्तु कोई समझौता न हो सका। इसके परिणामस्वरूप मार्च, 1973 के अंतिम सप्ताह में गुजरात में कर्मचारियों ने नियमानुसार कार्य-आन्दोलन पुनः चालू कर दिया।

बातचीत का अंतिम दौर देहरादून में 10 अप्रैल एवं 11 अप्रैल, 1973 को संपन्न हुआ। किन्तु प्रबन्धकों तथा यूनियनों के बीच कोई पारस्परिक संतोषजनक समझौता नहीं हुआ है।

इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप, मौजूदा दिनों में गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-संचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से अशोधित तेल का उत्पादन, सामान्य स्तरों पर, किसी प्रकार कायम रखा जा रहा है, उत्तर गुजरात तेल क्षेत्रों से उत्पादन में कमी हुई है।

अप्रैल के पहले 15 दिनों के दौरान उत्तर गुजरात तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप, गुजरात शोधनशाला, धुवारन एवं अहमदाबाद बिजली प्लांटों को अवशिष्ट ईंधन तेल की पूर्ण मात्रा सप्लाई करने में असमर्थ रही है। जनवरी-मार्च, 1973 में धुवारन बिजली प्लांट को अवशिष्ट ईंधन-तेल एवं ईंधन तेल दोनों की सप्लाई की तुलना में अप्रैल 1973 में इन दोनों की कमी लगभग 4 प्रतिशत है। और अहमदाबाद बिजली प्लांट के संबंध में लगभग 16 प्रतिशत है। संलग्न सारणी में मास-वार विस्तृत आंकड़े दर्शाएं गये हैं। इसके अतिरिक्त आर० एफ० ओ० एवं कच्चे तेल के भण्डारों (स्टाक्स) का रिक्तीकरण हुआ है। आर० एफ० ओ० की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रसमता को यथाशीघ्र बहाल किया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि एक संतोषजनक हल को मालूम करने के उद्देश्य से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों तथा यूनियनों के बीच बातचीत पुनः चालू हो जायगी। इसी बीच में, यह अधिक महत्व की बात है कि मामले के निर्णय के स्थगित रहने तक, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को आत्म संयम रखना चाहिए और अपनी ड्यूटी को सामान्य तौर पर निभाना चाहिए ताकि तेल उत्पादन के इस महान क्षेत्र के कार्य में बाधा न पड़े; जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचे। इस उद्देश्य को दृष्टिगोचर करते हुए, मैंने गुजरात सरकार के श्रम मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है।

17-4-1973 को लोक सभा में पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, श्री डी० के० बरुवा द्वारा दिये गये बयान के साथ संलग्न सांख्यकीय सारणी।

गुजरात शोधनशाला को (प्रति दिन/मीटरी टनों में) अशोधित तेल की सप्लाई की औसत

	जनवरी 1973	फरवरी 1973	मार्च 1973	अप्रैल (पहली से 15 तक) 1973	
दक्षिण गुजरात तेल क्षेत्रों से	8278	8356	8361	8166	
उत्तर गुजरात तेल क्षेत्रों से	1598	1745	1770	808	(14-4-73 और 15-4-73 को कोई सप्लाई नहीं)

विद्युत केन्द्रों को ग्रार० एफ० ओ० और एफ० ओ० की सप्लाई
(मीटरी टनों में आंकड़े)

	जनवरी, 73		फरवरी, 1973		मार्च, 73		अप्रैल 73 (पहली से 15 तक)	
	आर एफ ओ	एफ ओ	आर एफ ओ	एफ ओ	आर एफ ओ	एफ ओ	आर एफ ओ	एफ ओ
धुवारन विद्युत प्लांट को	48353	5146	46615	9164	55424	9184	20840	7155
अहमदाबाद विद्युत प्लांट को	18690	--	14193	--	19350	--	7232	--

नियम 377 के अधीन मामले

MATTER UNDER RULE 377

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर नियम 377 के अंतर्गत सभा का ध्यान आकृष्ट करें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कल से बिजली की सप्लाई में शुरु की गई पचास प्रतिशत कटौती से अहमदाबाद कपड़ा मिलों के लगभग 15000 श्रमिक बेकार हो जायेंगे। यह मामला अत्यन्त गंभीर है क्योंकि यह कटौती विगत अक्तूबर से शुरु की गई, 15% कटौती के अतिरिक्त है। यदि स्थिति यही बनी रही तो 40000-50000 कपड़ा मजदूर बेकार हो जायेंगे। इस 65% कटौती से हजारों मजदूरों के बेकार होने के मामले पर वार्ता जारी है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार को इस मामले पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए और मजदूरों को सहायता देनी चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : खेद का विषय है कि गत 14 अप्रैल को जब हम डा० भीम राव अम्बेदकर का जन्म दिवस मना रहे थे, उसी दिन कुछ गुडों ने डा० अम्बेदकर की मूर्ति को गिराने की चेष्टा की। दश के निर्माण में डा० अम्बेदकर का महत्वपूर्ण स्थान है। अतएव मंत्री महोदय को इस मामले पर शीघ्र ही अपना वक्तव्य देना चाहिए और इस दुष्कृत्य के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए।

Shri B. P. Maurya (Hapur): The eighty second birth day of Dr. B. R. Ambedkar was celebrated in the township Bayana in Rajasthan. The meeting was attended by a large gathering of 20000. Stone laying ceremony of the statue of late Dr. Ambedkar was performed by Shri Onkar Lal Chauhan, Minister, Social Welfare Rajasthan. Some opposition elements raised anti Ambedkars slogans. The Statue was damaged and it was garlanded with shoes. The followers of Dr. Ambedkar took out a procession in protest of this incident and demanded imprisonment of the culprits. But the local police failed to make any arrest.

Dr. Ambedkar was not only leader of down trodden but he was also the architect of our Constit tion. I wish that the hon. Home Minister may get the matter investigated through the Chief Minister.

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। हमारे महान नेताओं की मूर्तियों को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति अत्यन्त निन्दनीय है। मैं समझता हूं इस गंभीर मामले पर गृह मंत्री ध्यान देंगे।

अनुदानों की मांगें, 1973--74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

कृषि मंत्रालय

Shri Chander Bhal Mani Tiwari (Balrampur): There is a lot of difference between the standard of living in the cities and in the villages. The development in villages is completely at a stand still. I hope that the Hon. Minister would look into the basic needs of the people and see that the villages are also enlightened like the cities. The people in villages are notable to understand the Constitution. It is because there is lack of education in the villages. I agree that State Government is concerned with education. But the Central Government should write to them in this regard. Lead Banks have been established in our area. The booklets etc. of this Bank have been published in English, whereas the population is not in a position to understand even Hindi. Would the Hon. Minister see that these books are provided in Hindi.

The State Governments have imposed ceilings on land varying from 10 to 27 acres. The cost of Tractors there is not less than Rs. 25000. How can farmers with small holdings afford a tractor worth that amount. Would the Government see that tractors are available in 10-15 thousand rupees.

The position of supply of good seeds in the country has deteriorated. In our State over 70% population is engaged in agriculture.

There are land development co-operative societies. A lot of mal-practices prevail in these societies in Uttar Pradesh. Manipulations worth crores of rupees have been made in these societies.

Due to land ceilings nobody from villages would be able to stand for elections. The condition in cities is improving day by day whereas the condition of villages deteriorating day by day.

In our country a large part of land is fallow. I have seen in Haryana that the State Government is trying to convert this fallow land into cultivable land. Can such effort not be made throughout the country? If this is done in Rajasthan, it can support the whole country.

We have enough surface water in our country, even then investigations are going on for ground water. If the surface water is fully utilised, not an inch of land will remain unirrigated.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur:) In this age of science our agricultural production has increased due to new inputs etc

7 LSS/73—9.

[उपाध्यक्ष महोदय पठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

I think it is not correct to say that we import all the grain required by our country. In 1966 we imported 10.34 million tons of foodgrains but in 1972 the quantity of import dwindled to half a million tons.

Droughts have become world wide phenomenon and last year the production of food grains in Russia was only 170 million tons.

Similar is the case in some other countries of the world.

The Government deserves to be congratulated for giving Rs. 152 crores for long term measures under the emergency agricultural production programme. But so far as the implementation of this programme is concerned, the States have not been active and they should be pulled up.

We can have intensive cultivation. But water is needed for that purpose. Even today our land is so fertile that it can give crop two to three times a year. More and more generators should be imported so that tube wells can be kept running.

The Government of Punjab had submitted a scheme of ten thousand tube-wells and one thousand deep tube-wells to the Central Government and it was said that if that scheme was sanctioned the State would be able to give two lakh tons of wheat and one lakh ton of rice to the Centre. It should be sanctioned.

The water-dispute over Thien Dam should be settled.

The banks do not grant loans to small and poor people. A Committee is to be constituted and vigilance is necessary.

The factors given regarding per capita income are contradictory. A fresh survey should be ordered in this regard.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): The Ministry of Agriculture has utterly failed in achieving its aims.

The problem of land is the main problem before our country. The land should be distributed properly. Even this basic requirement has not been fulfilled during the last 25 years. In this regard we should learn a lesson from China where revolutionary land reforms have been carried out.

The agriculture contribute about 50 per cent to our national income whereas this percentage is much less in other countries. The Hon. Minister talk of removing poverty but the way to remove poverty is the proper distribution of land. If land is given to a poor man, he will be able to make his both ends meet. But the Government has utterly failed in that regard.

In the districts of Champaran, Saharasa, Madhubani and Darbhanga, agitations of farm labourers are going on. Thousands of cases pertaining to land have been filed against them. Is it not possible to get them free from those cases?

Seventy percent of people in our country depend on agriculture. Out of them 57 per cent people are such whose acreage is less than 2 acres. On the other hand, there are big landlords who have thousands of acres of land.

So long as these landlords are there, how can the land situation improve?

So far as the question of supply of dhatura mixed milo and low quality of milk powder is concerned, much has been said here, this Ministry has been guilty of committing a national crime. Crores of people of this country have felt that there is something wrong and some guilty persons are playing with their lives.

The experts are of this opinion that if we cultivate 3 crores 20 lakhs acres of land on scientific methods, that can solve the problem of the foodgrains. But we have not been able to do so.

Sir, the research done by Shri Kulwant Rai of Rajasthan should be examined at Pusa Institute and he should be encouraged. On that research the Government of Rajasthan has given a good report.

The country has to suffer a heavy losses due to out-dated methods of storage of food-grains. It should be on scientific lines. Our first step should be to have big ware-houses for the storage of large stocks of foodgrains.

Corruption is rampant in co-operative societies, about 882 cases have been examined and a bungling of Rs. 1.25 crores is detected. Either this corruption should be checked or the co-operative societies be closed.

Instead of Ganga-Canvery link, Ghaghara, Rapti and Gandak projects should be taken up at the earliest. There should be one Ministry for dealing with the subject of agriculture, irrigation and power with a view to achieving greater co-ordination and co-operation.

भारत सरकार और बंगलादेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच संयुक्त घोषणा

JOINT DECLARATION BETWEEN GOVERNMENT OF INDIA AND PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे थोड़ी देर के लिये व्यवधान डालना है। बंगलादेश के विदेश मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर भारत और बंगला देश के बीच कुछ करार हुए हैं। श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सभा-पटल पर पत्र रखें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं भारत सरकार और बंगलादेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच की गई संयुक्त घोषणा को सभा-पटल पर रखता हूं जिसे आज जारी किया जा रहा है ।

अनुदानों की मांगे, 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74

कृषि मंत्रालय

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Although the Ministry of Agriculture covers many subjects, I would like to say that this Ministry has formulated schemes in such a way for agricultural development as it has gone a long way in increasing the agricultural production. At the time of attaining independence, the country's production of foodgrains was 500 lakhs of tons which has gone up by 1100 lakhs of tons to-day. In order to meet the requirements of foodgrains, we have to increase their production and not only that, we want to make ourselves able to export foodgrains.

In order to practise all these things, we have enough know-how and technology and for raising the agricultural production we shall have to seek assistance of our co-operative societies

Unless we are able to give guarantee to the farmers that they will get fixed prices for their produce, our production cannot increase. The existing system of marketing of agricultural produce should be streamlined. Arrangements should be made to ensure that the farmers get full returns for cotton, jute, oil seeds and other commercial crops. The Agricultural Prices Commission should be strengthened.

There is shortage of pulses in our country. According to the recommendations made by the Agricultural Prices Commission on seeds, manure and credit, there is need to change old policies.

Cattle breeding is a very important subject. There is large potential of cattle development in our country. For this purpose foreign blood is to be imported, especially for the sheep.

Private breeders can be encouraged so that progress can be achieved in this direction.

We have a great potential of fish. Country has earned foreign exchange to an extent of Rs. 50 crores through it. But shortage of trawlers is a bottle neck for this trade. We should try to procure these from all sources which become available to us. We should try to resort to deep sea fishing. Inland fisheries should also be developed. Protein rich food can be provided to people of the country.

Forests can also be a great source of income. We are earning a profit of Rs. 10 from 1 acre forest, whereas other countries of the world are earning upto Rs. 200 per acre. We should seriously consider over this aspect. Also we should encourage man made foresting over one lakh acre area. It could provide employment to a large number of labour.

***श्री० एम० एस० शिवस्वामी (तिरुचेन्दूर)** : कृषि मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार के लिए जो समय नियत किया गया है वह पर्याप्त नहीं है अतः उसमें वृद्धि की जानी चाहिये।

देश के विकास के पीछे कृषि का बहुत महत्व है। देश की 55 करोड़ जनसंख्या में से 7.82 करोड़ कृषक हैं और 4.75 करोड़ कृषि मजदूर हैं। शेष जनसंख्या इन की मेहनत व पसीने पर निर्भर करती है। परन्तु दुख की बात है कि देश में खेती योग्य कुल जमीन में से 20 प्रतिशत जमीन पर 62 प्रतिशत किसान खेती करते हैं। इन किसानों के पास 2 हैक्टयर से भी कम भूमि है। 38 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास 80 प्रतिशत भूमि है। स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के पश्चात् भी यह असमानता चल रही है। जब तक इस असमानता को दूर नहीं किया जाता तब तक कृषि का अधिक विकास नहीं हो सकता है। केन्द्रीय सरकार को लाखों भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जमीन देने के लिए एक समान भूमि नीति निर्धारित करनी चाहिये। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर भूमि की न्यूनतम सीमा के संबंध में कोई विधेयक बनाया जाना जरुरी है।

देश में 46 छोटी किसान विकास एजेंसियां हैं जिनके अन्तर्गत लगभग 23 लाख छोटे किसान हैं। इसी प्रकार देश में दो सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक एजेन्सियां हैं जिनके अन्तर्गत 8.20 लाख सीमान्त किसान हैं। इस प्रकार देश के कुल 12.57 करोड़ कृषकों में से केवल 31.20 लाख छोटे तथा सीमान्त किसान इन दो परियोजनाओं के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्रीय सरकार के शेष 12.26 करोड़ कृषकों को भी इन दोनों परियोजनाओं के अन्तर्गत लाने के प्रयास करने चाहियें। इन परियोजनाओं के लिए जो धन राशि नियत की गई है वह प्रति छोटे किसान पर 66 रु० प्रति वर्ष और प्रति सीमान्तक किसान पर 43 रु० प्रति वर्ष बैठती है। क्या हमें सोचना चाहिये कि क्या इस राशि का उपयोग खेत में पम्पपिंग सेट लगाने व कुएं खोदने के लिए हो सकता है। इससे सतारुढ़ दल का प्रचार मात्र ही हो पाता है। अतः यदि सरकार वास्तव में किसान का हित चाहती है तो इस राशि को बढ़ाना चाहिय।

चारों पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात सिंचाई परियोजनाओं का कुल निवेश 2700 करोड़ रुपये है और 4800 रुपये की राशि की बिजली परियोजनाओं में निवेश हुआ है। यह सारा निवेश देश में कृषकों के हित के लिए है। परन्तु भारत की ग्रामीण जनसंख्या के 80 प्रतिशत भाग को इसका लाभ नहीं पहुंचा। केन्द्रीय सरकार की वर्ष 1973-74 की आर्थिक समीक्षा में भी यह उल्लेख है कि 1972-73 में मानसून की असफलता से कृषि उत्पादन में गिरावट हुई है। यह सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है।

वर्ष 1949 से 1965 तक चावल के उत्पादन में 3 प्रतिशत वृद्धि हो रही थी परन्तु 1966 से 1972 के बीच यह वृद्धि 1 प्रतिशत रह गई। पिछले दशक में दालों के उत्पादन में भी स्थिरता रही है। गन्ने का उत्पादन भी घटता-बढ़ता जा रहा है। पांचवी योजना के दृष्टिकोण प्रलेख में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कृषि मंत्रालय कृषि सुधार लाने में सफल नहीं हुआ है। केन्द्रीय आयोजना आयोग के सदस्य श्री मिनहास ने कहा है कि 90 प्रतिशत कृषकों को कृषि परियोजनाओं और बिजली परियोजनाओं में दिए

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

7LSS/73—10

गए निवेश का कोई लाभ नहीं हुआ है। 7500 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ केवल 10 प्रतिशत किसानों को ही हुआ है। देश में कृषकों के कल्याण और कृषि के विकास में कृषि मंत्रालय का योगदान नगण्य ही रहा है। कृषि मंत्रालय को ऐसी योजनायें बनानी चाहिये जिनसे सभी कृषिक अधिकतम लाभ उठा सकें।

केन्द्रीय सरकार ने 1970-71 से 1972-73 के बीच सूखा राहत कार्यों पर 67.79 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। परन्तु सूखा के कारण देश को प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपयों के खाद्यान्न की हानि हुई है। पिछले वर्ष देश के कई भागों में सूखा पड़ने पर केन्द्रीय सरकार ने उक्त क्षेत्रों में स्थिति के अध्ययन के लिए उच्च अधिकारियों के कई दल भेजे। इन दलों ने 192.84 करोड़ रुपये सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता के रूप में दिये जाने की सिफारिश की है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 123.54 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यदि केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित धन राशि का आवंटन भी नहीं किया जाता तो राज्यों में उक्त दलों के भेजने की क्या आवश्यकता है। एक दल का सुझाव था कि उड़ीसा को 14.66 करोड़ रुपये दिये जाएं परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केवल 6 करोड़ रुपये दिये। दल ने तमिलनाडु के लिए 1.5 करोड़ की सिफारिश की परन्तु एक पैसा भी नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल को 10.08 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की गई परन्तु केवल 5.04 करोड़ रुपये दिये गये।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है। वहां साल में केवल तीन दिन वर्षा होती है। किसानों की आय का कोई अन्य साधन नहीं है। वाणिज्यिक बैंक शुष्क क्षेत्र के किसानों को अग्रिम अथवा ऋण नहीं देते हैं। कृषि मंत्री को शुष्क क्षेत्रों के किसानों को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुनिश्चित करने चाहिये।

पिछले बीस वर्षों में बाढ़ों के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों, पशुधन तथा संपत्ति के नाश आदि पर किसानों को 650 करोड़ रुपये की हानि हुई है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर केवल 230 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल स्थायी उपाय किए जाने चाहिये।

मंत्रालय ने वर्ष 1970 में देश में चौथी योजना के दौरान में 5,000 कृषि सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव तैयार किया। वर्ष 1971-72 में केवल 260 केन्द्र खोले गये हैं और 1972-73 के लिए 1,000 केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परन्तु अब माननीय कृषि मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया जा रहा है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। यह कार्यक्रम बहुत धूमधाम से प्रारंभ हुआ परन्तु अब चुपचाप समाप्त हो गया प्रतीत होता है। यदि इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित ही नहीं की जा सकती तो मंत्रालय को इन्हें तैयार ही नहीं करना चाहिये।

देश भर में खाद्यान्नों की कमी है। पिछले वर्ष 22 लाख टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ा है। देश में सभी ओर बिजली की कमी है। बीजों की सुधरी किस्मों, ट्रैक्टरों आदि जैसे कृषि उपकरणों, उर्वरकों की कमी है। यह आशंका है कि यदि इस वर्ष मानसून असफल हुई तो स्थिति अनियंत्रित हो जायगी। इस स्थिति के होते हुए भी कृषि मंत्रालय द्वारा पूरी आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। 1970-71 वर्ष में मंत्रालय ने 2.95 करोड़ रुपये की राशि वापस की। यह एक घृणास्पद असफलता है। इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये। आवंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग के लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिये।

पूर्वी-तट के क्षेत्र में मत्स्य उद्योग का लोगों के जीवन यापन पर बहुत अधिक प्रभाव है। परन्तु फिर भी वाणिज्यिक बैंक उक्त उद्योग के लिए ऋण और अग्रिम राशि नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग को कृषि उद्योग के समान नहीं माना जाता। केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के संशोधन का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने केवल हिन्दी के विषय में ही सफलता प्राप्त की है। मंत्रालय के प्रतिवेदन इस बात का व्यापक उल्लेख है। परन्तु हमें सोचना है कि क्या देश के सभी 13 करोड़ कृषकों की मातृभाषा हिन्दी ही है। क्या हिन्दी के अधिक प्रयोग से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है? क्या इस प्रयोग के परिणामस्वरूप देश में चूहों द्वारा खाद्यान्न के नाश को रोका जा सका है? भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के खाद्यान की हानि होती है। क्या हिन्दी के अधिक प्रयोग से इसे कम किया जा सका है।

पिछले वर्ष सरकार ने 20 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया। जनवरी, 72 से जनवरी, 73 की अवधि में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 15,114 टन खाद्यान्न खराब हो गया। 16,240 टन खराब खाद्यान्न अभी भी निगम के पास बताया जाता है मैं इस क्षति का कारण जानना चाहता हूं।

देश में खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पंजाब तथा तमिलनाडु अग्रणी हैं। 1972-73 वर्ष में तमिलनाडु सरकार ने 2.74 लाख टन नाइट्रोजन की मांग की परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इससे केवल 50 प्रतिशत मांग का आवंटन किया। अभी हाल ही में बंगलौर में हुए जोनल सम्मेलन में तमिलनाडु सरकार ने 1.20 लाख टन नाइट्रोजन, 20,935 टन फास्फेट तथा 10,866 टन पोटाशियम की मांग की। मेरा अनुरोध है कि इस मांग को पूरा किया जाए।

तमिलनाडु सरकार ने भारत इलैक्ट्रानिक्स को तरल नाइट्रोजन संयंत्र की स्थापना के लिए 4 लाख रुपया दिया परन्तु संयंत्र की स्थापना में अत्यधिक देरी की जा रही है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारत जर्मन नीलागिरि परियोजना के अन्तर्गत एक जर्मन संस्था ने नीलागिरि में आलुओं की खेती के लिये 70 लाख के उर्वरक तोहफे के रूप में दिये। केन्द्रीय सरकार ने इस तोहफे पर उत्पाद शुल्क लगा दिया है। यह उचित नहीं है।

***श्री० के० सूर्यनारायण** (एलूरू): लगभग सभी राज्यों ने भूमि सुधारों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों सहित सभी भूमिहीन मजदूरों को परती तथा फालतू भूमि के आवंटन के कानून बनाये हैं। परन्तु फिर भी यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुये केन्द्रीय सरकार ने पूना में एक भूमि सुधार केन्द्र खोलने का निर्णय किया है। सरकार का अनुमान है कि 50 लाख एकड़ भूमि फालतू होगी। इसमें से 20 लाख, 40 हजार एकड़ भूमि राज्यों में वितरण के उपयुक्त है। अब तक 10 लाख 20 हजार एकड़ भूमि ही भूमिहीन निर्धनों को बांटी जा सकी है। इस बारे में राज्य सरकारों की नीतियां स्पष्ट न होने के कारण कुछ कठिनाइयां सामने आ रही हैं।

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

इन कठिनाइयों के बारे में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आन्दोलन चल रहा है। प्रधान मंत्री को एक तार भेजा गया है। प्रभावित होने वाले 245 मछुओं ने आयुक्त को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कुछ कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। वहां पर भूतपूर्व मंत्री, श्री मूर्ति राजु ने वर्ष 1956 से एक सहकारी समिति बनाई । बाद में उक्त समिति को पांच हिस्सों में बांटा गया है। इन सभी समितियों के माध्यम से वहां पर मछुओं पर अत्याचार किये जा रहे हैं। समितियों ने सरकार से पट्टे पर कुछ भूमि ले रखी है। सरकारी आदेशों के अनुसार उक्त समितियों को उक्त भूमि से मछली पकड़ने का कोई अधीकार नहीं है परन्तु समितियां मछुओं से पैसे लेकर उन्हें मछलियां पकड़ने का अधिकार दे रही है। यह सरकारी आदेशों का उल्लंघन है परन्तु सरकार इसे रोकने में असमर्थ है । इसके विरुद्ध आवाज उठाने वालों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

गोदावरी डेल्टा क्षेत्र परियोजना में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से पूर्व वहां पर अनेक परिवार अच्छी फसलें पैदा कर रहे थे। सरकार ने उन परिवारों को भूमि बांटने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। मैंने आन्ध्र प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि भूमि का सर्वेक्षण करके उसे शीघ्रता से बांटा जाये। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उक्त भूमि में सिंचाई सुविधाओं के बारे में एक समिति बनाई है। उक्त समिति ने 7 वर्ष में अपना प्रतिवेदन दे दिया परन्तु राज्य सरकार धन की कमी के कारण समिति की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं कर पा रही। इस कारण 30,000 एकड़ भूमि का वितरण नहीं हो पाया। राज्य सरकार को कहा जाना चाहिये कि उक्त भूमि जोतने वाले किसानों में बांटी जाये। राज्य में इस समय राष्ट्रपति शासन है। अतः ऐसा करना बहुत आसान भी है।

देश में चीनी के लगभग 40 नये कारखाने खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से 30 कारखाने सहकारी क्षेत्र में खोले जाने हैं। परन्तु सीमेंट, लोहा तथा इस्पात आदि जैसे माल की कमी के कारण इनकी स्थापना में देरी हो रही है। इस देरी के कारण इनके लागत अनुमानों में भी वृद्धि हो रही है। मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने इस सम्बन्ध में जो ऋण दिये थे उनकी राशि में भी लागत अनुमानों में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि की जाये।

किसानों को इस समय उचित मूल्य शर्तों तथा मूल्य पर ऋण और उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ रही हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने सीकर जिले में उर्वरक कारखाना लगाने के सुझाव को सिद्धान्त रूप से मान लिया है। इस समय उक्त क्षेत्र को दूसरे राज्यों से उर्वरक प्राप्त करना पड़ता है। सीमान्तक किसानों को भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये ऋण प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उन्हें ऋण नहीं देती है और सहकारी समितियों के पास देने को कोई पैसा नहीं है।

राजनैतिक अस्तव्यवस्तता के बावजूद गोदावरी जिले में रवी की मौसम में 2 लाख 40 हजार टन खाद्यान्न पैदा किया गया है। यह बहुत ही गर्व की बात है। आशा है कि भविष्य में स्थिति सामान्य हो जाने के बाद उत्पादन और भी बढ़ेगा।

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : Agriculture has a great importance in our Natinal life. Half of our national income is derived from Agriculture. It is also an infra-structure for many other industries.

[Shri K. N. Tiwari in the Chair.]
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

It has rightly been said that water is most necessary for increasing agriculture production. Quality seeds, adequate quantity of fertilizers and other facilities are secondary to water. Agriculture Ministry has stressed that we should give more emphasis towards increasing irrigation facilities. With this in view the Government has been spending 250 crores and 150 crores annually on ground water Development and Rural Electrification respectively. There were 56 lakh 95 thousand dug wells at the commencement of the fourth five year Plan and now this number has increased to 65 lakhs. Similarly private tube wells stood at 2.66 lakhs at that time. By the end of the fourth plan the number is likely to increase to 8.73 lakhs and number of public tube wells is likely to increase to 20,000 from 15,000 Number of electrical pumps installed stood at 10.89 lakhs in 1968-69 and now it is likely to increase to 25.88 lakhs. Number of diesel pumps installed was 8.37 lakhs which is likely to increase to 14.37 lakhs. Irrigation facilities existed in 1950-51 for 12.88 m hectares of land under Surface minor Irrigation Scheme and ground water Scheme. Now it stands at 23.50 million hectares. These figures show that there has been 90% improvement in this regard.

In 1956 we were producing 55 million foodgrains and now our production figures are 108 million tons. In this way increase in foodgrains production has been incommensurate with increase in irrigation facilities. So it is not correct to say that our food production has not increased.

Many parts of the conntry were affected by drought and production of coarse grains, oil seeds, pulses, etc. also decreased. In the mean time Agriculture Ministry took steps to utilize as much water as possible and Emergency Agriculture Production Programme was implemented. We feel that we achieved additional production of 30-40 lakh to under this programme. We could bring 7.50 lakh acre additional land under irrigation.

Drought is not limited to our country only Many countries had to resort to imports. In fact our country imported lesser quantities. This has been accepted by F.A.O. also. Our efforts have resulted in the increased production under rabi crop. Last year we produced 26.5 million tonnes wheat. This year we hope to produce 30 million tonnes of wheat.

It has been said that fallow land is not being utilized. If that land is utilized we can increase production. We are including programmes for Soil Surveys on large scale in the fifth five year Plan, so that we could know which land can be used for which type of crops, which land can be used for high yielding varieties and for other crops.

One third of land which was under surface irrigation has become water-logged. Land along canals has also become water-logged. It has affected 6 million acres of land. Lining of this land is to be done. Seepage drainage is also to be arranged and land which has become useless due to shortage of water is required to be reclaimed and in this production can be increased. Plans have been prepared in this regard. Similarly water reservoirs are getting silted. We have prepared a programme in that regard also. Rs. 25 crores was spent on this project. It is proposed to spend more money on this project in the next plan. All there steps are aimed at proper and maximum utilization of water resources.

Reclamation programme in respect of saline land has also been initiated. Investigations are in progress to find out what types of crops can be grown on this land.

There is a considerable truth in the fact the schemes to mobilise more irrigation resources and boosting agricultural production have mainly benefited big farmers and not the small farmers. It cannot be said that the small farmers have not been benefited at all, have been benefited but marginally, It is true that the benefits of new techniques and scientific methods of production have not reached to the small farmers. It is because they were deprived of the resources to get the maximum benefits of the new schemes. It is therefore, the Government have formulated new schemes to cover up these small farmers.

The Government have undertaken pilot projects to identify small and marginal farmers and agricultural labourers. After this identification, the work done so far under this schemes is as under.

Small farmers Development	Agency	Marginal farmers and agricultural labour
Dug well and Tubewells	48341	5250
Pumping sets	2935	2442
Minor irrigation works and other works .	16996	391

In addition to this, the Government have tried to provide them additional employment in view of enabling them to raise their income, under this scheme, SFDA has been given 22566 milch cattle, 2655 poutlry units and MFAL 13316 cattle and 2066 Poultry units besides employment of 15711 and 5566 rural workers respectively.

It has been the endeavour of the Government to see that more and more short term, medium term and long term loans are given to these small and marginal farmers. We have made special efforts to give more unemployment to the people in villages. We have initiated a crash programme for rural employment in 1971-72. This year we expect to reach the target of 1200 man-days as compared to 800 man-days last year.

Special schemes have been made for drought hit areas. Allotment amounting to Rs. 100 crores was made for this purpose and I hope full utilization of the amount will be made. Usefull research have been made in dryfarming so that production in the areas of low rain fall may increase and small farmers may have better living.

A mention has been made to animal husbandry. This may prove an important source of employment to rural people. There are several items, like improving the breed of the Cattle, proper processing and marketing of milk, involved in it. We propose to increase the daily supply of milk to four metropolitan cities from 10 lakh to 27- lakh litres. Therefore, dairy expansion programme is being undertaken. After that, we propose to set up mother dairies to supply additional 14 lakh litres of milk and I think that the work on these dairies are likely to be completed by the next year. We propose to extend this scheme to other big towns like kanpur, lucknow, Ahmedabad, Poona, Banglore and Hyderabad during the fifth five year Plan. We want to establish five or Six complex there with a view to increase the production of the milk and to Create market therefor. It is our endeavour to see that the country is self sufficient in milk production and there is no import of skimmed milk powder.

We are aware of the importance of forests in the country. I agree that if we take up the forests expansion programme we will be able to provide employment to millions of tribals and the other poor people residing in forests. Attention would be paid to see that those who lived in forests are benefited through employment and other opportunities in plantation and aforestation schemes.

श्री बी० एन० रेड्डी (निरयालगूडा) : मैं कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूं। मैं बनों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या बन कटाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कई ऐसा प्रस्ताव सरकार के सामने है कि बनों की कृषि योग्य भूमि, भूमिहीनों में बांटी जाय ?

प्रो० शेर सिंह : जी नहीं ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : हम वन लगाना चाहते हैं काटना नहीं।

Prof. Sher Singh : So I was saying that we should have more and more aforestation programmes in view of supplying raw materials to our industries and providing its benefits to the tribals.

We have recently passed wild life protection bill. We are going to start a tiger Project with the cost of Rs. 4 crores. This is a labour intensive scheme and ninty percent of this amount will be incurred as labour charges that will ultimately go to the tribals.

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Sir, Agriculture is the pivot of our economic life and the half of nation's income is derived from agricultural production. For all these 25 years agriculture has not been devoted the attention it deserved. The result is that even today almost half of our country has been affected by drought. Although high yielding varieties of seeds produced as a result of research work have helped in 'grow more food' programme of the government but the benefits have gone mainly to big farmers not to small and marginal farmers. Despite this I can not fail to congratulate agricultural scientists and the farmers engaged in 'grow more food' programme.

Developed seeds, fertilizers and irrigation facilities should be made available to all the farmers. To-day, the prices of the fertilizers are just the double of the price prevailing five or six years ago. Besides this we do not have adequate production of fertilizers in the country. The Government should take steps in this direction and encourage farmers to use green manures.

As regards irrigation facilities, Indian revers which proved a boon to the nation are now turning a curse because of recurring floods and soil erosion. We may have full utilization of rivers waters by setting up small pumping sets on river banks. The Government of Bihar has done something in this regard. I would request the Central Government to formulate a comprehensive scheme in this regard to achieve the immediate gains.

Major irrigation projects have not proved useful, we should have small irrigation projects. There is huge accumulation of silt in Kosi canal and the farmers are suffering in the absence of proper irrigation facilities. In Purnia and Katihar notice have been issued even to the people who have either no land or their land is miles away from the Canal, regarding irrigation tax The Government should look into it.

Although a number of land reform measures have been passed, the poor farmer has not yet received any benefits, they have not got any surplus land or any benefit from land ceiling Acts passed by different States.

The ruling party imposed land ceiling but much land has not been distributed amongst landless. It is not proper to have a uniform land ceiling for the whole country because conditions differ from State to State. Jan Sangh had proposed that the land ceiling should be determined with reference to income from the land but the Government have not agreed to it. A particular ceiling should be fixed for a specified period so that there is no uncertainty in the minds of the farmers and they may make investments in their land.

Procurement prices are fixed by those persons who do not have first hand knowledge of the conditions of the farmers. They sit in airconditioned rooms and take decisions. While prices of consumer goods have gone up. The farmer get the same price of his produce. There is no restriction on the movement of industrial goods but the movement of foodgrains is restricted. Movement of the foodgrains is restricted even within a district. This is highly unjust and discriminatory.

It is good that the Government have adopted a policy of cattle breeding. They are trying to see that small farmers are benefited by this scheme. But on one hand Government have adopted this policy and on the other they are not prepared to impose a ban on cow slaughter.

I would like to conclude after saying a few words about taking over of wholesale trade in foodgrains. The Government have established their monopoly in this trade. The Government is following a policy of centralization of powers against the Gandhian policy of decentralisation instead of taking over the wholesale trade, the food corporation of India might have been put in the market as a competitor. The performance of the Food corporation of India in the past has not been satisfactory. The Government should reconsider this policy.

The Government should make adequate and satisfactory arrangement for storage of foodgrains. Small and marginal farmers agencies should be made active so that small farmers are benefited.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): We can not deny this fact that the country is passing throught a critical phase. We should make progress towards the direction of our basic resources of production. The Government should pay their due attention towards proper implementation of land reform laws to uplift the millions of down trodden people in the country. Unless we are aware to the geographical conditions of the country, we can not bring proper changes in the society with a view to form a socialistic society.

We have passed legislations regarding land reforms but those have not been properly implemented. Bureaucracy is proving a hinderance in the way of implementation of socialist policies. At present there is a concentration of power in district Magistrate. We should make efforts to see that the powers are decentralized. More powers should be given to Zile Parishads and Executive Authorities. It is only then we would be able to bring socialistic society.

There is vide difference between the prices of consumer goods and those produced by the farmers. The Government should look into it and try to take over consumer goods industry.

The decision to take over wholesale trade in foodgrains is a wise step. Attempts are being made by wholesale trades to scuttle this policy. These people should be severely dealt with. If the foodgrains dealers encourage hoarding and thus prevent the Government from making purchases, they should be arrested. A conference of Chief Ministers and State Food Ministers should be convened to consider ways and means to make this policy a success.

The Government should make efforts for augmenting milk production. Steps should be taken to ensure increased production of milk. Floods have caused great havoc in Uttar Pradesh. The Government should adopt measures to prevent floods. There should be a construction of dams at Rapti and Ghaggar rivers. Jalkundi project should also be taken up.

Today we find that the Government is pre-occupied with the ideas that more fertiliser factories should be set up. Steps should be taken to encourage the use of compost manure.

The issue of nationalisation of sugar industries is in doll drums. This industry should be nationalised at the earliest. It should be made clear that the sick sugar mills taken over by the Government will not be given back to the owners.

With these words I support the demands.

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : भारत के लिये सूखे की स्थिति का सामना करना कोई असमान्य बात नहीं है।

अनेक क्षेत्रों में निरन्तर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । सूखे को दूर करने के लिये ईमानदारी से तथा सुनियोजित ढंग से प्रयास नहीं किये गये हैं। सूखापीड़ित क्षेत्रों में कार्यवाही करने के लिये एक पृथक विभाग होना चाहिये।

यह कहा जाता है कि भारत का पांचवां भाग सदैव अभावग्रस्त रहता है। वास्तव में भारत का प्रत्येक जिला अभावग्रस्त है अतः सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिये तत्काल पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये। इन क्षेत्रों में अकाल के लिये बीमा जैसी समन्वित योजना आरम्भ की जानी चाहिये। इन क्षेत्रों में फसल के ढंग में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये। तालाब में वर्षा का पानी हो अथवा नहीं, किसानों की परम्परागत खेती धान ही है। मक्का, बाजरा और ज्वार की फसल की तुलना में धान की फसल के लिये पांच गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यदि जिस क्षेत्र में किसान मक्का, ज्वार अथवा बाजरे का उत्पादन करता है वहां वह मक्का, बाजरा या ज्वार का उत्पादन करे तो उसे काफी सफलता मिल सकती है।

इन क्षेत्रों में कृषि उद्योग का भी विकास किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनायें तैयार की जानी चाहिये। पानी को सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है जिससे वर्षा न होने पर किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। सरकार को इस उद्योग की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। अभावग्रस्त क्षेत्रों में मुर्गीपालन का विकास किया जाना चाहिये जिससे वर्षा न होने पर किसानों को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिये समन्वित और गहन योजना तैयार की जाना चाहिये।

अभावग्रस्त कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इस वर्ष अभावगस्त्र कार्यों पर 300 से 400 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

यह सब धनराशि व्यर्थ ही जा रही है क्योंकि न तो इससे किसानों को ही लाभ हो रहा है और न ही अधिक परिश्रम करने वाले किसानों को ही लाभ हो रहा है।

मैसूर में लगभग 60 लाख लोग अकाल से पीड़ित हैं। राज्य में रबी और खरीफ की फसल पूर्णतया खराब हो गई है और इसके कारण लोग बहुत उत्तेजित हैं। राज्य को शीघ्र ही अधिक अनाज भेजा जाना चाहिये।

अनाज के थोक व्यापार का सरकारीकरण हमारे जैसे समाजवादी देश के लिये आवश्यक है। अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के मामले में नीति को क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। देश के लगभग 80 प्रतिशत लोग अपनी आय का लगभग 80 प्रतिशत भाग खाद्यान्न पर व्यय करते हैं। अतः देश में खाद्यान्नों की कीमतें कम करना अत्यावश्यक है। आज देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। थोक व्यापारी सरकार की नीति को असफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश विरोधी दल थोक व्यापार के सरकारीकरण को सहयोग नहीं दे रहे हैं। मंत्रालय को इसे सफल बनाना चाहिये।

सब ओर भ्रष्टाचार का बोल बाला है। सरकार को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्ती से काम लेना चाहिये।

किसानों को अपने उत्पादों की लाभप्रद कीमतें मिलनी चाहियें अन्यथा किसान दूसरी फसल पैदा करना आरम्भ कर देंगे। यदि खाद्यान्नों की बजाये वाणिज्यिक या नकद फसल की गई तो खाद्य मंत्रालय शीघ्र संकट में पड़ जायेगा। अतः किसानों को लाभकारी अथवा समान मूल्य दिये जाने चाहियें।

Shri M. S. Purti (Singhabhum): India is an agricultural country. Most of our population depend on agriculture, and the development of the country depends on agriculture. There has been green revolution as a result of research in agriculture. But we cannot raise the agricultural production in the country unless the benefit from agricultural research could be reached every nook and corner in the country. The difficulties that have come in the ways of the development of agriculture should be removed.

The Government has brought land ceiling to remove disparity in the matter of land. Bihar Government have passed land ceiling Act; but it has not been implemented and as a result of it, there is still disparity in land amongst the farmers in Bihar.

The condition of the people living in Chotta Nagpur and Santhal Pargana is very miserable. Agriculturable lands in the forest are lying idle. The Government should distribute the lands amongst the landless farmers.

Good quality of seeds should be distributed amongst the farmers. The Government should demonstrate the better means of agriculture. Agricultural Government farms should be distributed amongst the landless farmers.

The problem of irrigation in the matter of agriculture is very important. The Government should spend more on irrigation, because it is necessary for increasing the production.

The Government should pay special attention in this matter. Proper utilisation of the flood water should be made by constructing dams.

The farmers of our country are in fact very poor. They should get loans for purchasing good quality of seeds, ploughs and bulls. The arrangement made by the Government in this connection are not sufficient. They should get the loans in time. The loan distributing procedure should be made easy so that they may make more development in the field of agriculture.

The Government has fixed a very low procurement price for wheat. It is almost equal to the cost of production. The farmers should get appropriate prices of their products.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): India is an agriculture country and for the development of the country the development in agriculture is very necessary. The green revolution can only be succeeded when the agricultural labourers have full control on agriculture. Only the big capitalist and the Zamindars have been benefitted by the measures taken by the Government. Economic disparity is increasing day by day in the country as a result of it.

The wages of agricultural labourers are very low. They have been paying at the same rate as they had been paid some time fifty years ago. The Government have not taken any solid steps to increase their wages and to improve their conditions.

The main difficulty in the field of agriculture is this that the persons who do not know anything about agriculture have the land whereas the persons having full knowledge regarding agriculture have no land. The Government have done nothing in this regard. But it is very necessary for the development of agriculture in the country.

The Land Ceiling Act was passed a long time back nothing has been done to implement it. The Government should fix a date in this regard after that the surplus land should be distributed amongst the landless farmers.

The procedure for distribution of surplus land should be simple and convenient. This work should be allotted to the concerned high officials and the police officers of the state.

Bihar is the only state in the country which has to face the problems like flood and drought every year. Although the land is fertile there yet the condition of the people is very miserable. The Government should take appropriate measure to control flood and should utilise the rivers for agriculture purposes.

The Government has taken a praiseworthy step by taking over wholesale grain trade. It will be better in case the Government takes over the agriculture also. The Government should acquire plots of 400-500 acres of land and should start farming on them on scientific basis. Cottage industries should be started on those farms.

The land distributed amongst the poor farmers would be in small prices and it would have been better if arrangements were made for collective farming.

श्री अ्रणासाहिब गोटखिण्डे (साँगली): देश में सूखे की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। कुछ जिलों में अकाल वर्ष में लगातार दूसरी अथवा तीसरी बार आया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने तुरन्त कार्यवाही की है और खाद्यान्न और पेय जल भेजने की व्यवस्था की है। आपतकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है। यह सराहनीय है कि भूख से कोई मौत नहीं हुई है।

सूखे का स्थाई तौर पर सामना करने के लिये कार्यक्रम बनाया गया है। उक्त योजना 1970 में आरम्भ की गई और इस योजना के लिये 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

क्या इस बारे में हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्या सरकार इन प्राकृतिक विपत्तियों का राष्ट्रीय दायित्व स्वीकार कर लेगी?

इस विशेष कार्यक्रम में महाराष्ट्र के छः जिले शामिल किये गये हैं। अन्य क्षेत्रों को भी इतनी ही हानि पहुंची है, क्या सरकार इन क्षेत्रों को भी उक्त कार्यक्रम में शामिल करेगी? क्या सरकार उक्त कार्यक्रम को पांचवीं योजना में बढ़ायेगी?

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए]

[Dr. Saradish Roy in the chair]

इसमें संदेह नहीं कि इस कार्यक्रम से इन क्षेत्रों को राहत मिली है लेकिन यदि उक्त कार्यक्रम को 1973-74 में समाप्त कर दिया जाता है तो इसके ठोस परिणाम नहीं निकलेंगे।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं लेकिन यदि अधिक धन की आवश्यकता होगी और उक्त मांग वास्तविक होगी, तो अधिक धन आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद के मामले में कृषि मंत्रालय को सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के साथ यह मामला उठाना चाहिये। उन सिचाई परियोजना को तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिये जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचे। जहां तक खाद्यान्न के थोक व्यापार का सम्बन्ध है, वितरण के मामले में सरकार सहकारी क्षेत्र पर निर्भर करती है। लेकिन हम सहकारी क्षेत्र की त्रुटियों को जानते हैं। यदि सरकार सहकारी क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

अनाज के थोक व्यापार का अधिग्रहण लाखों उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में किया गया है। लेकिन सरकार को इस मामले में सतर्क रहना चाहिये क्योंकि कुछ विपक्षी वर्ग सरकार को खाद्यान्न के बारे में दंगे होने की चेतावनी दे रहे हैं।

सरकार को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देना चाहिये। बैंकों को कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी नहीं है?

चूंकि अधिकांश सहकारी संस्थाएं अधिक देय राशि की कठिनाई का सामना कर रही हैं अतः अन्तिम व्यक्ति को ऋण लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिये।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार को विशेष सहायता देनी चाहिये।

सरकार सूखे से हुई कठिनाई के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लेकिन वह गैर-सरकारी अथवा निजी कुओं को गहरा करने के सुझाव को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी। सरकार को कम से कम सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में कुओं को गहरा करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

Shrimati Sabodrabai Rai (Sagar): The prices of foodgrain fixed at Rs. 84/- and Rs. 76/- per quintal is quite in order. The prices of all the commodities are shooting up with the passage of time and the farmers economy has also shattered. He is running into heavy debets. The prices of other commodities and business articles should also be proportionately brought to the level of foodgrains.

The farmers have not benefitted by Garibi Hatao slogan. No land has been distributed amongst them after the imposition of land ceiling. The Government should pay adequate attention towards the problems of the farmers by ensuring, irrigation facilities. We cannot find out any solution without seeing their difficulties. The Government should improve the distribution system so that everybody get foodgrain according to their requirment.

The nationalised banks should give financial assistance to the small farmers. There is a lot of corruption in the process of bank loans to the farmers with the result that only rich people get loan from the banks. The plight of small farmers and landless persons is becoming deplorable. They are selling their lands to the landlords because of economic pressures. The Government should not only give loan to the farmers but also see whether they have plough and oxen. They should be provided with all the facilities and resources.

The Government and Ministry of Agriculture should take some solid steps towards improving the plight of small farmers and tribal people.

Taking over of wholesale trade in wheat is no doubt a step in the right direction but the prices of other essential commodities need also to be fixed. The villagers say that nobody is heeding to their grievances........

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : We are listening.

Shrimati Sabodrabai Rai : No body attending to their difficulties.

The land should not be distributed amongst the landless people till they are provided with necessary resources. The Hon. Minister of Agriculture should tour the remote areas of Madhya Pradesh to have first hand information about the real plight of the farmers.

Some constructive steps shouuld be taken to provide irrigation and other facilities to the farmers so that their miserable plight could be improved.

I support the demands of Ministry of Agriculture.

श्री मंलजीभाई परमार (दोहद): देश के अधिकांश भागों में सूखा और दुर्भिक्ष की स्थिति है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे प्रदेशों में अन्न तथा चारे की बहुत कमी है, लोगों को पर्याप्त

अन्न नहीं मिल रहा है, उन्हे राशन का अन्न बहुत कम मिलता है और वे खुले बाजार से अन्न नहीं खरीद सकते हैं।

उन्हें राहत कार्यों से जो मजदूरी मिलती है वह भी बहुत कम है। सरकार को उन्हें कम दाम पर अन्न उपलब्ध कराना चाहिये ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

चौथी पंचवर्षीय योजना को देखने से पता चलता है कि कृषि पर सरकार अपर्याप्त राशि व्यय करती है। 25 वर्षों में देश भर में बनों के विकास हेतु केवल 210.24 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। बन विकास के बिना कृषि विकास सम्भव नहीं हैं, बनों के बिना वर्षा समय पर नहीं आती है।

भारत के बनों से आय बहुत कम हुई है, बनों के विकास के बिना हम पशुओं के लिये पर्याप्त चारा भी नहीं जुटा पाते। गुजरात, मैसूर, राजस्थान और महाराष्ट्र में घास न मिलने के कारण पशु मर रहे हैं। सरकार यह तमाशा देख रही है। किसानों को अधिक घास बोने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

नर्मदा नदी परियोजना का विवाद काफी समय से चल रहा है। प्रधान मंत्री को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिये। गुजरात में उस समय तक कृषि का विकास नहीं हो सकता जब तक नर्मदा का जल सिंचाई के लिये उपलब्ध न हो।

चार पंचवर्षीय योजनायें क्रियान्वित करने के बाद भी देश में अन्न की कमी है। इस समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है और अन्न की कमी को तभी पूरा किया जा सकता है जब बन विकास, बिजली तथा उर्वरक सप्लाई करने सम्बन्धी मेरे पहले दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जाये। गुजरात के गरीब लोगों को मोटा अनाज खुले बाजार से मंहगे भाव पर खरीदना पड़ता है। सरकार को उन्हें मोटा अनाज उचित दर पर उपलब्ध कराना चाहिये।

ग्राम्य भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्थान उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशें लागू की जानी चाहियें। इन सिफारिशों द्वारा गरीब लोगों को काफी लाभ होगा। अन्न संकट के दौरान सभी देशवासियों को एक परिवार की तरह समझा जाना चाहिये।

Shri C. D. Gautam (Balaghat) **:** I support the demands of Ministry of Agriculture. Eradication of poverty and unemployment is our objective and this objective can only be fulfilled if we improve the condition of rural areas which constitute 75 percent of the total population of our country. No problems can be solved without increasing the agricultural production. The agricultural production can only be increased and poverty removed only if we provide necessary irrigational facilities, electricity, fertilizers and good seed to the farmers. Our Government has not given top priority to the farmers. We are passing through a critical time and we can overcome it only through giving top priority to agriculture.

After the take-over of wholesale trade of wheat by the Government, the prices of other essential commodities have shoot up. The prices of other commodities should be brought down in proportion to wheat. Wheat growers get a limited return as compared to the growers of cash crops. The farmers are agitated over it.

The farmers do not get loans in time. Major portion of loan is taken by the rich people only. The land should be distributed among the landless people only if they are provided with necessary resources otherwise this land should be brought under cooperative farming.

*श्री० ए० एन० चेलाचामी (टेंकासी): तमिल के महान कवि तिरूवालुवर ने कहा है कि कठिनाइयों के बावजूद भी कृषि सर्वोत्तम धंधा है। इसके अतिरिक्त तमिल के महान कवि मरित्तयर ने भी एक गाने में कहा है कि विश्व किसानों की वंदना करता है। मैं इन कवियों का जिक्र यह बताने के लिये कर रहा हूं कि कृषि को प्राचीन समय से ही महत्व दिया जाता आ रहा है। हम अब तक चार पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वित कर चुके हैं। इसके बावजूद भी छोटे किसानों को वह लाभ नहीं मिल सके जिनकी आशा थी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, there is no quorum.

सभापित महोदय: घंटी बजाई जाये। अब कोरम हो गया है।

श्री ए० एम० चेलाचामी: छोटे किसानों की जरूरतों को पूर्णतः पूरा नहीं किया गया।

देश म पांच लाख के करीब गांव हैं। 80 प्रतिशत गांवों के लिये कोई चिकित्सा की सुविधायें नहीं प्रदान की गई हैं, ग्रामीणों को पेयजल तथा चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकतायें अवश्य उपलब्ध की जानी चाहियें।

खेती के साधनों को आधुनिक बनाने के लिये काफी समय से अनुसन्धान किये जा रहे हैं लेकिन ये अनुसन्धान अभी छोटे किसानों द्वारा अपनाई गई कृषि की प्रणालियों में परिवर्तन लाने में सफल नहीं हुये हैं। हमने अनुभव किया है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधिकांश लाभ शहरों को ही मिले हैं। हम राजनीतिज्ञ किसानों को कठिन परिश्रम करने के लिये कहते रहते हैं। लेकिन हम उनके कल्याण के लिये वास्तव में क्या करते हैं?

राष्ट्रीयकृत बैंक भी छोटे किसानों को ऋण देने में टालमटोल करते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में कोई उचित कार्यवाही करें। मैं इस बात को भलीभांति जानता हूं कि किसानों को ऋण देते हुये राजनैतिक बातों का ध्यान रखा जाता है। बैंकों के कार्यों में राजनीति घुसी रहती है। बैंकों का लाभ आज बड़े किसान तथा अमीर लोग ही उठा रहे हैं।

गंगा-कावेरी लिंक से तमिलनाडु के केवल त्रिभी और तंजोर जिलों को ही लाभ पहुंचेगा। अन्य चार पांच जिलों को लाभ पहुंचाने के लिये कावेरी के साथ-साथ गंगा को ताम्रवरणी से भी लिंक किया जाये। गांव में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका समाधान करने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहियें।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बापरिहात) : मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। अन्न के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। व्यापारी लोग किसानों से सस्ते दामों पर अन्न का क्रय करके तथा उसे जमा करके बाद में मंहगें भाव पर बेचते हैं। सरकार के इस कदम द्वारा किसानों का शोषण समाप्त हो जायेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदय अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 18 अप्रैल, 1973/28 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 18th April 1973/Chairtra 28, 1895 (Saka).

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on english translation of the speach delivered in Tamil.

MGIPRRND—Sec. II(Night)—7LSS/73—7-8-73—490